खण्ड-241, अंक-10
शुक्रवार, 15 चैत्र, शक संवत् 1885
(5 अप्रैल, 1963 ई0)

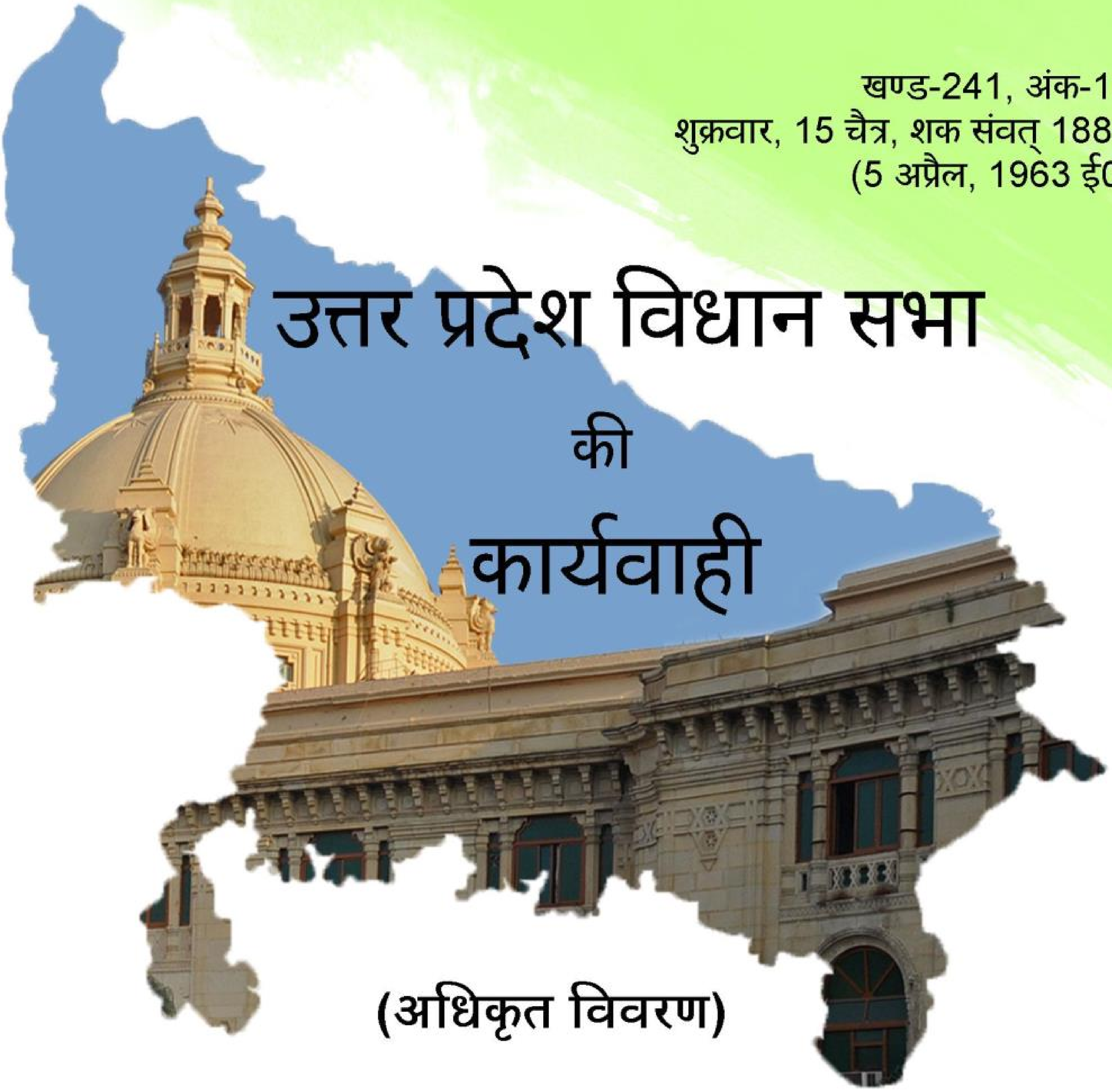

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 241 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
अधीक्षक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९६४

मूल्य : बिना महसूल 25 नये पैसे, महसूल सहित 31 नये पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, ५ अप्रैल, १९६३

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में १० १/२ बजे दिन में उपाध्यक्ष, श्री होतीलाल अग्रवाल, की अध्यक्षता में आरम्भ हुई ।

उपस्थित सदस्य—३६०

अक्षयवरसिंह, श्री
अखण्डप्रतापसिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनीसुर्रहमान, श्री
अब्दुल समी, श्री
अमजद अली, श्री
अयोध्याप्रसाद, श्री
अवधनारायण प्रताप सिंह, श्री
अवधेशकुमार सिनहा, श्री
अवधेश प्रताप, राजा
अशरफ अली खां, श्री
अष्टभुजा, श्री
अहमद बख्श, श्री
इन्द्रपाल, श्री
इन्द्रासनसिंह, श्री
इरतजाहुसैन, श्री
ईश्वरशरण, श्री
उमादत्त, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उल्फतसिंह यादव, श्री
ऊदल, श्री
एस० जी० दत्त, श्री
ए० सी० ग्राइस, श्री
ओंकारनाथ द्विवेदी, श्री
कन्हैयालाल, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह यादव, श्री
कलारानी मिश्रा, श्रीमती
कल्पनाथसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले, श्री
(उपनाम छुन्नन गुरु)
कल्याणराय, श्री
काशीनाथबहादुर पाल, श्री
काशीप्रसाद द्विवेदी, श्री
किशोरीलाल अग्रवाल, श्री
किश्वर आरा, बेगम
कृष्णचन्द, श्री
कृष्णपालसिंह, श्री
कृष्णसिंह, श्री
कृष्णानन्द राय, श्री
केदारनाथ भार्गव, श्री
केशभान, श्री
केशरीप्रसाद पांडेय, श्री
केशव गुप्त, श्री
केशवराम, श्री
केशवसिंह, श्री
कैलाश, श्री
कोतवालसिंह भदौरिया, श्री
खेमचन्द, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गंगासिंह विष्ट, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद, श्री
गनेशीलाल चौधरी, श्री
गयाप्रसाद, श्री
गयाप्रसाद मेहरोत्रा, श्री
गिरजाप्रसाद, श्री
गिरधारीलाल, श्री (बिजनौर)
गिरधारीलाल, श्री (वाराणसी)
गुप्तारसिंह, श्री
गेंदादेवी, श्रीमती

गेंदासिंह, श्री
गोकुलप्रसाद, श्री
गोपीनाथ दीक्षित, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम, श्री
चन्द्रजीत यादव, श्री
चन्द्रदेव, श्री
चन्द्रपाल, श्री
चन्द्रभानु गुप्त, श्री
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चम्पावती, श्रीमती
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चुन्नीलाल, श्री
चैतन्यराजसिंह, श्री
छांगुर, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री
छोटेलाल पालीवाल, श्री
जगदम्बाप्रसाद, श्री
जगदीश, श्री
जगदीशनारायण सिनहा, श्री
जगदीशप्रसाद, श्री (बहराइच)
जगदीशशरण रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ चौधरी, श्री
जगन्नाथ राव, श्री
जगन्नाथसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जमादारसिंह, श्री
जमीलुर्रहमान किदवई, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जलील अब्बासी, काजी
जियाउर्रहमान, श्री (उपनाम बक्कन)
जुगलकिशोर, श्री
जे० पी० मिश्र, श्री
ज्वालाप्रसाद, श्री
झारखन्डेराय, श्री
झिलमिटराम, श्री
टम्बेश्वरीप्रसाद, श्री
डल्लाराम, श्री
डूंगरसिंह श्री
तमेश्वरप्रसाद, श्री
तारा अग्रवाल, श्रीमती
तेजनारायण त्रिवेदी, श्री
तेजभानसिंह, कुंवर
तेजसिंह, श्री
त्रेपनसिंह, श्री
दलजीतसिंह, श्री
दीनदयाल करबरिया, श्री
दीपनारायणसिंह, श्री
दुर्गाप्रसाद, श्री
दुर्योधन, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवेन्द्रसिंह, श्री
देशराजसिंह, श्री
दौलतलाल, श्री
द्वारकाप्रसाद पाण्डेय, श्री
द्विजेन्द्रनारायण, श्री
धर्मसिंह, श्री
धूमप्रसाद, श्री
नत्थाराम रावत, श्री
नरसिंहनारायण पाण्डेय, श्री
नरेन्द्रसिंह, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवरंगसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाथूराम शिक्षक, श्री
नारायणसिंह, श्री
नित्यानन्द पाण्डेय, श्री
नियामतुल्ला अन्सारी, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नैनसिंह, श्री
नौनिहालसिंह चौधरी, श्री
पंचमदास, श्री
परमाईलाल, श्री
पातीराम अहरवार, श्री
पितईराम, श्री
पीतमसिंह प्रधान, श्री
पूरनलाल, श्री
प्यारेलाल, श्री
प्रकाशवती सूद, श्रीमती
प्रेमसिंह, श्री
फूलसिंह, श्री
बंकटासिंह, श्री (टुन्नू सिंह)
बंशीधर मिश्र, श्री
बंशीलाल, श्री
बद्रीप्रसाद पालीवाल, श्री
बनवारीलाल विप्र, श्री

बनारसीदास, श्री
बब्बनसिंह, श्री
बलदेवसिंह, सरदार
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवानसिंह, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बसन्तलाल, श्री
बसन्तसिंह, श्री
बांकेलाल, श्री
बाबूलाल, श्री
बाबूसिंह, श्री
बालकराम वैश्य, श्री
बालेन्दुभूषणप्रताप सिंह, श्री
बालोजी अग्रवाल, श्री
बिपिनबिहारी तिवारी, श्री
बिशनलाल यादव, श्री
बृजबिहारी, श्री
बृजराजसिंह, श्री
बृजरानी, श्रीमती
बृजेश्वरसहाय, श्री
बेचनराम, श्री
बेदराम, श्री
बैजनाथसिंह वैद्य, श्री
बैजूराम, श्री
ब्रह्मदत्त मायर, श्री
भगवानदास बरनवाल, श्री
भगवानदास यादवेन्दु, श्री
भगवानदीन, श्री
भगवानसहाय, श्री
भगौतीदीन, श्री
भानुप्रतापसिंह, श्री
भीखालाल, श्री
भीमाप्रसाद, श्री
भूपसिंह, श्री
मंगलदेव, श्री
मंगलप्रसाद आर्य, श्री
मदनपाल सिंह, श्री
मनसाराम, श्री
मन्नालाल, श्री
महमूदहसन खां, श्री
महरामसिंह, श्री
महावीरप्रसाद, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
महावीरसिंह, श्री
महेशसिंह, श्री
माताप्रसाद, श्री
माधोनारायण मुद्गल, श्री
माधोप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मुकन्दीलाल बैरिस्टर, श्री
मुकुटबिहारी लाल, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूसिंह, श्री
मुमताज मुहम्मद खां, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुलतानसिंह, श्री
मुहम्मद रफी खां, श्री
मूलचन्द शास्त्री, श्री
मेवालाल जायसवाल, श्री
मेड़ीलाल, श्री
मोहनलाल, आचार्य
मोहनलाल अहिरवार, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहनसिंह, श्री
यशपालसिंह वर्मा, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
यादवेन्द्रसिंह, श्री (लल्लन जी)
योगेश्वरप्रसाद खंडूडी, श्री
रक्षपालसिंह, श्री
रघुनाथ, श्री
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुनाथसिंह, श्री
रघुवीरसहाय कैथवार, श्री
रघुवीरसिंह, श्री
रतीपाल, श्री
रणबहादुरसिंह, श्री
रमाकान्तसिंह, श्री
रमेशचन्द्र शर्मा, श्री
राघवेन्द्रप्रताप सिंह, श्री
राजदेव, श्री
राजनाथसिंह, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण मिश्र, श्री
राजनारायणसिंह, श्री
राजाराम, श्री
राजेन्द्रकिशोरी, श्रीमती
राजेन्द्रसिंह, श्री
राजेन्द्रसिंह यादव, श्री
रामअधार कनौजिया, श्री
रामअधीनसिंह, श्री

रामअनन्त पान्डेय, श्री
रामअवध, श्री
रामआसरे, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकिशोर त्रिपाठी, श्री
रामकिशोर वर्मा, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामचन्द्रसिंह, श्री
रामचरण शाह, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामनाथ पाठक, श्री
रामपाल त्रिवेदी, श्री
रामपालसिंह, श्री
रामप्यारे, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामबली मिश्र, श्री
रामभजन, श्री
राममूर्ति 'अंचल', श्री
रामरती, श्रीमती
रामरूपसिंह, श्री
रामलखन वकील, श्री
रामलखन शुक्ल, श्री
रामलखनसिंह, श्री
रामलाल, श्री
रामसमझावन, श्री
रामसिंह, श्री (मैनपुरी)
रामसिंह, श्री (सहारनपुर)
रामसुन्दर पान्डेय, श्री
रामसुन्दर शास्त्री, श्री
रामसूरतप्रसाद, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामायणराय, श्री
रामेश्वरनाथ, श्री (उपनाम चौबे)
रियासतहुसैन, श्री
रुकुमसिंह राठौर, कुंवर
रुद्रप्रतापसिंह, कुंवर
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लखपतराम शर्मा, श्री
लखोसिंह, श्री
लालबहादुरसिंह, श्री (जौनपुर)
लालबहादुरसिंह, श्री (वाराणसी)
लोकपालसिंह, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विक्रमशाह, राजा
विजयकुमार, श्री
विजयपालसिंह, श्री
विजयशंकर श्री,
विजयशंकरसिंह, श्री
विजयसिंह, श्री
विश्वनाथ पान्डेय 'प्रणव', श्री
विष्णुप्रतापसिंह, श्री
वीरसेन, श्री
वैजनाथ पान्डेय, श्री
शंकरलाल, श्री
शकुन्तला नायर, श्रीमती
शराफत हुसैन रिजवी, श्री
शान्तिचन्द्र शुक्ल, श्री
शारदानन्द, श्री
शिवचरण, श्री
शिवनाथ सिंह, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगल, श्री
शिवमूर्ति, श्री
शिवसंपति शर्मा, श्री
शिवेन्द्रप्रताप, श्री
शीतलप्रसाद, श्री
शुगनचन्द मजदूर, श्री
शुगनचन्द शर्मा, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामसुन्दर शुक्ल, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतमिश्र, श्री
श्रीपालसिंह, कुंवर
श्रीराम, श्री
श्रीराम तिवारी, श्री
सईदअहमद, श्री
सत्यदेव, श्री
सत्यनारायण पान्डेय, श्री
सन्तसिंह यूसुफ, श्री
सरदारसिंह, श्री
सहदेवसिंह, श्री
सियादुलारी, श्रीमती
सियाराम गंगवार, डाक्टर
सीताराम, डाक्टर
सुक्खनलाल, श्री
सुखराम दास, श्री
सुखलाल, श्री, (इटावा)
सुखलाल, श्री (लखनऊ)
सुचेता कृपालानी, श्रीमती
सुदामाप्रसाद गोस्वामी, श्री

सुरजनराम विशारद, श्री
सुरेन्द्रदत्त बाजपेयी, श्री
सुरेन्द्रविक्रम, श्री
सुशीलारोहतगी, श्रीमती
सूबेदारसिंह, श्री
सूरजपालसिंह, श्री
सेवाराम, श्री
सोहनलाल धुसिया, श्री
हमीद खां, श्री
हरिगैनराम, श्री
हरिनाथ तिवारी एडवोकट, श्री
हरीशकुमार गंगवार, श्री
हरीसिंह, श्री
हलीमुद्दीन, श्री
हेतरामसिंह, श्री
हेमराज, श्री
होतीलाल अग्रवाल, श्री
होरीलाल यादव, श्री

लघु उद्योग उप मंत्री, श्री शिवप्रसाद गुप्त भी उपस्थित थे ।

प्रश्नोत्तर

शुक्रवार, ५ अप्रैल, १९६३

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

राष्ट्रकवि, श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' की चिकित्सा

**१—श्री देवदत्त मिश्र (जिला उन्नाव) (अनुपस्थित)—

क्या मुख्य मंत्री को इस बात की सूचना है कि राष्ट्रकवि, श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' प्रायः पिछले दस दिनों से अत्यन्त चिन्तनीय अवस्था में लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर में इस समय हैं ?

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

जी हां, श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' लाला लाजपतराय अस्पताल, कानपुर में ६-३-६३ से भरती हैं उनकी अवस्था संतोषजनक है ।

**२—श्री देवदत्त मिश्र (अनुपस्थित)—

क्या सरकार राष्ट्रकवि की उत्तमोत्तम चिकित्सा और सेवा सुश्रूषा की व्यवस्था के लिये अविलम्ब उचित कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

श्री गयाप्रसाद शुक्ल 'सनेही' की उचित चिकित्सा एवं सेवा हो रही है ।

ललितपुर के स्वर्णकारों का प्रार्थना-पत्र

**३—श्री लखपत राम शर्मा (जिला झांसी) तथा श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि ललितपुर, जिला झांसी के स्वर्णकारों की तरफ से दिनांक २७ मार्च, १९६३ का कोई प्रार्थना-पत्र मुख्य मंत्री को प्राप्त हुआ है ? यदि यह सत्य है, तो सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रम मंत्री (श्रीमती सुचेता कृपालानी)—

श्रम विभाग में ऐसा प्रार्थना-पत्र अभी तक प्राप्त नहीं हुआ है । फिर भी स्वर्ण नियंत्रण आदेश से प्रभावित स्वर्णकारों को पुनर्वासित करने का भरसक प्रयत्न किया जा रहा है।

श्री लखपतराम शर्मा--

माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन यह करना चाहता था कि प्रश्न माननीय मुख्य मंत्री जी से पूछा गया था और माननीय मुख्य मंत्री जी को इस तरह का प्रार्थना-पत्र ललितपुर के स्वर्णकारों का मिला है, माननीय अध्यक्ष महोदय को भी नियम ५२ के अनुसार मिला था और उन्होंने भी उसको माननीय मुख्य मंत्री के पास भेज दिया था, और ललितपुर के स्वर्णकारों ने सीधे भी भेजा था, उसकी प्रतिलिपि मैंने दी थी, तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री के पास इस तरह का प्रार्थना-पत्र है.....

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्रम मंत्री जी ने जो जवाब दिया है उसके बारे में कोई बात कहनी हो तो कहिए .....

श्री लखपतराम शर्मा--

मुझे आपसे निवेदन यह करना था कि जब मुख्य मंत्री जी को वह प्रार्थना-पत्र भेजा गया और इसका उत्तर वह दे रही हैं तो उसकी कापी उनके पास होनी चाहिए थी।

श्री उपाध्यक्ष--

अब वह तो ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी है। अगर श्रम का होगा तो उन्हीं के पास जायगा।

श्री लखपतराम शर्मा--

तो माननीय मुख्य मंत्री जी ने आपको नहीं भेजा, ऐसा मुझे लगता है।

श्री उपाध्यक्ष--

यही हो सकता है। आप प्रश्न करिए।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं माननीया श्रम मंत्राणी जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि २७-३-६३ को माननीय मुख्य मंत्री जी को ललितपुर के स्वर्णकारों ने एक प्रार्थना-पत्र दिया है जिसमें उनसे यह निवेदन किया गया है कि महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने पांच प्रकार की सहूलियतें वहां के स्वर्णकारों को दी हैं --खेती के लिये जमीन दिये जाने की विशेष सुविधा उन्हें होगी.....

श्री उपाध्यक्ष--

जब वह उनको मिला ही नहीं है तो जवाब कैसे दे सकेंगी ?

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं माननीया श्रम मंत्राणी जी से यह निवेदन करूंगा कि जनता के हित में और स्वर्णकारों के हित में ललितपुर के स्वर्णकारों का जो प्रार्थना-पत्र माननीय मुख्य मंत्री जी के नाम आया है उसको शीघ्र से शीघ्र मंगाकर के जो सुविधायें महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों द्वारा स्वर्णकारों को दी गई हैं उसके मुताबिक उत्तर प्रदेश की सरकार भी सुविधायें देने के लिये कदम उठायेगी ?

श्रीमती सुचेता कृपलानी----

उपाध्यक्ष जी, चार छः दिन पहले इसी विषय पर यहां प्रश्न पूछे गये थे और मैंने सविस्तार उसका जवाब दिया था। मैंने यह कहा था कि गोल्ड कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन की तरफ से कुछ सुझाव आये हैं और बहुत से स्वर्णकारों की तरफ से भी हमारे पास दरख्वास्तें आयी हैं, इन सारी चीजों पर विचार किया जा रहा है कि किस ढंग से, किस-किस तरीके की सुविधायें हम इनको दे सकते हैं। लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ से इनको प्रायरिटीज एम्प्लायमेन्ट एक्सचेंज नाम भेजने में रजिस्ट्रेशन में देने के लिये सेंट्रल गवर्नमेन्ट से इजाजत मांगी गई है। इनके लड़कों को इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग देने के लिये भर्ती करने में प्रायरिटीज दी जायेगी और ४० लड़के भर्ती कर दिये गए हैं। इसके अलावा कुछ रकम एजूकेशन डिपार्टमेन्ट की तरफ से अलग रख दी गई है इनको मदद देने के लिये और उसके ऊपर दूसरे डिपार्टमेन्ट में विचार हो रहा है। इसके

अलावा इनकी कोआपरेटिव सोसाइटी बनाकर इनको इंडस्ट्री में लगाने के ऊपर तथा इस तरह के इन तमाम विषयों के ऊपर इंडस्ट्रीज डिपार्टमेन्ट और फाइनेंस डिपार्टमेन्ट तथा दूसरे कंसर्न्ड डिपार्टमेन्ट में सोच-बिचार किया जा रहा है। इनके अलावा दूसरे प्रान्तों में जो खास मदद दी गई जैसा कि बंगाल और गुजरात का जिक्र किया गया तो उनकी भी स्कीम्स मंगाई गई हैं ताकि उनके ऊपर भी हम विचार कर सकें।

श्री श्यामलाल--

जो मूल प्रश्न था उसमें था क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे ? तो श्रीमन्, इंडिविजुअल रेस्पांसिबिलिटी होती है और ज्वाइन्ट रेस्पांसिबिलिटी होती है।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय श्यामलाल जी, उस पर तो बात हो गई। आप सवाल करिए।

श्री श्यामलाल--

श्रीमन्, किस आधार पर वह कहते हैं कि उनको ललितपुर, झांसी के स्वर्णकारों का प्रार्थना-पत्र नहीं मिला ?

श्री उपाध्यक्ष--

श्रम विभाग को नहीं मिला यह कहा उन्होंने। और चूंकि वह मुख्य मंत्री जी को भेजा गया था तो श्रम विभाग को वह नहीं आया होगा।

श्री श्यामलाल--

क्या माननीय मंत्री जी बतायेंगे कि स्वर्ण नियन्त्रण कानून लागू हो जाने के बाद कितने स्वर्णकार उत्तर प्रदेश में बेरोजगार हो गये हैं और कितनों ने खुदकशी कर ली है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

कितने बेकार हो गये हैं इसके फीगर इकट्ठा किये जा रहे हैं। इम्पलायमेन्ट एक्सचेन्ज, कानपुर के पास जो फिगर पहुंचे हैं। उनसे यह मालूम हुआ है कि वहां पर ७८१ बेरोजगार हुए हैं। खुदकशी की हमारे पास कोई खबर नहीं है। अखबारों में कोई न्यूज ऐसी आई थी कि एक आदमी ने खुदकशी कर ली है। वह मैंने देखा था।

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)--

क्या माननीय मंत्राणी जी वह पत्र जो माननीय मुख्य मंत्री को भेजा बतलाया है तथा अन्य स्वर्णकारों के जो पत्र आये हैं उनको मंगाकर कंसीडर करेंगी ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

यह पत्र जैसे ही मेरे पास आयेंगे तो हम जरूर सोच बिचार करेंगे।

श्री लखपतराम शर्मा--

इस बात को देखते हुए कि प्रदेश में लोग बेरोजगार हो गये हैं और भूख से तड़प रहे हैं, और इस स्वर्ण नियंत्रण नियम के लागू होने के बाद उनको सुविधा देने के लिये, उनको रोटी रोजगार दिलाने के लिये जल्द से जल्द क्या जिलाधीश तथा अन्य विभागीय अधिकारियों को इस तरह के आदेश देगें कि जो सहूलियतें महाराष्ट्र और गुजरात की सरकारों ने दी हैं वह सहूलियतें जल्द से जल्द यहां भी प्रदान की जायं ?

श्री उपाध्यक्ष--

इसका जवाब हो गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्यों को सवाल करना चाहिये लेकिन माननीय सदस्य उसमें व्याख्यात्मक टिप्पणी और जोड़ देते हैं।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं सरकार से यह जानना चाहता हूं कि जो सुविधा स्वर्णकारों को दी जाने वाली है उनके लिये जिला अधिकारियों को आदेश देंगे ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इसमें फाइनेन्शल इम्पलीकेशन का सवाल है। फाइनेन्स जब हमें सोच समझकर बतलायेगा तो हम जल्दी ही उसको लागू कर देंगे।

श्री लखपतराम शर्मा--

मैं निश्चित समय जानना चाहता हूं कि किस समय तक उनको सहायता मिल जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

जब यह तय हो जायगा तो वह उसको लागू कर देंगे।

श्री कल्पनार्थसिंह (जिला गोरखपुर)--

मैं मंत्राणी जी से यह जानना चाहता हूं कि यह स्वर्णकार उद्योग में लगे हुए थे लेकिन उनको उस आदेश के द्वारा उद्योगहीन किया गया है तो वह कौन-कौन ऐसी आधारभूत बातें हैं जिससे श्रम मंत्राणी जी यह उचित समझें कि विभाग से अलग श्रम विभाग इसको अपने मातहत रखकर उनकी कठिनाइयों को देखेगा ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

जो अनइम्पलायमेन्ट के सवाल होते हैं उनको श्रम विभाग देखता है।

श्री कल्पनार्थसिंह--

वह श्रम विभाग के पास क्यों आया ?

श्री उपाध्यक्ष--

वह अनइम्पलायमेन्ट का मामला है, इसलिये श्रम मंत्राणी जी ने उसको डील किया।

श्री कल्पनार्थसिंह--

मैं यह जानना चाहता हूं कि एक उद्योग है और वह उद्योग सरकार ने अपने कब्जे में लिया .....

श्री उपाध्यक्ष--

उद्योग का काम जिस वक्त यह था तो उसको उद्योग विभाग करता था। अब वह श्रम मंत्राणी जी का काम रह गया है क्योंकि वे अनइम्पलाइड हो गये हैं। इसलिये श्रम विभाग अब उसको डील करता है।

श्री केशरीप्रसाद पाण्डेय (जिला जौनपुर)--

माननीय मंत्राणी जी ने कहा कि खुदकशी के कुछ केस अखबारों में रिपोर्ट हुए और उसको उन्होंने देखा। तो क्या माननीय मंत्राणी इस पर विचार करेंगी कि जिन परिवारों के लोगों ने खुदकशी की है उसकी जांच-पड़ताल करायें और कुछ ऐसी सहायता उनको दें जिससे आगे इन परिवार के लोगों को खुदकशी का शिकार न होना पड़े ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

मैं आपकी मार्फत माननीय सदस्यों को यह बतलाना चाहती हूं कि स्वर्णकारों को जो परेशानी है उसके लिये सरकार भी काफी चिन्तित है और हम लोग हर तरह से, सक्रिय ढंग से वह मसला कैसे सुलझाया जाय इसका चिन्तन कर रहे हैं और थोड़ी बहुत मदद जितनी हो सकती है, उसकी शुरूआत भी हमने कर दी है।

श्री कृष्णानन्द राय (जिला गाजीपुर)--

क्या माननीय मन्त्राणी जी यह बतलायेंगी कि स्वर्णकार जो हमारे प्रदेश के हैं वे एक प्रकार से टेक्निकल हैंड लेबर के हैं, और यह सारे प्रदेश और देश के स्वर्णकारों के बारे में कहा जा सकता है, वे सब आज बेकार हो गये हैं, तो जिस प्रकार से पंजाब में और महाराष्ट्र में सरकार उनको १४ कैरेट के सोने के गहने बनाने की टेक्निकल शिक्षा दे रही है उसी प्रकार का क्या कोई प्रबन्ध इस प्रदेश में भी किया जा रहा है ?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

इस समय कोई ऐसा प्रबन्ध नहीं है, मगर हमारे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स में और दूसरे किस्म की ट्रेनिंग्स में हम उनको खपाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

माननीय मन्त्राणी जी के उत्तर से सम्बन्धित। अभी आपने कहा कि कुछ दिन हुए यहां पर इसी सिलसिले में सवाल किया गया था। उस दिन के आपके जवाब के बाद और आज तक सरकार ने क्या कार्यवाही इस सिलसिले में की, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

उस दिन के सवाल के बाद अलग रकम रखी गयी जिससे विद्यार्थियों को मदद दी जा रही है। उस दिन के सवाल के बाद मैंने पर्सनली चीफ मिनिस्टर, बंगाल और चीफ मिनिस्टर, गुजरात से खतोकिताबत की। डिपार्टमेंट पहले से ही कर रहा था, मैंने खुद भी की और मुख्य मंत्री जी का ध्यान इस तरफ आकर्षित किया गया है ताकि कोई व्यवस्था की जाय, ताकि उन लोगों की मदद की जा सके।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, जैसा माननीय मन्त्री जी ने बतलाया कि उस दिन के प्रश्न में भी मन्त्री जी ने कई आश्वासन दिये थे कि स्वर्णकारों के बच्चों को सहायता दी जायगी, विद्यार्थियों को, और अगर उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेन्टेशन आयेगा तो उस पर विचार किया जायगा, उनका कोटा बढ़ाने की व्यवस्था की जायगी ताकि वह अपने गहने बना सकें। ऐसे सब आश्वासन दिये गये थे। लेकिन उसमें एक प्रेक्टिकल डिफिकल्टी यह है कि हालां कि मन्त्राणी जी लिबरल व्यू ले कर उनकी सहायता करना चाहती हैं लेकिन इस के लिये कोई प्रकाशन या विज्ञप्ति नहीं हुई है और मेरे पास बाराणसी से एक पत्र आया है जिसे मैं मन्त्राणी जी की सेवा में भेज दूंगा। तो चूंकि कोई प्रकाशन इस सम्बन्ध में नहीं है इसलिये जो लोग बेकार हैं, गरीब हैं, फायदा उठाने के काबिल हैं, सहायता चाहते हैं लेकिन उठा नहीं पा रहे हैं इसलिये कि....

श्री उपाध्यक्ष--

आप सवाल कीजिये।

श्री रक्षपालसिंह--

मैं माननीय मन्त्राणी जी से जानना चाहूंगा कि क्या वह इस बात की व्यवस्था करेंगी कि जो आश्वासन इस सम्बन्ध में यहां दिये गये हैं उनके प्रकाशन की व्यवस्था हो जाय ताकि जो लोग चाहते हैं वह उस से फायदा उठा सकें?

श्रीमती सुचेता कृपालानी--

सवाल इतना लम्बा था कि ठीक से मेरी समझ में नहीं आया। लेकिन अगर यह सवाल है कि स्वर्णकारों को possible इंडस्ट्रीज जो वह चालू कर सकते हैं, के बारे में पूरी इन्फार्मेशन दी जाय तो जो उनका एसोसियेशन है वह मुझ से मिला था और उनसे मेरी बात चीत डिटेल में हुई थी। और मैंने उनको बतलाया है कि वे स्माल इंडस्ट्रीज कारपोरेशन से और हमारे इंडस्ट्रीज डाइरेक्टोरेट से पूरी इन्फार्मेशन ले लें। अगर जरूरत हो तो कोई विज्ञप्ति भी निकाल दी जायगी। ऐसी कोई बात नहीं है कि वह न निकाली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

अब यह समाप्त हुआ।

अल्प सूचित प्रश्न को बाद में लेने पर आपत्ति

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)--

उपाध्यक्ष महोदय, एक व्यवस्था का प्रश्न है। मैंने एक बार अध्यक्ष महोदय से इस बात की प्रार्थना की थी कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न जो होते हैं वह बहुत महत्व के होते हैं और कभी-कभी नियम ५२ के और कामरोको प्रस्ताव के विषय भी इसमें ले लिये जाते हैं....

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये झारखंडे राय जी....

श्री झारखंडे राय---

आप मेरी बात सुन लीजिये। तो मैंने कहा था कि जो प्रश्न अल्पसूचित हैं उनको समाप्त करके आगे बढ़ा लीजिये। कभी एक दो सदस्य नहीं रहते हैं और सवाल महत्व का रहता है। तो उन्होंने कहा था कि मैं इस पर सोचूंगा और कोई उपाय करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि सनेही जी का जो सवाल है वह महत्वपूर्ण है, मरने जीने का सवाल है, इसलिये उसको ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

१४ मिनट इस सवाल में लग गये हैं।

श्री झारखंडे राय---

मेरा कहना यह है कि पहले आप मिश्र जी का सवाल ले लें। वह महत्वपूर्ण है और आज सदन उठने वाला है। उसके बाद फिर आगे चलें।

श्री उपाध्यक्ष---

जो रूल्स में प्रोवाइडेड है वह यह है कि जब यह सवाल समाप्त हो जायेंगे तभी उसको लिया जायगा।

श्री झारखंडे राय---

तो वह होगा नहीं। उन में ही समय बीत जायगा। इसलिये कि उन सवालों की तादाद बहुत ज्यादा है।

श्री उपाध्यक्ष---

अब इसको क्या करें।

(व्यवधान)

श्री राममूर्ति 'अंचल' (जिला शाजहांपुर)---

श्रीमन्, इस पर तो एक बार वाद-विवाद हो चुका है।

श्री उपाध्यक्ष---

यह जो पहले नम्बर का सवाल है, वह यदि हाजिर होते, तो वह कर दिया जाता। अब हम कायदे के खिलाफ कुछ नहीं कर सकते हैं।

श्री झारखंडे राय---

श्रीमन्, मैं प्रार्थना करता हूं कि इसकी व्यवस्था करनी होगी। इस पर कुछ न कुछ रूलिंग देनी ही चाहिये कि अगर कोई मेम्बर नहीं रहता है और उस प्रश्न पर कोई रुचि रखता है, तो उनको लेकर आगे बढ़ा जाय।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये, हम जो कर सकते हैं, और जिन बातों के ऊपर व्यवस्था दे सकते हैं, वह यह जो कि नियमों में नहीं है, लेकिन यदि वह नियमों में लिखी है, तो फिर हम व्यवस्था नहीं दे सकते हैं, उनको तो सदन को ही बदलना होगा।

श्री झारखंडे राय---

श्रीमन्, अगर आप चाहेंगे तो वह बदल सकते हैं। आज सदन समाप्त हो रहा है।

प्रश्नोत्तर (क्रमागत)

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, १९५८ के नियम ३९ (२) के अन्तर्गत प्राथमिकता दिये गये स्थगित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री चन्द्रबली सिंह (जिला देवरिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

जेड० ए० सी० के भूतपूर्व कर्मचारी

*२—श्री दयाराम शाक्य (जिला फर्रुखाबाद) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि जेड० ए० सी० के कितने ऐसे कर्मचारी हैं जिन्होंने विभाग में ३ साल तक सेवा की और अब सर्विस में नहीं हैं तथा इसके क्या कारण हैं ?

माल मन्त्री (श्री हुकुमसिंह बिसेन)—

कारण संलग्न टिप्पणी में दिये हैं।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १०५९ पर)

*३—श्री बृजेश्वर सहाय (जिला मैनपुरी)—

[८ वें बुधवार के लिये प्रश्न सं० ४१ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

गवर्नमेंट गर्ल्स नार्मल स्कूल, बांदा की प्रधान अध्यापिका के विरुद्ध शिकायत

*४—श्री मतोलासिंह (जिला बांदा) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को जानकारी है कि जिला बांदा में गवर्नमेंट गर्ल्स नार्मल स्कूल जो सन् १९६२ के जून मास में खोला गया है उसकी प्रधान अध्यापिका श्रीमती ऐबट हैं, वह स्कूल में रहती हैं और उन्हीं के साथ दो अध्यापिकायें ऐसी हैं जिसके पति युवा लड़के स्कूल के अन्दर रहते हैं तथा बाहर के मर्दों का आना जाना दस बजे रात तक रहता है जिसके कारण लड़कियों की बेपरदगी तथा चरित्र पर असर पड़ता है ?

शिक्षा मन्त्री (आचार्य जुगलकिशोर)—

प्रधानाध्यापिका श्रीमती एल० ऐबट छात्रावास से अलग स्कूल के अहाते में रहती हैं। उनके साथ कोई अन्य अध्यापिकायें अपने पति अथवा युवा लड़के के साथ नहीं रह रही हैं। १० बजे रात तक बाहर वालों का आना जाना नहीं रहता है।

*५—श्री मतोलासिंह (अनुपस्थित)—

क्या सरकार को यह भी जानकारी है कि स्कूल के नौकर व नौकरानियों से धौंस द्वारा ८ घंटे से अधिक १० बजे रात्रि तक काम लिया जाता है तथा अकारण दो हिन्दू नौकरानी व नौकर निकाल कर उनकी जगह मुसलमान नौकर रखे गये हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

कर्मचारियों से ८ घंटे से अधिक काम नहीं लिया जाता। दो कर्मचारियों को अकारण न निकाला गया है और न उनकी जगह पर मुसलमान नौकर रखे गये हैं।

*६—श्री मतोलासिंह (अनुपस्थित)—

प्रधान अध्यापिका स्वयं मेस में खाना खाती हैं और मुसलमान अध्यापिकाओं को भी खिलाती हैं तथा जो भी उनके साथ खाने में संकोच करती हैं उनके साथ वह अच्छा व्यवहार नहीं करतीं और इसी बुनियाद पर दो लड़कियों को निकाल दिया गया है ? क्या सरकार जांच कराने को तैयार है कि जो ग्रांट २८,००० रु० (अट्ठाइस हजार रु०) की दी गई है उसका अंधाधुंध अपव्यय किया गया और दुरुपयोग हुआ है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

प्रधानाध्यापिका तथा कोई भी अन्य अध्यापिकायें मेस में भोजन नहीं करते हैं । साथ में भोजन न करने के कारण दो लड़कियों के निकाले जाने का आरोप भी निराधार पाया गया है । २८,००० रु० के अनुदान से बिना पूर्व अनुमति के एक साइकिल तथा एक दीवार घड़ी खरीदी गई जो अनियमित है । इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक लेखा जांच करवा रहे हैं ।

*७--श्री श्यामलाल--

[हटा दिया गया ।]

रन्देवा ग्राम समाज की भूमि

*८--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मौजा रंदेवा, तहसील नकुड़, जिला सहारनपुर में खसरा नं० १, ४, ८, १२, ३५, ३६, ४६, २४५, २५३, २५४, २५०, २६३, २७२, २७३, २७५, ३०१, ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ३१३, ३१६, ३३२, ३४१, ४०४, ४२५, ४२८, ४२९, ४३०, ४८८ तथा ४९२ धर्तों का मालिक कौन है और मौके पर काश्तकार कौन-कौन हैं ?

माल मन्त्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--

सूचना सदन की मेज पर प्रस्तुत है ।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १०६०-१०६१ पर)

*९--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ऊपर लिखे खसरा नम्बरान की कुल जमीन कितनी है और रन्देवा ग्रामसमाज के पास जो कुल जमीन है उसमें यह नम्बरान भी सम्मिलित हैं या नहीं ?

श्री बृजबिहारी--

३६७ बीघा । खसरा नम्बर २५०, २५३ और ३४१ पूरे तथा ३०८, ३०९, ३१०, ३११, ४०४ और ४२५ के कुछ भाग रन्देवा ग्रामसमाज की कुल जमीन में सम्मिलित हैं ।

*१०--श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या सरकार यह भी बतायेगी कि ऊपर कहे खसरा नम्बरान के बारे में केस नं० ८०/१९५९ अदालत ए० डी० ओ० नकुर, तारीख १७ सितम्बर, १९६० रेवेन्यू अपील नं० १७०/१९६०, तारीख १९ जुलाई, १९६१ तथा पिटीशन नं० २६० (८) ०/६१-६२ एस० आर० ई० जिसका फैसला २७ अप्रैल, १९६२ को हुआ इत्यादि के होने के बाद अब क्या कार्यवाही हो रही है ?

श्री बृजबिहारी--

विरोधी पक्ष ने राजस्व परिषद् में दूसरी अपील दायर कर रक्खी है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय राजस्व मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि सवाल ८ के अन्दर जिन खसरा नम्बरों का जिक्र किया गया है, व सवाल १० के सिलसिले में जो मुकद्दमे चले हैं, उसके अन्दर अदालतों ने यह तय किया है कि तमाम नम्बर ग्रामसमाज की मिलकियत हैं ?

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, जो निर्णय हुआ है, उसकी अपील हुई और उसके बाद अपील भी खारिज हो गई है और रिवीजन पेंडिंग है ।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जैसा पहले एस० डी० एम० ने तय किया, फिर कमिश्नर ने तय किया, उसके बाद हाई कोर्ट ने तय किया और उन तीनों का एक मत था कि तमाम नम्बरान जो खसरा के हैं, यह सारे ग्राम पंचायत की मिलकियत हैं। लेकिन यह कब तक एस० डी० एम० के म्यूटेशन के लिये रोक रखा गया है? यदि नहीं हो सकता है, तो किन कारणों से नहीं हो सकता है?

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, प्रश्न यह है कि जब कोई अपील दाखिल हो जाती है, और कार्यवाही आगे नहीं हो सकती है, तो हाकिम परगना कितने दिन रखेगा। यह है। वह प्रश्न नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर--

क्या माननीय मन्त्री जी बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्न संख्या १० के सिलसिले में यह बताया कि फिर से अपील दाखिल हो गई है, वह कौन सी तारीख को दाखिल हुई है, जबकि हाई कोर्ट का फैसला २७ अप्रैल, १९६२ को हुआ था?

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, उसके लिये सूचना की आवश्यकता होगी। तारीख का पता नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतायेंगे कि जब कि यह मामला हाई कोर्ट से तय हो जायगा और आप कहते हैं कि इसकी अपील दाखिल है, तो क्या वह सुप्रीम कोर्ट में दाखिल है? और इस मामले के लिये कोई स्टे आर्डर दिया गया है कि उसमें अमल दरामद न की जाय और जिसके लिये कि हाई कोर्ट ने फैसला कर दिया है?

श्री बृजबिहारी--

श्रीमन्, मैंने निवेदन किया कि हाई कोर्ट के फैसले के बजाय बल्कि बोर्ड आफ रेवेन्यू में अपोजिट पार्टी ने सेकेन्ड अपील दाखिल की जो कि वहां पर डिसमिस हो गई। उसके बाद रेस्टोरेशन एप्लिकेशन दे दी गई है। उसका रिवीजन पेंडिंग है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतायेंगे कि बोर्ड के अन्दर जब उन्होंने अपील दिया तो बोर्ड को हक है कि हाई कोर्ट के फैसले को जिसमें लिखा हुआ है कि इन प्लाटों का अमलदरामद ग्रामसमाजों के नाम से कर दिया जाय, वह उस आदेश के अनुसार अमलदरामद न होने दे और उसे रोके?

श्री बृजबिहारी--

मैंने निवेदन किया कि यह मामला हाई कोर्ट में गया या नहीं, मुझे पता नहीं है। मैंने बताया कि बोर्ड के अन्दर अपील पेंडिंग है, जब तक फैसला न हो जायगा तब तक कतई फैसला नहीं है, इसलिए अमल-दरामद नहीं हो सकता है।

श्री जगदम्बाप्रसाद (जिला फैजाबाद)--

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बोर्ड से अगर कोई स्टे आर्डर ईश्यू नहीं हुआ है तो बीच में उस कार्यवाही को रोकने का किस प्रावीजिन आफ ला के अन्दर विधान है?

श्री बृजबिहारी--

जब तक फैसला नहीं होगा तब तक आर्डर फाइनल नहीं होगा और न अमल-दरामद हो सकता है। अपील पेंडिंग है, इसलिए स्टे आर्डर का प्रश्न नहीं है।

श्री कल्पनाथसिंह--

हाई कोर्ट के फैसले के बाद बोर्ड में जो अपील गयी है, बोर्ड ने कोई ऐसा आदेश जारी किया है कि हाई कोर्ट के फैसले का इम्पलीमेंटेशन तब तक न हो जब तक बोर्ड का फैसला न हो जाय?

श्री बृजबिहारी---

मैंने निवेदन कर दिया कि हाई कोर्ट के फैसले का मुझे इल्म नहीं है। अगर हाई कोर्ट का कोई फैसला हो तो उसकी जानकारी माननीय सदस्य हमें करा दें, हम गौर करेंगे।

श्री यशपालसिंह बर्नी (जिला सहारनपुर)---

ये मुकदमात कोर्ट में चले, कोर्ट ने फैसला दिया कि यह भूमि सब की सब ग्राम पंचायत की है। इसी दौरान में एस० डी० एम० ने इन मालिकों को भूमिधरी हकूक दे दिये, तो मेरा निवेदन है कि क्या वह बतलाने की कृपा करेंगे कि इन व्यक्तियों को भूमिधरी हकूक कब दिये गये ?

श्री बृजबिहारी---

इसकी सूचना की आवश्यकता होगी।

श्री ब्रह्मदत्त माथुर---

यह रंदेश गांव जो है, वहां के महन्त जगन्नाथदास जी कांग्रेस के एम० एल० ए० रहे, उन्होंने, जिस भूमि की तालिका दी हुई है वह निजी तौर पर इन लोगों को दे दी और १० गुना देने पर उनको एस० डी० एम० ने भूमिधरी राइट दे दिये, तो क्या मंत्री जी इसकी जानकारी प्राप्त करने की कृपा करेंगे और मुनासिब कार्यवाही करेंगे ?

श्री बृजबिहारी---

अगर माननीय सदस्य मुझे लिख कर दे देंगे तो मैं जांच करा लूंगा।

फतेहपुर जिले में सड़कों का निर्माण

*११---श्री दीपनारायण सिंह (जिला फतेहपुर) (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला फतेहपुर की कुल पक्की सड़कों की लम्बाई व उक्त जिले के क्षेत्रफल व आबादी से उसका अनुपात क्या है और नागपुर-योजना लक्ष्य को पूरा करने के लिए जिला फतेहपुर में अब तक क्या कदम उठाये गये ?

सार्वजनिक निर्माण मंत्री (श्री गिरधारीलाल)---

इस जिले में मार्च, १९६२ में लगभग २२० मील पक्की सड़कें थीं क्षेत्रफल के अनुपात से, वहां ०·१३६ मील सड़क प्रति वर्गमील है आबादी के अनुपात से, वहां ०.२०५ मील सड़क प्रति हजार जन-संख्या के अनुपात से है। नागपुर योजना के लक्ष्य को पूरा करने के लिये इस जिले में १९४७ से मार्च, १९६१ तक १७ मील नई सड़कों का निर्माण पूर्ण किया गया है। ३५ मील ४ फर्लांग अन्य सड़कों पर कार्य चालू है।

*१२---श्री दीपनारायणसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र नं० २९७, किशुनपुर की पक्की सड़कों का उस क्षेत्र से अनुपात बताने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

विभाग में सड़कों की सूचना जिलेवार रखी जाती है न कि निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार। इसलिये यह सूचना विभाग में उपलब्ध नहीं है।

*१३---श्री दीपनारायणसिंह (अनुपस्थित)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र के यातायात के साधनों के अभावों को दृष्टि में रख कर धाता (जो ब्लाक सेन्टर है) व खरेरू (जो थाना केन्द्र है) जैसे महत्वपूर्ण स्थानों को इसी बजट-वर्ष में या अगले साल धाता (तहसील केन्द्र) व सिराथू से पक्की सड़कें बनवाकर नत्थी कराने की कृपा करेंगे ?

श्री गिरधारीलाल---

जी नहीं। धनाभाव के कारण इन सड़कों का निर्माण तृतीय योजना काल में संभव नहीं है।

ज्ञानपुर तहसील में हरिजन अमीन

*१४—श्री हरिगैनराम (जिला वाराणसी) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी जिले के ज्ञानपुर तहसील में सीजनल अमीनों का चुनाव दिनांक १४ दिसम्बर, १९६२ को हुआ था? उसमें कुल कितने प्रार्थी थे और उसमें कितने हरिजन प्रार्थी थे तथा उसमें कुल कितने अमीन नियुक्त किये गये तथा उसमें कितने हरिजन हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। उसमें कुल ५१ प्रार्थी थे जिनमें से ३ हरिजन प्रार्थी थे। कुल ७ अमीन नियुक्त किये गये जिनमें हरिजन १ है।

इलाहाबाद जिले में जी० टी० रोड पर अनधिकृत निर्माण

*१५—श्री बंशीलाल (जिला इलाहाबाद)—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला इलाहाबाद के अन्तर्गत जी० टी० रोड पर झूंसी, सराय इनायत, हनुमानगंज, सैदाबाद, हंडिया, बरौथ, भीटी में खास रोड के ऊपर लोग छप्पर डाल-डाल कर पक्की इमारत दिन रात में बना-बना कर सड़क की पटरी को घेर लिया है जिससे आवागमन अवरुद्ध होता जा रहा है और ट्रैफिक से दुर्घटना होती जा रही है।

परिवहन मंत्री के सभासचिव (श्री गनेशीलाल चौधरी)—

जी हां, इस सड़क पर अनधिकृत निर्माण हुये हैं, जिनको हटाने के लिये विभाग तथा जिला अधिकारी दोनों प्रयत्नशील हैं।

श्री बंशीलाल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि झूंसी से भीटी तक अब तक कितने मकान बन चुके हैं और कितने दिनों से यह बन रहे हैं?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

लगभग ६३० मकान हैं जो अनअथाराइज्ड तरीके से बने हैं। यह ३ साल से अधिक के हैं।

श्री बंशीलाल—

इन मकानों को हटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री गनेशीलाल चौधरी—

उसके लिये सरकार ने प्रयत्न किया है, १० ऐसे मकानों को हटाया भी गया है, बाकी के लिये सरकार प्रबन्ध कर रही है।

श्री सत्यनारायण पांडेय (जिला इलाहाबाद)—

६०० के करीब ३ साल के अन्दर मकान लोगों ने बनाये और आप केवल १० ही अब तक हटा पाये। तो क्या सरकार इनको हटाने के लिये कोई विशेष प्रबन्ध करेगी और अब जब वह बन रहे थे तभी क्यों नहीं रोका गया?

श्री गिरधारीलाल—

पी० डब्लू० डी० की सड़कों के इर्द-गिर्द इस प्रकार का एन्क्रोचमेंट होता है। जब ऐसा होता है तो उसकी इत्तला जिलाधीश को दी जाती है और फिर जिलाधीश उनको हटाने के लिये कानून के मातहत कार्यवाही करते हैं। अभी करीब १० ही हट पाये हैं, बाकी को हटाने की कोशिश हो रही है।

श्री राजेन्द्रसिंह---

यह जो सड़कों पर एन्क्रोचमेंट होता है वह इसलिये होता है क्योंकि सड़कों के बार्डर पर कोई बाउन्ड्री लाइन आदि नहीं होती है जिससे यह पता चल सके कि कहां तक सड़क है। इस वजह से यह दिक्कत होती है। तो क्या सरकार सभी सड़कों पर किसी प्रकार की बाउन्ड्री लाइन करवायेगी जिससे लोगों को यह पता चल सके कि यहां तक सड़क की हद है ?

श्री गिरधारीलाल---

दोनों तरफ बाउन्ड्री पोस्ट तो होती हैं, नाली भी खुदी रहती हैं, मगर फिर भी जब लोगों की नीयत खराब होती है तो वे बना लेते हैं।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)---

क्या सरकार इस प्रकार की कोई ठोस कार्यवाही अब करने जा रही है जिससे कि भविष्य में इस प्रकार के मकान न बन पायें ?

श्री गिरधारीलाल---

अगर इस पर पूरी रोशनी डाली जाय तो हित में न होगा। लेकिन फिर भी काफी कोशिश इस बात की की जा रही है कि भविष्य में इस प्रकार के मकान आदि न बन पायें।

श्री कल्पनाथसिंह---

जो जिलाधीश को इस सम्बन्ध में आदेश गये हैं उसमें कौन-कौन सी मुख्य बातें कही गयी हैं इसको रोकने के लिये, क्योंकि यह समूचे प्रदेश में पी० डब्लू० डी० की सड़कों पर इन्क्रोचमेंट बढ़ता जा रहा है ?

श्री गिरधारीलाल---

यह कोई आदेश यहां से नहीं दिये गये। हर जिले के अन्दर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर, जब भी ऐसी चीज होती है, जिलाधीश को उसकी इत्तला भेजता है, और उनके पास रेन्ट कंट्रोल ऐक्ट के अनुसार कुछ पावर्स होती हैं और वे उसके अनुसार कार्यवाही करते हैं।

सैदपुर तहसील में प्राइमरी पाठशालायें

*१६---श्री झिलगिटराम (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला गाजीपुर के सैदपुर तहसील में १९६०-६१, १९६१-६२ में किन-किन स्थानों पर बेसिक प्राइमरी पाठशाला सरकार द्वारा कायम की गयी ?

शिक्षा उपमंत्री (श्री केशभान)---

तहसील सैदपुर में १९६०-६१ में ६ प्राइमरी पाठशालायें तथा १९६१-६२ में २५ प्राइमरी पाठशालायें सरकार द्वारा कायम की गईं, जिनकी सूची संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०६२ पर)

*१७---श्री झिलगिटराम---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त पाठशालाओं के बनाने के लिए अलग-अलग कितनी-कितनी रकम दी गयी और किन-किन पाठशालाओं की इमारतें बन कर तैयार हो गयी हैं ?

श्री केशभान---

सन् १९६०-६१ में खोले गये उक्त पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु सरकार ने कोई धन नहीं दिया। सन् १९६१-६२ में खोले गये १५ पाठशालाओं के भवन निर्माण हेतु प्रत्येक को शिक्षा विभाग द्वारा १,००० रु० तथा ब्लाक विकास फंड द्वारा १,५०० रु० दिया गया। निर्मित भवनों की सूची संलग्न है।

(देखिए नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १०६२ पर पर)

*१८—श्री झिलमिटराम—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जखनिया ब्लाक की ग्राम सभा जलालाबाद के खजुवा ग्राम में बेसिक प्राइमरी पाठशाला १ दिसम्बर, १९६१ से प्रारम्भ है और उसे बनाने के हेतु १,५०० रु० गया? क्या उसकी इमारत बन कर तैयार हो गयी है? यदि नहीं, तो क्यों और उसकी जिम्मेदारी किस व्यक्ति पर है?

श्री केशभान—

कथित पाठशाला के भवन के लिए भूमि उपलब्ध न हो सकने के कारण निर्माण-कार्य अभी शुरू नहीं किया जा सका।

किसी व्यक्ति विशेष की जिम्मेदारी का प्रश्न नहीं उठता।

श्री झिलमिटराम—

क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि खजुवा ग्राम की पाठशाला को, जो १-१२-६१ से प्रारम्भ है, बनाने के लिये १,५०० रुपया किस व्यक्ति को दिया गया और भवन के लिये भूमि उपलब्ध न होने का क्या कारण है?

श्री केशभान—

उसके लिये भूमि प्राप्त नहीं थी। चकबन्दी हो रही है और लोगों को यह आशा है कि इससे भूमि मिल जायगी। आशा है कि १ महीने में भूमि मिल जायगी और निर्माण का कार्य आरम्भ हो जायगा।

श्री झिलमिटराम—

बरेली के उक्त ग्राम से गांव समाज की भूमि रहते हुए भी पाठशाला के लिए भूमि क्यों नहीं ली गई?

श्री केशभान—

सूचना की आवश्यकता है। लेकिन अन्दाज यह लगाया जा सकता है कि ग्राम समाज के पास अच्छी भूमि न रही हो, जो इस काम के लिय सुन्दर हो।

श्री छांगुर (जिला आजमगढ़)—

जैसा सूची देखने से विदित होता है कि २५ पाठशालाओं में से केवल १३ का निर्माण हुआ, तो अन्य पाठशालाओं का निर्माण क्यों नहीं हुआ जब कि यह रुपया १९६१ में दिया है?

श्री केशभान—

मैटीरियल नहीं मिल पाया होगा, परन्तु इसकी सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि १९६०-६१ और १९६१-६२ में जो २१ प्राइमरी पाठशालायें खोली गई हैं इनमें से लड़कियों के लिये कितनी हैं?

श्री केशभान—

सूचना की आवश्यकता है।

श्री कल्पनाथसिंह—

मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है कि क्या कोई मंत्री अनुमानित उत्तर दे सकता है कि होंगे।

श्री उपाध्यक्ष—

क़ायदा तो यही है कि उत्तर डेफ़ीनिट होना चाहिये। अगर उनके पास सूचना नहीं है तो यह वह कह सकते हैं कि नोटिस चाहिये।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

क्या मंत्री जी विचार करेंगे कि सुन्दर भूमि न मिले और कोई खराब भूमि ही मिले तो उसी पर स्कूल बनवाया जा सकता है?

श्री केशभान---

सुन्दर भूमि से मतलब उपयुक्त भूमि है ।

श्री छांगुर---

रुपये देते समय क्या यह विचार नहीं किया गया कि भूमि है या नहीं और यह रुपया काम में लाया जा सकता है या नहीं, और किस आधार पर दिया गया ?

श्री केशभान---

एक-एक विद्यालय के लिये तो सूचना दी जा सकती है । जनरल अन्दाज़ में नहीं बता सकता हूं, आपने भी कह दिया है ।

मथुरा जिले में यमुना पर शेरगढ़ पुल का निर्माण

*१९---श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिले के शेरगढ़ पर जमुना में पीपे का पुल बनाने में अब तक क्या प्रगति हुई ? क्या मंत्री जी ने सदन में यह उत्तर दिया था कि लोहे का अभाव है पीपे का पुल जल्दी बनाया जायगा ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

इस पुल के निर्माण की इस समय ५० प्रतिशत प्रगति है । जी हां, लोहे के अभाव के कारण इस पुल के निर्माण में कुछ विलम्ब हुआ है ।

*२०---श्री लखीसिंह---

क्या यह सत्य है कि वृन्दावन तथा शेरगढ़ पर अभी तक पुल बनाने को एक भी पीपा नहीं भेजा गया है ? यदि हां, तो उक्त पुलों को बनाने के लिए क्या-क्या योजना है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

इन पुलों के पीपे कारखाने में बनाये जा रहे हैं और इनका ५० प्रतिशत कार्य पूरा हो गया है । इन पुलों के लिये सब पीपे बन जाने पर बृन्दावन तथा शेरगढ़ में लगाने के लिये भेजे जायेंगे ।

श्री लखीसिंह---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि ५० प्रतिशत प्रगति जो हुई है वह किस-किस काम में हुई है ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

पीपों के बनाने में जो कारखाने बन रहे हैं ।

श्री लखीसिंह---

अब तक कितने पीपे कारखाने में बन चुके हैं ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

जैसा मैंने कहा, ५० फीसदी काम पीपों के बनने का हो चुका है, बाकी बन रहे हैं ।

श्री राजेन्द्रसिंह---

बाकी काम पूरा होकर यह पुल कब तक पूरा हो जायगा ?

श्री गनेशीलाल चौधरी---

यह आशा की जाती है कि बरसात के बाद नवम्बर में पुल बन कर तैयार हो जायगा ।

भूसाडोही में तकावी की माफी

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—

क्या राजस्व मंत्री २१ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ३ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि तकावी नियमावली के नियम २३० (बी) के अन्तर्गत तहसीलदार की जांच आयुक्त, गोरखपुर को प्राप्त हो गयी ? यदि हां, तो आयुक्त को क्या आदेश हुआ ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, परन्तु आयुक्त, गोरखपुर ने तकावी में छूट देने में असमर्थता प्रकट की।

शाहपुर ग्राम की परती भूमि

*२२—श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम शाहपुर, तहसील मंझनपुर, जिला इलाहाबाद में कुल कितनी भूमि परती पड़ी है और एक ग्राम सभा में नियमानुकूल जितनी परती जमीन भूमि कम से कम होनी चाहिए उस हिसाब से उक्त ग्राम सभा के लिए कितनी भूमि अपेक्षित है ?

श्री बृजबिहारी—

इस ग्राम में ३०५ बीघा १३ बिस्वा २ धुर भूमि परती एवं बंजर है। वहां योजना कार्यों के लिये कम से कम ४६६ बीघा १७ बिस्वा १६ धुर भूमि सुरक्षित होनी अपेक्षित है। इससे अधिक भी गांव सभा सुरक्षित रख सकती है।

*२३—श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या सरकार हिसाब से अधिक परती भूमि को उक्त ग्राम के भूमिहीन किसानों में वितरित करने की किसी योजना पर विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक यह योजना कार्यान्वित होगी ?

श्री बृजबिहारी—

जी नहीं। वहां अधिक भूमि है ही नहीं। अतएव यह प्रश्न नहीं उठता।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जितनी जमीन ग्राम समाज में बाकी दिखाई है इसमें तालाब और झील की जमीन भी सम्मिलित है ?

श्री बृजबिहारी—

इसमें सब भूमि सम्मिलित हैं।

श्री नाथूराम शिक्षक—

ग्राम शाहपुर में कृषि योग्य भूमि कितनी है और कितने रक़बे में कृषि हो रही है ?

श्री बृजबिहारी—

नोटिस चाहिये।

श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि सम्पूर्ण प्रदेश में प्रत्येक ग्राम में कुछ न कुछ परती भूमि पड़ी हुई है जिसमें कुछ खेती के काबिल भी है परन्तु गांव समाज खेती नहीं कर सकता, तो उसमें पेड़ पौधे लगाने का आदेश जारी करेंगे ?

श्री बृजबिहारी—

कोई ऐसे आदेश की आवश्यकता नहीं है। गांव समाज का यह कर्तव्य है।

श्री नाथूराम शिक्षक—

क्या माननीय मंत्री अपने उत्तर से सम्बन्धित यह बताने की कृपा करेंगे कि उक्त गांव में कितनी भूमि कृषि योग्य पड़ी हुई है, उसे ग्राम सभा काम में नहीं लाना चाहती है और न स्वयं ला रहे हैं, तो कोई विशेष आज्ञा देंगे कि उस भूमि को भूमिहीनों को बांट दिया जाय ?

श्री बृजबिहारी---

यदि कोई इस प्रकार रिप्रेजेन्टेशन होगा तो उस पर विचार किया जायगा और आदेश जारी किये जायेंगे।

श्री रक्षपालसिंह---

इस गांव सभा में एक बहुत बड़ी झील है। यदि उसमें बंधा बांध दिया जाय तो बहुत सी खेती योग्य भूमि निकल सकती है तो क्या सरकार गांव सभा के प्रधान को ऐसा करने के लिये लिखेगी तथा उसके ऊपर कोई ऐसी रोक न लगायेगी जिससे वह जमीन बिना जमीन वालों को दी जा सके ?

श्री बृजबिहारी---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी।

श्री कल्पनाथसिंह---

क्या माननीय राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि ३०० एकड़ जमीन जो परती पड़ी हुई है, उस पर इस आपत्काल में खेती कराये जाने के आदेश देने की कृपा की जायगी ?

श्री बृजबिहारी---

मैंने निवेदन किया कि कायदे के अन्दर कुछ भूमि हर गांव समाज में सुरक्षित रखी जाती है, ऐसी भूमि पर खेती कराने के आदेश देना उचित नहीं है।

श्री जगदम्बाप्रसाद---

क्या माननीय राजस्व मंत्री जी को इस बात की जानकारी है कि प्रदेश की गांव सभाओं के नाम जो जमीन लिखी हुई है वह केवल कागज पर ही है लेकिन मौके पर वह नहीं है, लेखपाल और ग्राम प्रधान के जरिये से उसका दुरुपयोग हो रहा है ? क्या ऐसी जमीन को बचाने के लिये सरकार कोई आवश्यक कदम उठायेगी ?

श्री बृजबिहारी---

ऐसी कोई सूचना सरकार को नहीं है। यदि कोई माननीय सदस्य ऐसी कोई सूचना लिख कर देंगे तो उस पर अवश्य ही कार्यवाही की जायगी।

*२४---श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

[५ वें शुक्रवार के प्रश्न संख्या ४९ के अन्तर्गत उत्तर दिया जा चुका है।]

संस्कृत विद्यालय, कालपी को अनुदान

*२५---श्री शिव सम्पति शर्मा (जिला जालौन)---

क्या सरकार को ज्ञात है कि श्री वेदव्यास की तपोभूमि कालपी, जिला जालौन एक संस्कृत विद्यालय का संचालन कुछ संभ्रान्त व्यक्तियों की देख-रेख में था जिसकी आवश्यकता की पूर्ति के लिये वह एक निश्चित धनराशि अनुदान के रूप में हर वर्ष देना स्वीकार करती थी ? यदि हां, तो कितनी ?

श्री केशभान---

जी हां।

सहायता प्राप्त संस्कृत विद्यालयों को अनुपालन अनुदान शिक्षा संहिता के अनुच्छेद ३२१ (iii) के अन्तर्गत उल्लिखित नियमों के अनुसार दिया जाता है। वर्ष १९६२-६३ में इस विद्यालय को १,७२८ रु० अनुपालन अनुदान सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है।

*२६---श्री शिवसम्पति शर्मा---

इस समय क्या इस विद्यालय को उक्त अनुदान मिल रहा है ? यदि नहीं, तो इसके न मिलने का क्या कारण है ? आवश्यकता को देखते हुये क्या सरकार इस मामले पर उदारतापूर्वक विचार करते हुये प्रारम्भिक स्तर पर जो धन देती थी उसे वह देगी ? यदि नहीं, तो इसमें सरकार को क्या कठिनाई है ?

श्री केशभान—

जी हां। वर्ष १९६२-६३ में १,७२८ रुपया अनुपालन अनुदान सरकार द्वारा स्वीकार किया गया है। प्रश्न नहीं उठता।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि सन् १९६२–६३ से पहले तीन सालों में इस संस्था को कितना अनुदान दिया गया ?

श्री केशभान—

सन् १९५८-५९ से १९६१-६२ तक प्रत्येक वर्ष १,२२४ रुपया दिया गया।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि सबसे अधिक ग्रान्ट इस संस्था को किस सन् में दी गयी और कितनी दी गयी ?

श्री केशभान—

सूचना के अनुसार सन् १९५५-५६ में २,१४८ रुपया दिया गया।

श्री शिवसम्पति शर्मा—

क्या सरकार बतायेगी कि अनुदान कम करने का क्या कारण है जब कि यह संस्था अपना काम बराबर ठीक करती जा रही है ?

श्री केशभान—

अध्यक्ष महोदय, अनुदान नियमों के अनुसार दिया जाता है। जो किसी संस्था की मान्य आमदनी होती है तथा जो मान्य खर्चा होता है, उन दोनों में जो अन्तर होता है वह अथवा मान्य खर्चे का आधा, जो भी कम होता है, वह दिया जाता है। इन वर्षों में जो मैनेजर्स रिटर्न आये होंगे उन्हीं के अनुसार दिया गया होगा।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

मेरा सवाल यह है कि जो संस्कृत पाठशालायें हैं उनका कोई वर्गीकरण आपने किया है या नहीं किया है ? यदि किया है तो यह पाठशाला किस वर्ग में आती है और उसके अनुरूप आपने उसको अनुदान दिया है या नहीं, इसकी सूचना माननीय मंत्री जी सदन को देने की कृपा करेंगे ?

श्री केशभान—

यदि लिख कर सूचना मांगी जायगी तो सूचना देंगे।

मैनपुरी जिले में कलेक्शन अमीन

*२७—श्री सूबेदारसिंह (जिला मैनपुरी)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि तृतीय बैंच के कलेक्शन अमीनों के कन्फर्मेशन सरकार कब तक करने का विचार कर रही है ? इस समय उनके कन्फर्मेशन के सम्बन्ध में सरकार के समक्ष क्या कठिनाई है ?

श्री बृजबिहारी—

तृतीय बैंच के अमीनों के कन्फर्मेशन के सम्बन्ध में शासकीय आदेश जारी हो चुके हैं।

*२८—श्री सूबेदारसिंह—

मैनपुरी जिले में तहसीलवार पृथक-पृथक कितने उक्त कलेक्शन अमीन हैं, जिनके कन्फर्मेशन अभी तक नहीं हो पाये हैं ?

श्री बृजबिहारी--

तहसीलवार पृथक-पृथक कलेक्शन अमीनों की संख्या जो अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाये हैं नीचे दी जाती है--

मैनपुरी	..	३
शिकोहाबाद	..	२
भोगांव	..	५
जसरथा	..	४
करहल	..	१
		१५

*२९---श्री सूबेदार सिंह--

क्या कलेक्शन अमीनों को रविवार आदि की छुट्टियां दी जाती हैं ? यदि नहीं, तो क्या इसके लिये उन्हें कोई विशेष भत्ता दिया जाता है ? आकस्मिक एवं बीमारी आदि की छुट्टियों के लिये उनके साथ कौन से नियम बरते जाते हैं ?

श्री बृजबिहारी---

जी हां । विशेष भत्ते का प्रश्न नहीं उठता । बीमारी आदि की छुट्टियों के लिये उनके साथ अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति नियम बरते जाते हैं ।

श्री सूबेदार सिंह---

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि जो अमीन अभी तक कन्फर्म नहीं हो पाये हैं वे क्यों नहीं हो पाये हैं और कब तक हो जायेंगे ?

श्री बृजविहारी---

ऐसे कुल अमीनों की संख्या २९ हैं जिनमें से १४ अमीन कन्फर्म हो गये हैं और १३ अमीन ऐसे हैं जिनका फैसला होना अभी बाकी है । उन १३ अमीनों के विरुद्ध उनके कैरेक्टर रोल में कुछ ऐडवर्स रिमार्क्स हैं । बाकी २ अमीन हैं उनकी नियुक्ति २९ जनवरी, १९६३ को हुई है और अगर उनका काम ६ महीने तक संतोषजनक होगा तो वे लोग भी कन्फर्म हो जायेंगे । इस प्रकार १५ अमीन ऐसे हैं जिनके बारे में अभी निर्णय होना बाकी है ।

श्री सूबेदारसिंह---

श्रीमन्, प्रैक्टिकली देखा गया है कि सरकारी कर्मचारियों को छुट्टी देने का जो नियम है, वह आम तरीके से नहीं बरता जाता है और उनको छुट्टी नहीं दी जाती है, तो क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई आदेश जारी करने की कृपा करेगी कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति इन लोगों को भी छुट्टी दी जाय ?

श्री बृजबिहारी---

श्रीमन्, मैंने अपने उत्तर में निवेदन किया कि अन्य सरकारी कर्मचारियों की भांति इनको भी छुट्टी देने का आदेश नियमों में लिखा हुआ है । अगर कोई विशेष बात कहीं की कही जाय तो उस पर कार्यवाही की जा सकती है ।

श्री सूबेदारसिंह---

हम लोग जो मैनपुरी के हैं सभी ने सरकार को लिख कर नोटिस दिया है कि भोगांव के एक अमीन को मेडिकल लीव नहीं दीगयी और उस अमीन की मृत्यु हो गई, तो सरकार उस केस के बारे में विशेष जांच करवाने की कृपा करेगी ?

श्री बृजबिहारी---

इसके लिये नोटिस की आवश्यकता होगी ।

फतेहगढ़ राजकीय इण्टर कालेज के अस्थायी अध्यापक

*३०—श्री राजेन्द्रसिंह यादव (जिला फर्रुखाबाद)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि प्रदेश में राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में १० वर्षों से अधिक हुये कार्य कर रहे अध्यापकों को स्थायी पद पर नियुक्त न करने का क्या कारण हैं और ऐसे अध्यापक कितने हैं ?

*३१—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि फर्रुखाबाद जिले में फतेगढ़ राजकीय इंटर कालेज में ऐसे कितने अध्यापक हैं जो १० वर्ष से अधिक हुये कार्य कर रहे हैं और पब्लिक सर्विस कमीशन से भी चुने जा चुके हैं किन्तु उनको स्थायी पद नहीं प्राप्त हुआ ?

श्री केशभान—

सूचना एकत्र की जा रही है ।

श्री राजेन्द्रसिंह यादव—

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न नं० ३१ का उत्तर देने में क्या दिक्कत है, क्योंकि उसमें तो केवल एक ही जिले की सूचना मांगी गई है ?

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो उन्होंने कहा कि सूचना एकत्रित की जा रही है, इस पर आप कोई सवाल करना चाहें तो कर लीजिये ।

श्री राजेन्द्र सिंह यादव—

प्रश्न यह है कि प्रश्न ३० की सूचना तो सारे प्रदेश से एकत्र की जा रही है और एक सूचना केवल फर्रुखाबाद जिले के एक ही स्कूल की है तो उसके उत्तर के मिलने में क्या दिक्कत हुई ?

श्री केशभान—

उसकी सूचना तो निदेशकालय से आयी है लेकिन वह संतोषजनक नहीं थी इसलिये इसको वापस किया गया है और दूसरी मांगी गई है ।

गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रबन्ध

*३२—श्री कृष्णानन्द राय—

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय को सरकारी विद्यालय बनाने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो इस पर निर्णय कब तक किया जायेगा ?

श्री केशभान—

राज्य सरकार ने सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, गाजीपुर के प्रान्तीयकरण के प्रश्न पर विचार कर लिया है ।

इस विद्यालय का प्रान्तीयकरण संभव नहीं है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि गाजीपुर सिटी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की सम्पत्ति, भूमि, भवन और कोष सरकार का है, किसी ट्रस्ट का है या कि वह जनता का है ?

श्री केशभान—

यह संस्था पहले जर्मन मिशन की थी और सन् १९१४–१८ की लड़ाई में अंग्रेज सरकार द्वारा उसको जब्त किया गया और तभी से वह सरकार के नियंत्रण में है ।

श्री कृष्णानन्द राय—

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इंटरमीडिएट एजूकेशन अमेंडमेंट ऐक्ट की किस धारा के अन्तर्गत इस संस्था का प्रबन्ध सरकार करा रही है ? आजकल जितने भी विद्यालय हैं या तो उनका प्रबन्ध मैनेजिंग कमेटी द्वारा होता है या सरकार के द्वारा पब्लिक स्कूल की तरह से सीधे प्रबन्ध होता है और किस व्यवस्था के अन्तर्गत अब वहां का प्रबन्ध चल रहा है ?

श्री केशभान---

इसके लिये अभी न कोई प्रशासन योजना है और न कोई मैनेजिंग कमेटी ही है लेकिन उसके निर्माण का प्रयास हो रहा है ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या माननीय मंत्री जी को मालूम है कि इस विद्यालय में एक प्रकार से कांस्टीट्यूशनल डेडलाक सा पैदा हो गया है क्योंकि न तो सरकार द्वारा उसका सीधा प्रबन्ध हो रहा है और न कोई मैनेजिंग कमेटी ही कर रही है और जब ऐक्ट की किसी धारा के अन्तर्गत ही वहां का प्रबन्ध नहीं हो रहा है तो उसका नतीजा यह है कि कोई भी केस जो सम्पत्ति के नुकसान आदि का है वह किसी कचहरी में नहीं जा रहा है और हाईकोर्ट ने भी इस सम्बन्ध में व्यवस्था दे दी है कि चूंकि इस विद्यालय का कोई नियम नहीं है इस लिये अब कोई कार्यवाही नहीं हो सकती ?

श्री केशभान---

इस की व्यवस्था के सम्बन्ध में एक कानूनी जिच पैदा हो गई है जिस को दूर करने के लिये सरकार प्रयत्नशील है ।

श्री उपाध्यक्ष---

सदन में बातें बहुत हो रही हैं ।

श्री कृष्णानन्द राय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पिछले २ साल से शिक्षा विभाग के सम्मुख यह प्रश्न है और इस बीच में ही हजारों रुपये का गबन उस स्कूल में रिपोर्ट हुआ है और इस बात का कोई आश्वासन नहीं है कि वहां के ८०० विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है, तो कब तक, यदि विभाग समर्थ है, इसका निर्णय हो जायगा ?

श्री केशभान---

उसकी जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा आख्या मांगी गई है और वह अब आ गई है, उस पर विचार हो रहा है, और जल्द निर्णय हो जायगा ।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय---

क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब इस विद्यालय की कोई मैनेजिंग कमेटी नहीं है और सरकार द्वारा उसका कोई नियंत्रण भी नहीं है तो वह अब किसके नियंत्रण में चल रहा है ?

श्री केशभान---

उपाध्यक्ष महोदय, जिला विद्यालय निरीक्षक इसके मैनेजर का काम करते हैं । व्यवस्था के बारे में मैं कहूंगा कि एक ऐग्रीमेंट फार्म होता है । जितने कर्मचारी नियुक्त हुये हैं सब के बारे में तो जानकारी नहीं है लेकिन जो प्रिंसिपल हैं उनके ऐग्रीमेंट फार्म में सब जगह कमेटी की चर्चा है और मैनेजर की जगह पर विद्यालय निरीक्षक के हस्ताक्षर हैं और उसमें भूल से कमेटी शब्द भी रह गया लेकिन जब प्रिंसिपल के खिलाफ कार्यवाही हुई तो हाईकोर्ट का फैसला हुआ कि कांट्रेक्ट जो दोनों पक्ष की ओर से भरा गया है उसमें मैनेजिंग कमेटी का अधिकार है, लेकिन चूंकि इंस्पेक्टर मैनेजिंग कमेटी नहीं है इसलिये कार्यवाही का अधिकार नहीं है और तभी से इस जिच का ज्ञान सरकार को हुआ, उस पर अब विचार हो रहा है और शीघ्र ही सफलता पूर्वक मामला हल हो जायगा ।

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)---

क्या सरकार बतायेगी कि जब कमेटी की जगह इंसपेक्टर हैं तो उसको कोई अधिकार है कि वहां के प्रिंसिपल या टीचर को सस्पेन्ड कर सके और उसके खिलाफ कार्यवाही कर सकें ? यदि नहीं है तो कमेटी के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री केशभान—

जो इंस्पेक्टर हैं और उस स्कूल के लिये पैसा आता है उसके लिये वह आपरेट करता है। लेकिन जो मैनेजिंग कमेटी को अधिकार होना चाहिये, जिस कमेटी की कांट्रेक्ट में चर्चा की जा चुकी है, वह अधिकार उसे नहीं है।

श्री कमलासिंह यादव—

मैंने पूछा था कि कमेटी के लिये सरकार क्या व्यवस्था कर रही है ?

श्री उपाध्यक्ष—

कमेटी के लिये कुछ नहीं कर रहे हैं, वह कह रहे हैं कि देखा जा रहा है जब निर्णय होगा, तभी कुछ कहा जा सकता है।

बलिया जिले में श्री विजयकुमार सिंह को छात्रवृत्ति

*३३—श्री मैनेजरसिंह (जिला बलिया) (अनुपस्थित)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ के हाई स्कूल परीक्षा में रोल नम्बर १३३६२८, मेरिट १०० परीक्षार्थी श्री बिजय कुमार सिंह, पुत्र श्री चन्द्रिका प्रसाद सिंह, ग्राम बहुआरा, जिला बलिया को ६० रुपया प्रतिमाह की छात्रवृत्ति स्वीकृत की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उक्त छात्रवृत्ति का भुगतान उक्त छात्र को किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

आचार्य जुगुलकिशोर—

जी हां। जिला विद्यालय निरीक्षक, बलिया ने बिल पर प्रति हस्ताक्षर करके सम्बन्धित प्रधानाचार्य को भेज दिया है।

सुल्तानपुर अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों का प्राविडेंट फंड

*३४—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर अन्तरिम जिला परिषद् के कितने अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड बाकी है और इस में से कितने अध्यापकों ने प्राविडेन्ड फंड की वापसी का आवेदन-पत्र दिया है ?

श्री केशभान—

२२ अध्यापकों का प्राविडेन्ट फंड बाकी है जिनमें १५ अध्यापकों ने आवेदन-पत्र दिया है।

*३५—श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि सुल्तानपुर अन्तरिम जिला परिषद् द्वारा उपरोक्त वापसी में देर करने का क्या कारण है ?

श्री केशभान—

विलम्ब के कारण निम्नांकित हैं—

(क) अध्यापकों द्वारा नामीनेशन फार्म न भरा जाना।

(ख) परिषद् की सम्पत्ति (सामान न लौटाना)।

(ग) परिषद् से एडवान्स जो लिया गया उसका एडजस्टमेन्ट न कराना।

(घ) स्कूल भवन की मरम्मत का हिसाब न देना।

(ङ) प्रार्थना-पत्र देर में देना अथवा न देना।

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जिन १५ अध्यापकों ने आवेदन-पत्र दिये हैं उनके नाम क्या हैं और किन-किन तारीखों को आवेदन-पत्र दिये हैं ?

श्री केशभान--

१--श्री मुहम्मद याकूब	..	अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक	२६-५-६२
२--श्री भोलानाथ	..	"	१५-६-६२
३--श्री भानुप्रसाद	..	"	२१-९-६२
४--श्री रामदत्त	..	"	५-१०-६२
५--श्री भागीरथी	..	अवकाश प्राप्त ड्रिल इंस्ट्रक्टर	२३-१०-६२
६--श्री सीताराम	..	अवकाश प्राप्त प्रधानाध्यापक	११-१२-६२
७--श्री दयाशंकर लाल	..	"	१३-१२-६२
८--श्री मुहम्मद बशीर अहमद		"	२२-१२-६२
९--श्री गयादीन	..	"	४-१-६३
१०--श्री प्यारेलाल	..	"	२१-१-६३
११--श्री रामहर्ष	..	"	२४-१-६३
१२--श्री शिवपरसन	..	"	३१-१-६३
१३--श्री रामपदारथ सिंह	..	"	१५-२-६३
१४--श्री देवदत्त	..	"	१८-२-६३
१५--श्री हिम्मत बहादुर सिंह	..	"	१९-२-६३

श्री कल्पनाथ सिंह--

मैं जानना चाहता हूं कि जो नाम पढ़े गये इनमें से कितने आदमियों के ऊपर प्रश्न ३५ के कारण लागू होते हैं ?

श्री केशभान--

प्रश्न ३५ सभी पर लागू होता है।

श्री कल्पनाथसिंह--

जिन पर प्रश्न ३५ लागू होता है क्या उन कारणों के बारे में जिला परिषद् ने उन को कोई लिखित सूचना दी है ?

श्री केशभान--

सूचना जो हमें प्राप्त है, वह उप-विद्यालय निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त हुई है।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जिन प्रधान अध्यापकों ने अवकाश प्राप्त प्रधान अध्यापकों से चार्ज लिया तो उस समय उन्होंने यह लिखा कि उनको सारा सामान प्राप्त हो गया। यदि हां, तो फिर वापसी का प्रश्न कैसे उठता है ?

श्री केशभान--

यह जनरल प्रश्न है। यह कैसे बतलाया जा सकता है कि प्रधानाचार्य ने क्या लिखा चार्ज लेते समय। प्रधानाचार्य ने लिख दिया कि हम सब चार्ज पा गये हैं तो प्रश्न नहीं उठता।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय--

जब प्रधानाध्यापक रिटायर करता है और दूसरा चार्ज लेता है तो चार्ज शीट बनती है। एक स्कूल में रहती है, एक डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भेजी जाती है और एक जो रिटायर होता है उसे दी जाती है। क्या उस अध्यापक ने जिसने चार्ज लिया है उसने यह लिखा है या नहीं कि उसने पूरा चार्ज प्राप्त कर लिया ?

श्री केशभान—

जब दूसरे प्रधानाध्यापक से चार्ज लिया जाता है तो सभी चीजें चार्ज में नहीं मिलती हैं। उनकी चर्चा कर दी जाती है, जिनका चार्ज मिल जाता है, उनके बारे में लिख दिया जाता है। तो किसी ने चार्ज लिया तो यह नहीं कहा जा सकता कि जिनसे चार्ज लिया गया उनके जिम्मे कुछ नहीं रहा।

अन्तरिम जिला परिषद्, बदायूं के अध्यापकों से चन्दा लेने की शिकायत

*३६—श्री जुगलकिशोर (जिला बदायूं)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, बदायूं के अधीन अध्यापकों से प्रतिमास सुरक्षा निधि में वेतन के कुछ अंश की कटौती की जाती है?

*३७—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अन्तरिम जिला परिषद्, बदायूं से सम्बन्धित विद्यालयों के छात्रों से कहा जाता है कि यदि वह सुरक्षा कोष में चन्दा व सेविंग-पास बुक में रुपया नहीं देंगे तो विद्यालय से निकाल दिया जायगा? यदि हां, तो क्या सरकार जांच करा कर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं।

जी नहीं।

मिर्जापुर में गंगा पर पुल बनाने की मांग

*३८—श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव" (जिला मिर्जापुर)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर नगर के कच्चे पुल अर्थात् पीपे के पुल के निर्माण करने और फिर उसको हटाने तथा उस पर चलने के लिये मिट्टी आदि की व्यवस्था करने में प्रतिवर्ष कितना खर्च होता है और उस पुल पर श्रम तथा अन्य रूप से मिल कर कुल टोटल कितने रुपये सालाना खर्च पड़ता है?

श्री गिरधारीलाल—

इस पुल पर कुल ८५,००० रुपये सालाना व्यय होता है। इस व्यय का अलग-अलग ब्योरा इस प्रकार है।

		रु०
पीपे के पुल के निर्माण करने और उसको हटाने तथा उस पर चलने के लिये मिट्टी आदि की व्यवस्था में	.. ..	४५,०००
नौकाओं के प्रयोग करने में	.. ..	५,०००
पावर बार्ज के रखरखाव एवं उसके चलाने में	..	३५,०००
योग	..	८५,०००

*३९—श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव"—

क्या सरकार को मालूम है कि स्वतन्त्रता के पूर्व से लेकर और स्वतन्त्रता के बाद अब तक मिर्जापुर तथा आस-पास के अन्य जिलों एवं उनके स्वायत्त तथा व्यापारिक एवं सामाजिक संस्थाओं ने समय-समय पर अपने यहां प्रस्ताव पास करके सरकार से गंगा पर पक्का पुल निर्माण करने की मांग की है?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां।

नोट—तारांकित प्रश्न ३५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

*४०—श्री विश्वनाथ पांडेय "प्रणव"—

यदि हां, तो वार्षिक व्यय को देखते हुए सरकार केन्द्रीय सरकार के पास ऐसी सिफारिश भेजने की कृपा करेगी कि यह अति उपयोगी, आवश्यक तथा रिहन्द आदि की योजनाओं में सहायक होने वाली यातायात की दृष्टि से इस पक्के पुल को शीघ्र बनाने के लिए योजनाओं में सम्मिलित कर लिया जाय ?

श्री गिरधारीलाल—

सन् १९५६ में इस पुल के निर्माण के लिये केन्द्रीय सरकार से ऋण की प्रार्थना की गई थी जो उन्होंने स्वीकार नहीं की। सन् १९६० में केन्द्रीय सरकार से फिर प्रार्थना की गई कि वह इस पुल के निर्माण के लिये तीसरी योजना के लिये स्वीकृत धन के अतिरिक्त दें किन्तु यह प्रार्थना भी स्वीकार न हुई। सार्वजनिक निर्माण विभाग की स्थायी समिति के प्रस्ताव के अनुसार अब फिर केन्द्रीय सरकार को इस पुल के निर्माण के सम्बन्ध में लिखा जा रहा है।

*४१-४२—श्री राधेश्याम शर्मा (जिला मथुरा)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

पी० डब्ल्यू० डी० एम्पलाईज यूनियन, सहारनपुर के सुरक्षा कोष में योग

*४३—श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर) तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि सहारनपुर में सार्वजनिक निर्माण विभाग के मजदूरों को अब उनका वेतन ७ व १० तारीख के बजाय १९ व २५ तारीख को दिया जाता है ? यदि हां तो इसके क्या कारण हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

(क) वर्क चार्ज के कर्मचारियों को वेतन साधारणतः १० तारीख तक मिल जाता है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

*४४—श्री बलवानसिंह तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या पी० डब्ल्यू० डी० इम्पलाईज यूनियन, सहारनपुर, ने वहां के स्थानीय अधिकारियों को एक पत्र दिया था कि समस्त वर्क चार्ज व मस्टर रोल स्टाफ के वेतन से एक दिन की मजदूरी काट कर राष्ट्रीय सुरक्षा में जमा कर दी जाय ? यदि हां, तो उस पर अधिकारियों ने क्या कार्यवाही की ?

श्री गिधारीलाल—

(क) जी हां।

(ख) वर्क चार्ज व मस्टर रोल के कर्मचारियों ने एक दिन का वेतन स्वेच्छा से राष्ट्रीय सुरक्षा कोष में दिया है, जिसकी उन्हें रसीदें दी गई हैं।

*४५—श्री बलवानसिंह तथा श्री कल्पनाथ सिंह—

क्या पी० डब्ल्यू० डी० इम्प्लाईज यूनियन, सहारनपुर ने स्थानीय अधिकारियों को प्रार्थना-पत्र दिया था कि समस्त वर्क चार्ज व मस्टर रोल कर्मचारियों को २४ नवम्बर, १९६२ को चीनी आक्रमण विरोधी दिवस मनाने हेतु अवकाश इस वादा पर दिया जाये कि उस दिन का कार्य वह अन्य छुट्टी के दिन कर देंगे ? यदि हां, तो क्या उनको छुट्टी दी गयी थी ? यदि नहीं, तो क्यों उनकी राष्ट्रीय भावनाओं को क्षति पहुंचायी गयी ?

श्री गिरधारीलाल—

(क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

सोहवल ब्लाक में प्राइमरी स्कूलों की इमारतें

*४६—श्री धूमप्रसाद (जिला फैजाबाद)—

क्या शिक्षा मन्त्री बताने का कष्ट करेंगे कि सोहवल ब्लाक, जिला फैजाबाद के प्राइमरी स्कूल की छत व इमारत बिल्कुल गिर चुकी है और जो है वह भी बैठने के योग्य नहीं है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां, निम्नलिखित प्राइमरी स्कूलों की छत गिर चुकी है :

(१) प्राइमरी पाठशाला, ड्योढ़ी।

(२) प्राइमरी पाठशाला, मोहम्मदपुर।

(३) प्राइमरी पाठशाला, रौनाही।

*४७—श्री उग्रसेन (जिला देवरिया)—

[हटा दिया गया।]

*४८—श्री उग्रसेन—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

अफजलगढ़ उपनिवेशीकरण योजनान्तर्गत पशुचर भूमि

*४९—श्री श्रीराम (जिला बिजनौर)—

क्या राजस्व मन्त्री बतलाने की कृपा करेंगे कि बिजनौर जिले के काटराबाद कालोनाइजेशन की चरागाह को अवैधानिक रूप में लोगों ने जोत लिया है और उसका रकबा क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां, अफजलगढ़ उपनिवेशीकरण योजना के अन्तर्गत लगभग २०० एकड़ चरागाह भूमि पर कुछ लोगों ने अवैधानिक रूप से कब्जा कर लिया है।

आजमगढ़ जिला परिषद् के अध्यापकों का वेतन

*५०—श्री बिपिनबिहारी तिवारी (जिला सीतापुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि आजमगढ़ अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यापकों को गत कितने महीनों से वेतन नहीं दिया गया है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

माह फरवरी, १९६३ तक का वेतन भुगतान किया जा चुका है।

*५१—श्री बिपिनबिहारी तिवारी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि बकाया वेतन का भुगतान कब तक कर दिया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रश्न नहीं उठता।

गांव सभा पतनई के प्रधान के विरुद्ध शिकायतें

*५२—श्री सत्यदेव (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री ८ फरवरी, १९६३ के तारांकित प्रश्न संख्या ४८ एवं ४९ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि पक्की रसीद न दिये जाने के विरुद्ध भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध और कौन सी कार्यवाही की गई और प्रधान से किस आधार पर कितना धन वसूल करने के लिये आदेश दिये गये हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पक्की रसीद न दिये जाने के मामले को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। १,०२३ रुपये गांव समाज के थे वही उन्होंने खजाने में जमा किये।

*५३—श्री सत्यदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री अतारांकित प्रश्न संख्या ६ और ७ के उत्तर के संदर्भ में बताने की कृपा करेंगे कि जांच जिला नियोजन अधिकारी ने स्वयं की है अथवा किसी अन्य अधिकारी द्वारा करायी है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जिला पंचायत अधिकारी द्वारा करायी गयी है।

*५४—श्री सत्यदेव तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि खजाने में रकम जमा न करने, रकम की रसीद न देने, ग्राम समाज के लिये जोखे न रखने और लावारिस मकान का नीलाम ठीक से न करने के सम्बन्ध में भूतपूर्व प्रधान के विरुद्ध कौन-सी कार्यवाही की गयी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मामला पुलिस के सुपुर्द है।

गोंडा जिले में नई सड़कें

*५५—श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गोंडा जिले में निर्माणार्थ तृतीय पंचवर्षीय योजना में कौन-कौन सी सड़कें ली गई हैं और क्या यह सही है कि करनैल गंज से कुकूर भुकवा तक वह सड़क बनाने जा रही है ? यदि हां, तो कार्य कब से शुरू होगा ?

श्री गिरधारीलाल—

प्रथम भाग—आवश्यक सूचना सदस्य महोदय की मेज पर रक्खी है।

द्वितीय भाग—करनैलगंज से कुकूर भुकवा तक सड़क के निर्माण की इस समय कोई योजना नहीं है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १०६३ पर)

गोंडा जिले के ट्रांस राप्ती क्षेत्र में सड़कों का निर्माण

*५६—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल (जिला गोंडा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि संचार साधनों के विकास के लिये चालू वित्तीय वर्ष में जो कार्य ट्रांस राप्ती एरिया में हो रहा है उसमें गोंडा जिले का ब्यौरा क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जिला गोंडा में ट्रांस राप्ती एरिया में वित्तीय वर्ष १९६२–६३ में निम्नलिखित सड़कों पर कार्य किया जा रहा था :—

(१) बलरामपुर–तुलसीपुर (आधुनिकीकरण),

(२) तुलसीपुर-इटवा (कंकड़ की सड़क) सी० सी० ट्रैक—

(१) नचौरा से गेडहवा,

(२) तुलसीपुर शुगर फैक्ट्री के चारों ओर,

(३) तुलसीपुर, उतरौला।

घाटमपुर तहसील में चकबन्दी कर्मचारियों की पदोन्नति

*५७—श्री शिवनाथसिंह (जिला कानपुर)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत १ दिसम्बर, सन् १९६२ से २० फरवरी, सन् १९६३ तक किस चकबन्दी कानूनगो से ए० सी० ओ० व ए० सी० ओ० से सी० ओ० व सी० ओ० से एस० ओ० सी० का कार्य कराया गया ? यदि हां, तो क्यों तथा उक्त चकबन्दी कर्मचारियों की पदोन्नति का क्या आधार अपनाया गया ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आवश्यक सूचना एकत्र की जा रही है।

दुद्धी क्षेत्र से एच० टी० सी० प्रशिक्षण

*५८—श्री रामप्यारे (जिला मिर्जापुर)—

क्या शिक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मिर्जापुर जनपद के तहसील दुद्धी से एक भी छात्र राबर्ट्सगंज एच० टी० सी० प्रशिक्षण विद्यालय अथवा अन्यत्र नहीं लिया गया है ? यदि हां, तो क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां, क्योंकि आवेदकों के चुनाव में कोई नहीं आ सका।

*५९—श्री रामप्यारे—

क्या शिक्षा मन्त्री यह जानते हुए कि शिक्षा की दृष्टि से दुद्धी प्रदेश का सबसे पिछड़ा भाग है और वहां से जब तक हाई स्कूल उत्तीर्ण छात्र पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं जू० हा० स्कूल उत्तीर्ण छात्रों को एच० टी० सी० प्रशिक्षण की सुविधा देंगे ?

आचार्य जुगलकिशोर—

माननीय सदस्य द्वारा यह सुझाव अलग से भी प्राप्त हुआ है और उस पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जायेगा।

देवरिया जिले में कुर्क अमीन

*६०—श्री कृष्णा (जिला देवरिया)—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला देवरिया के अन्तर्गत सन् १९६३ में कितने कुर्क अमीनों की नियुक्ति हुई है ? उनमें से कितने हरिजन एवं पिछड़ी जाति के हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कोई नियुक्ति नहीं हुई।

*६१-६२—श्री चन्द्रबलीसिंह—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

आगरा व मथुरा जिलों में लगान में बढ़ती

*६३—श्री लखीसिंह—

क्या राजस्व मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जिला व आगरे में जमीन की हैसियत जमुना से पूर्व व पश्चिम में भिन्न-भिन्न है ? यदि हां, तो क्या आधार हैसियत में फर्क है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। किस्म तो बहुधा एक खेत से दूसरे खेत की भिन्न होती हैं। इन किस्मों का बन्दोबस्त के समय लगान की दरें निर्धारित करने के लिये ध्यान में रखा जाता है।

*६४—श्री लखीसिंह—

यदि यह चीज सत्य है तो जमना से पूर्व व पश्चिम की जमीनों पर लगान व मालगुजारी का २५ प्रतिशत बराबर क्यों लगाया गया है ? क्या सरकार इस अनुपात को देख कर पुनः विचार करेगी और किसानों को हानि से मुक्त करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

आपातिक अधिभार मालगुजारी तथा लगान पर लगाया गया है, जमीन की किस्म पर नहीं।

विलीन काशी राज्य के अध्यापकों का पेन्शन सम्बंधी प्रार्थना-पत्र

*६५—श्री उमाशंकर तिवारी (जिला वाराणसी)—

क्या सरकार यह बताने का कष्ट करेगी कि विलीन काशी राज्य के सहायक अध्यापक जो काशी राज्य के विलीन होने के उपरान्त सरकारी कर्मचारी हो गये थे और जो अपनी सर्विस रिटायर्ड होने के बाद अगस्त, सन् १९६२ में पेंशन पाने हेतु कोई प्रार्थना-पत्र चीफ सेक्रेटरी के पास दिया था ? अगर हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई ?

आचार्य जुगलकिशोर—

सूचना एकत्र की जा रही है।

[५ अप्रैल, १९६३ के लिए निर्धारित तारांकित प्रश्न]

*१—श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

उन्नाव जिले में जूनियर हाई स्कूल

*२—श्री रियासत हुसैन—

क्या शिक्षा मन्त्री कृपया बतायेंगे कि उन्नाव जिले में कितने परमानेन्ट प्राइवेट रिकग्नाइज्ड जूनियर हाई स्कूल हैं, उनमें कितने-कितने ट्रेन्ड अध्यापक हैं और विद्यार्थियों की संख्या कितनी-कितनी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जिला उन्नाव में ४ परमानेन्ट रिकग्नाइज्ड जूनियर हाई स्कूल हैं। उनके नाम तथा ट्रेन्ड अध्यापकों की संख्या और छात्र संख्या निम्नलिखित है :—

विद्यालय का नाम			ट्रेन्ड अध्यापकों की संख्या	छात्र संख्या
१—पूर्व माध्यमिक विद्यालय, सुमेरपुर	..	..	१	११९
२—पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बिहार	..	..	२	१७३
३—पूर्व माध्यमिक विद्यालय, जैतीपुर	..	..	२	७६
४—पूर्व माध्यमिक विद्यालय, राजेपुर	..	..	१	६४

निचलौल ब्लाक से तकावी में माफी के लिए प्रस्ताव

*३—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि गोरखपुर जिले के निचलौल ब्लाक के बी० जी० सी० ने अपनी मीटिंग दिनांक २९ जनवरी, १९६३ में कोई प्रस्ताव तकावी के माफी के सम्बन्ध में पास किया है ? यदि हां, तो उसकी एक प्रति क्या सरकार सदन की मेज पर रखने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी हां। वांछित प्रस्ताव की प्रति संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'ङ' आगे पृष्ठ १०६४ पर)

*४—श्री नरसिंहनारायण पांडेय—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त सम्बन्ध में अभी तक क्या कार्यवाही अमल में लाई गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही का ब्योरा संलग्न नत्थी में दे दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'च' आगे पृष्ठ १०६५ पर)

*५-७—श्री कल्पनार्थसिंह—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८—श्री कल्याणचन्द मोहिले (जिला इलाहाबाद)—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

समथर-बड़ेरा सड़क पक्की करने का सुझाव

*१०—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी (जिला झांसी)—

क्या सरकार को यह पता है कि झांसी जिले में समथर से बड़ेरा सड़क पक्की बना दी जाय जिसकी लम्बाई पांच मील है तो भाडेर लहर मध्य प्रदेश से सम्बद्ध हो सकता है ? यदि हां, तो उक्त सड़क को पक्का बनवाने का विचार सरकार का है ?

श्री गिरधारीलाल—

समथर-बड़ेरा सड़क पक्की बना देने से भाडेर लहर मध्य प्रदेश से सम्बद्ध हो सकता है। इस सड़क को पक्का बनाने की इस समय कोई योजना नहीं है।

*११—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

[माननीय सदस्य द्वारा वापस ले लिया गया।]

विलीन समथर राज्य के किसानों पर लगान

*१२—श्री काशीप्रसाद द्विवेदी—

क्या सरकार को पता है कि झांसी जिले में भूतपूर्व राज्य समथर में जिसका विलीनीकरण झांसी जिले में हो चुका है किसानों का लगान यू० पी० के अन्य किसानों से दुगने से अधिक है ? यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र के किसानों का लगान कम करने की कृपा करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
जी नहीं।
प्रश्न का दूसरा भाग नहीं उठता।

*१३-१५—श्री सल्फतसिंह यादव (जिला बदायूं)—
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

गोंडा जिले में चकबन्दी

*१६—श्री गंगाप्रसाद—
क्या माल मन्त्री को जानकारी है कि जिला गोंडा के तहसील तरबगंज में चकबन्दी कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया है और गोंडा तहसील का केवल आधा भाग ही चकबन्दी में लिया जा रहा है? यदि हां, तो पूरी तहसील चकबन्दी में न लेने का क्या कारण है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
तहसील तरबगंज में चकबन्दी कार्य अभी पूर्ण रूप से समाप्त नहीं हुआ है। गोंडा तहसील के कुछ भाग में चकबन्दी कार्य प्रारम्भ किया जा रहा है।

तहसील गोंडा बहुत बड़ी है। बजट की सीमा तथा प्रशासकीय कठिनाइयों के कारण इस समय इस तहसील के केवल एक तिहाई भाग में ही चकबन्दी प्रारम्भ करने का आयोजन है।

जूनियर हाई स्कूलों में कृषि योजना

*१७—श्री मदनपालसिंह (जिला हमीरपुर)—
क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूलों में जो कृषि योजना मार्च, सन् १९५४ से चल रही है उसे सरकार ने अभी तक स्वीकृत (कन्फर्म) कर लिया है या नहीं? यदि नहीं, तो क्या सरकार स्वीकृत करने की कृपा करेगी?

आचार्य जुगलकिशोर—
जी नहीं। स्थायीकरण विचाराधीन है।

*१८—श्री शिवनाथसिंह—
[९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*१९-२०—श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२१—श्री रामसुन्दर पांडेय—
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

बरबर ग्राम समाज की भूमि

*२२—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री मन्नालाल (जिला खीरी)—
क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि ग्राम समाज बरबर, ब्लाक पसिगवां, तहसील मोहम्मदी, जिला खीरी के पास निजी भूमि कितनी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
१४८७.३१ एकड़।

*२३—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री मन्नालाल—
क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त भूमि में कितनी पट्टे पर है और कितनी भूमि खाली पड़ी है?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

	एकड़
पट्टे पर उठी हुई भूमि	३४.२९
खाली पड़ी भूमि	९९४.६३

*२४—श्री बिपिनबिहारी तिवारी तथा श्री मन्नालाल—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उक्त भूमि से ग्राम समाज को गत ७ वर्ष में कितनी आय हुई और वह ग्राम सभा के खाते में जमा है कि नहीं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

कुल आमदनी ४,०८२.५५ रु० हुई जो ग्राम समाज के खाते में जमा है।

प्रश्न का अन्तिम भाग नहीं उठता।

बस्ती जिले में सड़कों का निर्माण

*२५—श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि जिला बस्ती में रामजानकी रोड तथा परसुरामपुर से परसा तक जो सड़क बन रही है, उसमें कहां तक काम हो चुका है और क्या बाकी है ?

श्री गिरधारीलाल—

अभी इन सड़कों के निर्माण के लिये जितनी भूमि की आवश्यकता है उसकी प्राप्ति की कार्यवाही हो रही है।

*२६—श्री रणबहादुरसिंह—

क्या निर्माण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हरैया से बभनान जो सड़क अभी बनी है उसमें मील में नम्बर ८, ७, ६ और ३ में कई जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, क्या इस पर कोई मुस्तकिल गैंग काम कर रहा है ? इसमें कितने आदमी हैं ?

श्री गिरधारीलाल—

इस मार्ग पर गड्ढे नहीं हैं। सड़क की मरम्मत और देख भाल के लिये स्थायी गैंग है जिसमें एक मेट व आठ बेलदार हैं।

*२७-२८—श्री मदनपालसिंह तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*२९-३१—श्री श्रीराम तिवारी (जिला उन्नाव)—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

सिरसागंज इण्टर कालेज के अध्यापक की बहाली

*३२—श्री राजेन्द्रसिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि क्षेत्रीय इन्टर कालेज, सिरसागंज, जिला मैनपुरी में कितने ऐसे अध्यापक हैं जो एक साल से अधिक हुआ मुअत्तल हैं और उनको किसी प्रकार का वेतन नहीं दिया जाता है ? ऐसा क्यों ?

आचार्य जुगलकिशोर—

एक भी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

*३३—श्री राजेन्द्र सिंह—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उक्त कालेज के एक अध्यापक को जिला विद्यालय निरीक्षक ने बहाल कर दिया है, फिर भी उस अध्यापक को कार्य-भार न सौंपने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

उक्त अध्यापक का मामला रीजनल अपीलेट कमेटी के विचाराधीन है। अतः कार्यभार सौंपने का प्रश्न नहीं उठता।

फतेहपुर तहसील में घाघरा का कटाव

*३४—श्री रामअसरे (जिला बाराबंकी)—

क्या सरकार को पता है कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर में गांव सरसंडा उधिया, पुरैना सरदहा, दतोली गत तीन वर्षों से घाघरा के प्रकोप से कट गये हैं और वहां के किसान भूमिहीन हो गये हैं, क्या सरकार उन भूमिहीनों को बसाने के लिये उनकी जीविका का कोई साधन करेगी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

यह सही है कि बाराबंकी जिले के अन्तर्गत तहसील फतेहपुर के गांव सरसंडा, उधिया, पुरैना और सरदहा के कुछ काश्तकारों की भूमि घाघरा के कटाव से कट गयी है। ग्राम दतौली घाघरा नदी के किनारे नहीं बसा है बल्कि यह ग्राम कल्याणी नदी के किनारे है जिसमें कटाव नहीं होता।

जो काश्तकार नितान्त भूमिहीन हो गये थे उनकी कुछ भूमि अब नदी से निकल आई है और उस पर वे लोग फिर से काश्त करने लगे हैं। जो काश्तकार गृहहीन हो गये थे उनको पड़ोस के गांवों में बसा दिया गया है। जीविका विहीन काश्तकारों में से कुछ के जीवनोपार्जन का प्रबन्ध हो गया है और शेष को जीविका के साधन पाने में सहायता दी जा रही है।

*३५—३७—श्री विजयसिंह (जिला जालौन)—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*३८—४०—श्री राधेश्याम शर्मा—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

*४१—४३—श्री बांकेलाल (जिला देवरिया) तथा श्री रियासत हुसैन—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद् के गोपनीय विभाग में हरिजन

*४४—श्री रघुवीरसहाय कैथवार (जिला फतेहपुर)—

प्रथम सत्र सन् १९६२ के ७वें शुक्रवार की दिनांक १० अगस्त, सन् १९६२ के लिये निर्धारित प्रश्न संख्या ४६—४७ एवं ४८ के उत्तरों के संदर्भ में क्या शिक्षा मन्त्री बताने की कृपा करेंगे कि अनेक शिक्षित व पूर्ण योग्य हरिजन उपलब्ध होने के बावजूद उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद् के गोपनीय विभाग के ७० क्लर्कों में से केवल एक ही हरिजन क्लर्क रखने का क्या कारण है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

शिक्षा परिषद् के गोपनीय विभाग में गोपनीयता की दृष्टि से अत्यन्त विश्वसनीय और कार्यक्षम्य व्यक्ति, जिन्हें सरकारी सेवा में ५ वर्ष का अनुभव हो तथा जिनका पिछला रिकार्ड प्रत्येक दृष्टि से अति उत्तम रहा हो, एक निर्धारित चुनाव समिति द्वारा चुने जाते हैं। चुनाव में एक ही हरिजन अभ्यर्थी निर्धारित योग्यता वाला पाया गया।

*४५—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मन्त्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद् द्वारा नियुक्त ४९ विभिन्न समितियों में हरिजन संरक्षण और प्रतिनिधित्व दिये जाने की व्यवस्था है या नहीं ? यदि हां, तो सदस्यों के चुनाव में जाति व वर्ग का आधार न रखने से कैसे जांचा जा सकता है कि हरिजन प्रतिनिधित्व दिया गया और यदि नहीं, तो फिर उक्त समितियों में हरिजन प्रतिनिधित्व न देने का क्या आधार है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं। उल्लिखित समितियों में हरिजन संरक्षण और प्रतिनिधित्व दिये जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अतः इसके जांचने का प्रश्न नहीं उठता। समितियों के सदस्य बोर्ड के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं और बोर्ड के सदस्य के अलावा कोई अन्य व्यक्ति तभी चुना जा सकता है जब वह उस विषय में विशेष योग्यता रखता हो। अतः किसी जाति अथवा वर्ग के प्रतिनिधित्व का प्रश्न नहीं उठता।

*४६—श्री रघुवीरसहाय कैथवार—

क्या शिक्षा मंत्री यह भी बताने की कृपा करेंगे कि क्या यह सही है कि उक्त ४९ समितियों में तथा ३६९ प्रधान परीक्षकों को ३७० उप-प्रधान परीक्षकों और ११,३२२ परीक्षकों में कोई हरिजन न होने के कारण ही शिक्षा परिषद् में इस वास्तविकता को छिपाने की नियत से ही यह उत्तर दिया है कि उनके चुनाव में जाति-वर्ग का आधार नहीं रखा जाता है ? यदि हां, तो इस प्रकार से हरिजन के सुरक्षित अधिकारों पर कुठाराघात करने का आधार क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं। शासन की ऐसी नियत नहीं है। समिति के सदस्यों के चुनाव का आधार बताया गया है। प्रधान परीक्षक, उप-प्रधान परीक्षक तथा परीक्षक आदि भी निर्धारित योग्यताओं तथा अनुभव के आधार पर चुने जाते हैं। इस में किसी जाति या वर्ग के अधिकारों पर कुठाराघात करने का प्रश्न नहीं उठता।

*४७—श्री उग्रसेन—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिया गया।]

*४८-५०—श्री काशीनाथ मिश्र—(जिला बलिया)—

[माननीय सदस्य के सदन की सेवा से निलम्बित होने के कारण हटा दिये गये।]

नदियों स यातायात

*५१—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि हाल में नदियों से यातायात विकास के लिये कोई योजना तैयार की गई है ? यदि हां, तो उसकी रूप-रेखा क्या है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी हां। इस योजना में नदियों का नियंत्रण तथा सफाई, नदियों के किनारे स्टेशनों का निर्माण, फीडर सड़कों का निर्माण तथा नदियों का सर्वेक्षण तथा चार्ट्स के बनाने का कार्य सम्मिलित है।

*५२—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस योजना को कार्यान्वित करने में कितनी लागत अनुमानित है और उसमें भारत सरकार कितनी सहायता दे रही है ?

श्री गिरधारीलाल—

इस योजना की अनुमानित लागत २२.५० लाख रुपये है। केन्द्रीय सरकार इस योजना को कार्यान्वित करने हेतु पूरा रुपया देगी।

तहसीलदारों व डिप्टी कलक्टरों की पन्शन

*५३—श्री भीमाशंकर (जिला आजमगढ़) तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि सन् १९६१ और ६२ में कितने तहसीलदार एवं कितने स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर रिटायर हुये और फरवरी, सन् १९६३ तक कितने-कितने को पेंशन का आदेश तथा उनका हिसाब दिया गया है ? और न देने का कारण क्या है ?

श्री हुकुमसिंह विशेष—

४४ तहसीलदार व ११ स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टर । फरवरी तक ११ तहसीलदार तथा २ स्थानापन्न डिप्टी कलेक्टरों को पेन्शन के आदेश महालेखापाल से जारी हो चुके थे । अन्य लोगों के सम्बन्धित पत्रादि पूरा न होने के कारण या पेन्शन कम करने के लिये वैभागिक कार्यवाही शुरू हो जाने के कारण पेन्शन के आदेश प्रसारित न हो सके ।

*५४–५५—श्री हमीद खां (जिला कानपुर)—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया] ।

नार्मल स्कूल, चरखारी के विद्यार्थियों की छात्रवृत्ति

*५६—श्री मदनपालसिंह—

क्या शिक्षा मंत्री को पता है कि नार्मल स्कूल, चरखारी, जिला हमीरपुर में छै विद्यार्थी ऐसे हैं जिन्होंने स्कूल में दाखिला नहीं लिया जो सरकार की ओर से माहवारी वजीफा पर लिये गये थे, कुछ विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो बिना वजीफा लिये गये हैं जिन्होंने स्कूल में दाखिला ले लिया है तो क्या सरकार उन विद्यार्थियों का वजीफा उन विद्यार्थियों को देने की स्वीकृति देगी जिन्होंने बिना वजीफा दाखिला लिया ? और इस कार्यवाही में क्या सरकार हरिजन विद्यार्थियों को प्राथमिकता देने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

एच० टी० सी० प्रथम वर्ष में सरकार द्वारा छात्रवृत्ति सहित मनोनीत विद्यार्थियों में से केवल तीन ने प्रवेश नहीं लिया था और इस समय सभी विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति मिल रही है ।

जिला परीक्षा परामर्शदात्री समितियां, फर्रुखाबाद इण्टर कालेज विषयक पत्र

*५७—श्री होरीलाल यादव (जिला इटावा)—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका फर्रुखाबाद के निवासियों का कोई प्रार्थना-पत्र नगरपालिका द्वारा संचालित इंटर कालेज के सम्बन्ध में जनवरी, १९६३ या फरवरी, १९६३ को सरकार को मिला है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हो रही है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां । उस प्रार्थना-पत्र पर शासन किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझता ।

*५८—श्री होरीलाल यादव—

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जूनियर हाई स्कूल की परीक्षा लेने तथा उसका प्रबन्ध करने के लिये जिलेवार कोई समिति है ? यदि हां, तो उसके कौन-कौन सदस्य होते हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी हां । प्रत्येक जिले में परीक्षा परामर्श दात्री समिति है । जिसके सदस्य निम्नलिखित होते हैं—

(१) जिला विद्यालय निरीक्षक—अध्यक्ष ।
(२) उप-विद्यालय निरीक्षक—मंत्री ।
(३) एक प्रधानाचार्य, राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय—सदस्य ।

(४) एक सहायता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय का प्रधानाचार्य (जो जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत किया जाता है) ---सदस्य ।

(५) एक प्रधानाचार्य, राजकीय दीक्षा विद्यालय---सदस्य ।

(६) एक जूनियर हाई स्कूल का प्रधानाध्यापक (जो उप-विद्यालय निरीक्षक द्वारा मनोनीत होता है)---सदस्य ।

(७) नगरपालिका का शिक्षा अधीक्षक---सदस्य ।

*५९---श्री होरीलाल यादव---

[९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६०---श्री श्यामलाल तथा श्री रामसुन्दर पांडेय---

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

*६१-६२---श्री विजयपालसिंह (जिला मुजफ्फरनगर)---

[९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

वाराणसी जिले में विदेशी शराब के लाइसेंसदार

*६३---श्री रामलखन वकील (जिला वाराणसी)---

क्या आबकारी मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि इस समय वाराणसी जिले एवं शहर में एफ० एल० १६, एफ० एल० १७, एफ० एल० ५ तथा एफ० एल० ७ के कुल कितने लाइसेन्सी किन-किन स्थानों पर हैं ?

आबकारी मंत्री (डाक्टर सीताराम)---

वांछित सूचना संलग्न तालिका नम्बर १ में देखें ।

(देखिये नत्थी 'छ' आगे पृष्ठ १०६६-१०६८ पर)

*६४---श्री रामलखन वकील---

क्या आबकारी मंत्री यह भी बतलाने की कृपा करेंगे कि १ जनवरी, १९६१ से ३१ जनवरी, १९६३ के बीच उपरोक्त लाइसेन्स जिला वाराणसी में अलग-अलग किन-किन व्यक्तियों को कहां-कहां पर दिये गये और उसमें से हरिजनों की कितनी संख्या है तथा उसके देने का क्या आधार है ? तथा उपरोक्त अवधि के भीतर कुल कितने प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुए थे ?

डाक्टर सीताराम---

वाराणसी जिले में १ जनवरी, १९६१ से ३१ जनवरी, १९६३ तक एफ० एल० १६ का १ लाइसेन्स तथा एफ० एल० १७ के १० लाइसेन्स जिलाधीश द्वारा दिये गये । एफ० एल० ५ व ७ का कोई लाइसेन्स नहीं दिया गया । एफ० एल० १६ व एफ० एल० १७ के लाइसेन्स आबकारी मैनुअल १ के नियम ६१४(१) व ६१५(१) के अन्तर्गत स्वीकृत किये गये हैं । लाइसेन्स प्राप्त करने वाले व्यक्तियों का नाम व स्थान संलग्न तालिका नम्बर २ में दिया गया है । इन लाइसेन्सों को प्राप्त करने वाले व्यक्तियों में कोई हरिजन नहीं है । इन लाइसेन्सों के लिये प्राप्त प्रार्थना-पत्रों की संख्या निम्नलिखित है---

एफ० एल० १६	..	८
एफ० एल० १७	..	१२६
एफ० एल० ५	..	९
एफ० एल० ७	..	१२

*६५---श्री रामलखन वकील---

क्या आबकारी मंत्री उपरोक्त लाइसेन्सों के वितरण में होने वाली धांधली को देखते हुए आबकारी मैनुअल में परिवर्तन करने का विचार कर रहे हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

डाक्टर सीताराम---

जी नहीं। उक्त लाइसेन्स जिलाधीश द्वारा नियमानुकूल स्वीकृत किये गये हैं।

*६६-६७---श्री रतीपाल (जिला रायबरेली)---

[हटा दिये गये।]

*६८-६९---श्री जगन्नाथ चौधरी (जिला बलिया)---

[९ वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बांसडीह-दहताल-सिकन्दरपुर मार्ग

*७०---श्री जगन्नाथ चौधरी---

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री को ज्ञात है कि बलिया जिला के अन्तर्गत बांसडीह से मनियार-सिकन्दरपुर तक सड़क को पक्का करने का कार्य कब प्रारम्भ हुआ और उक्त सड़क कब तक बन कर तैयार हो जायेगी ?

श्री हुकुमसिंह विरोन---

बांसडीह-दहताल मार्ग का निर्माण-कार्य १९५६ में शुरू हुआ था और दिसम्बर, १९६० में पूर्ण हो गया। सिकन्दरपुर-दहताल मार्ग का निर्माण-कार्य १९५८ में स्वीकृत हुआ और कार्य १९६० में चालू हुआ। कार्य १९६४-६५ तक पूर्ण हो जाने की आशा है।

नरैनी तहसील में पान के खेतों का लगान कम करने की प्रार्थना

*७१---श्री मतोलासिंह---

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम बरई-मानपुर, तहसील नरैनी, जिला बांदा में पान के खेतों का लगान १४० प्रति एकड़ है जो सर्किल रेट से बहुत अधिक है तथा ऐसे खेतों को तीन साल के बाद २ साल परती डालना पड़ता है ?

श्री हुकुमसिंह विरोन---

१४० रुपये प्रति एकड़ नहीं है। तथापि यह सही है कि पान के खेतों को तीन साल के बाद दो साल के लिये परती डालना पड़ता है।

*७२---श्री मतोलासिंह---

क्या यह भी सरकार को जानकारी है कि यह भूमि नालों के पास ऊंची तथा टिकुरा हल्की भूमि है जो अन्य उपजाऊ भूमि नहीं होती उसे पान किसान अधिक धन व्यय करके उसके चारों ओर बाढ़ लगाकर और ऊपर से भी सायादार बना करके पान लगाते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विरोन---

ऐसा नहीं है कि पान की खेती जिस जमीन पर होती है वहां और कुछ उपज ही नहीं सकता। पान की खेती उन परिस्थितियों में भी होती होगी जो प्रश्न में उल्लिखित हैं।

*७३---श्री मतोलासिंह---

क्या सरकार ऐसे बढ़े हुये लगान की दर कम करने का विचार रखती है ? अगर नहीं, तो क्यों ? यदि हां, तो कब तक ?

श्री हुकुमसिंह विरोन---

जी नहीं। अगर कोई खातेदार समझता है कि उसे जमींदारी विनाश अधिनियम की धारा २४६ की उप-धारा (३) में उल्लिखित मालगुजारी में छूट प्राप्त है तो वह उसे अपने परगनाधीश के यहां आवेदन-पत्र देकर प्राप्त कर सकता है।

आजमगढ़ जिला परिषद् के सहायक विद्यालय निरीक्षक

*७४--श्री दौलतलाल (जिला आजमगढ़)--

क्या शिक्षा मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आजमगढ़ जिला परिषद् के कुछ सहायक विद्यालय निरीक्षक ५ वर्ष से अधिक समय से कार्य कर रहे हैं ? यदि हां, तो ऐसे सहायक विद्यालय निरीक्षकों का स्थानान्तरण कब तक हो जाने की संभावना है ?

आचार्य जुगलकिशोर--

जी हां, दो हैं ।

अराजपत्रित (non-gazetted) कर्मचारियों के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में कोई नियम बने हुए नहीं हैं जिनके अन्तर्गत उनका स्थानान्तरण किसी विशेष कालावधि के पश्चात् करना आवश्यक हो । सहायक विद्यालय निरीक्षक अराजपत्रित कर्मचारी होते हैं ।

*७५--श्री गंगाप्रसाद--

[हटा दिया गया ।]

*७६-७७--श्री गंगाप्रसाद--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किय गये ।]

*७८-७९--श्री बिशनलाल यादव (जिला मुरादाबाद)--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

राष्ट्रीय अनुशासन योजनान्तर्गत व्यायाम अध्यापकों का प्रशिक्षण

*८०--श्री बिशनलाल यादव--

क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि National Discipline Scheme के अन्तर्गत Physical Instructors को refresher course की training के लिये कब से और कितने दिन के लिये भेजा जायगा ? तथा यह ट्रेनिंग किन-किन स्थानों पर होगी ?

आचार्य जुगलकिशोर--

राष्ट्रीय अनुशासन योजना के अन्तर्गत प्रदेश के व्यायाम अध्यापकों को दलों में १५ फरवरी, १९६३ से ३ माह के अभिनवीकरण कोर्स के हेतु भारत सरकार द्वारा खोले गये केन्द्रों पर भेजा गया है । ये केन्द्र अभी तक पंचकुला (अम्बाला) तथा मेरठ में खोले गये हैं । परन्तु इसके अतिरिक्त झज्जर (रोहतक) तथा जुब्बल (शिमला) में भी ऐसे ही केन्द्र भारत सरकार द्वारा खोले जाने का प्रस्ताव है । इनमें भी इस प्रदेश के व्यायाम अध्यापकों को अभिनवीकरण कोर्स के लिये भेजे जाने का प्रस्ताव है । ये कोर्स भी ३ माह के होंगे, परन्तु आरम्भ होने की तिथि भारत सरकार ही निश्चित करेगी ।

*८१-८२--श्री बृजेश्वर सहाय--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

जानसठ तहसील में बन्दोबस्त में गलतियां

*८३--श्री ऊदल (जिला वाराणसी) तथा श्री विजयपालसिंह--

क्या सरकार को पता है कि ग्राम मजलिस तोफीर, लुकादड़ी, जहांगीरपुर, हाजीपुर, तहसील जानसठ, जिला मुजफ्फरनगर का बन्दोबस्त १३६५ फसली में किया गया था ? जो बिल्कुल निराधार और सरकारी कर्मचारियों के मनमाने पन तथा लापरवाही और मौके पर जाकर नहीं किया गया था और उपरोक्त गांव के किसानों की उजरदारी पर रद्द कर दिया गया और उपरोक्त गांव के दोबारा बन्दोवस्त कराये जा रहे हैं ? यदि हां, तो सरकार ने किन-किन खास बातों को आधार मान कर दोबारा बन्दोबस्त कराने का आदेश दिया है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

१३६५ फ० में किया गया बन्दोबस्त (Record operation) रद्द नहीं किया गया। इस बन्दोबस्त में फर्द मुताबकत सही न बनने के कारण इन्दराजों में कुछ गलतियां हो गई थीं। इस कारण तथा कुछ प्रार्थना-पत्र प्राप्त होने पर सरकार ने रिकार्ड ठीक कराने के लिये दोबारा बन्दोबस्त (Record Operation) कराने के आदेश दिये।

*८४--श्री ऊदल तथा श्री विजयपालसिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि राज्य कर्मचारी पहले बन्दोबस्त (१३६५ फसली) को ही आधार मान कर और मौके पर न जाकर उपरोक्त गांव का बन्दोबस्त कर रहे हैं जिससे किसानों को कोई लाभ नहीं होगा और सरकार की लागत व्यर्थ हो जायगी ? क्या किसानों ने सरकारी कर्मचारियों के रवैये के प्रति उजरदारी कर दी है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस मामले पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करके राज्य कर्मचारियों को मौके पर जाकर पड़ताल करने की तथा १३२६ फसली के कागजात की सहायता लेकर बन्दोबस्त कराने के आदेश जारी करेगी और जब तक इस पर कोई निर्णय न हो जाये तो उस वक्त तक बन्दोबस्त की कार्यवाही को बन्द करने का कष्ट करेगी ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

यह सही नहीं है कि राज्य कर्मचारी मौके पर न जाकर १३६५ फ० के बन्दोबस्त के आधार पर उपरोक्त ग्रामों का बन्दोबस्त कर रहे हैं। कुल रकबे की मौके पर पैमाइश की गई है और काश्तकारों के कब्जे भी मौके की स्थिति के अनुसार कागजात में दर्ज किये गये। काश्तकारों से कुछ आपत्तियां प्राप्त हुई थीं इस सम्बन्ध में राजस्व परिषद् द्वारा आदेश दिया गया कि नियमों के अनुसार कागजात की तैयारी का आधार १३६५ फ० का बन्दोबस्त ही माना जावे, परन्तु साथ ही १३२६ फ० का नकशा भी साथ में रखा जावे और मौके पर अन्य सबूत लेकर काश्तकारों के अधिकारों का ठीक इन्दराज कर दिया जावे।

*८५---श्री ऊदल तथा श्री विजयपाल सिंह--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उपरोक्त गांवों के किसानों ने तथा सरकारी कर्मचारी (बन्दोबस्त अधिकारी, ए० आर० ओ० महोदय) ने सरकार से इस सम्बन्ध में कोई लिखा-पढ़ी की है कि बन्दोबस्त, १३२६ फ० को ही आधार पर मान कर किया जाना चाहिए ? यदि हां, तो सरकार को ऐसा आदेश देने में क्या कठिनाई है और यह आदेश अभी तक क्यों नहीं जारी किये गये ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

जैसा प्रश्न संख्या ८४ के उत्तर में कहा गया है कागजात दुरुस्ती करते समय १३२६ फ० के नक्शे को भी देखने के आदेश राजस्व परिषद् द्वारा दिये जा चुके हैं, परन्तु नियमों के अनुसार १३६५ फ० के बन्दोबस्त की अवहेलना नहीं की जा सकती।

*८६-८८--श्री नित्यानन्द पांडेय (जिला कानपुर)--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

*८९-९१--श्री घनश्यामदास (जिला बाराबंकी)--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

सुपरवाइजर कानूनगोओं में से नायब तहसीलदारों का चुनाव

*९२--श्री उमाशंकर--

क्या मालमंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अक्तूबर, सन् १९६२ में सुपरवाइजर कानूनगो लोगों में से नायब तहसीलदार के लिए कितनों का चुनाव हुआ है ?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

८४।

*९३—श्री जुगलकिशोर—
[हटा दिया गया।]

*९४—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

*९५-९७—श्री उमादत्त (जिला सुल्तानपुर)—
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

बीसलपुर तहसील से चन्दे के संबंध में शिकायत

*९८—श्री दुर्गाप्रसाद (जिला पीलीभीत)—
क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला पीलीभीत के अन्तर्गत तहसील बीसलपुर में ग्राम करखेड़ा में चन्दा देने वालों की शिकायत है कि जनवरी के द्वितीय सप्ताह में सहायक चकबन्दी अधिकारी श्री जटाशंकर तथा कानूनगो जगदीश प्रसाद ग्राम से ५० रु० चन्दा सुरक्षा कोष के लिए लाये जिसकी रसीद नहीं दी ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
जी हां, ऐसी शिकायत श्री कोमिल प्रसाद ने की है।

*९९—श्री दुर्गाप्रसाद—
क्या सरकार को यह भी ज्ञात है कि रसीद न मिलने के सम्बन्ध में श्री कोमिल प्रसाद ने एक शिकायती प्रार्थना-पत्र भी जिलाधीश महोदय को दिनांक २८ जनवरी, १९६३ को रजिस्टरी द्वारा दिया उसमें क्या कार्यवाही हुई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
जी हां, उक्त प्रार्थना-पत्र पर जांच की जा रही है।

*१००—श्री दुर्गाप्रसाद—
क्या मन्त्री जी यह भी बतायेंगे कि उपरोक्त ५० रुपया चन्दा की रसीद शीघ्र दिलवाकर सम्बन्धित अधिकारियों के खिलाफ वैधानिक कार्यवाही करने की व्यवस्था करेंगे ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—
श्री कोमिल प्रसाद का पन्द्रह रुपया खजाने में जमा हुआ है जिसकी रसीद कट चुकी है। यदि जांच से पचास रुपया देने का आरोप सही पाया गया तो संबंधित कर्मचारियों के खिलाफ आवश्यक कार्यवाही की जायगी।

मदरसा इस्लामिया, बागमीर, आजमगढ़ की भूमि का मामला

*१०१—श्री सत्यनारायण पांडेय तथा श्री रामसुन्दर पांडेय—
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री मंगलदेव विशारद, भीमा प्रसाद और श्री राम सुन्दर पांडेय, सदस्य विधान सभा द्वारा १३ अगस्त, १९६२ का कोई लिखित पत्र उन्हें प्राप्त हुआ है जिसमें शिक्षा संस्था द्वारा दी गयी भूमि की मांग का निर्णय सरकार द्वारा न किये जाने का उल्लेख है ? यदि हां, तो उक्त प्रार्थना-पत्र पर कौन-सी कार्यवाही की गयी है ?

आचार्य जुगलकिशोर—
जी हां, मामले में आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

मुरादाबाद में कलेक्टर व एस० पी० के बंगलों में खेती

*१०२—श्री रियासत हुसैन—
क्या राजस्व मंत्री बतायेंगे कि मुरादाबाद में कलेक्टर साहब और एस० पी० और डी० एम० के कम्पाउन्ड में जो काश्त होती है उस पर साल भर में कितना खर्चा होता है और कितनी आमदनी होती है तथा उसका खर्चा कहां से आता है और उस पर काम कौन से लोग करते हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

मुरादाबाद जिले में कलेक्टर और एस० पी० अपने बंगलों के कम्पाउन्ड में काश्त अपने निजी खर्चे से किराये के मजदूरों द्वारा कराते हैं। खर्चे और आमदनी का ब्यौरा इस प्रकार है:—

		सालाना खर्चा लगभग रु०	सालाना आमदनी लगभग रु०
कलेक्टर का कम्पाउन्ड	..	२,२००	२,५००
एस० पी० का कम्पाउन्ड	..	३००	३००

सैनिकों के परिवारों की देखभाल

*१०३—श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल—

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अभी हाल में भारत सरकार तथा राज्य सरकार में कोई बातचीत इस प्रकार की हुई है कि मृत और जीवित सैनिकों, उनके परिवारों की देखभाल के लिए अथवा सैनिकों पर आश्रित परिवारों और उनकी सम्पत्ति की पूर्ण देख-भाल के लिए उचित व्यवस्था की जाय?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

इस प्रकार की बातचीत तो नहीं हुई है, परन्तु भारत सरकार तथा अन्य संस्थाओं से इन परिवारों को सुविधाएं देने के लिये पत्र अवश्य आए हैं तथा आते रहते हैं जिन पर उचित व्यवस्था की जाती है।

सैनिकों को सुविधाएं

*१०४—श्री रामकिंकर (जिला प्रतापगढ़)—

क्या राजस्व मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय सरकार से उत्तर प्रदेशीय सरकार को कोई ऐसा आदेश मिला है कि जो फौज में काम करने वाले व्यक्ति हैं उनको इस आपत्तिकाल में तुरन्त सुविधाएं दी जायं, यदि हां, तो क्या हैं?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

जी नहीं

*१०५-१०६—श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये।]

अतारांकित प्रश्न

बड़हलगंज ब्लाक बनाने का ठेका

१—श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री १४ सितम्बर, १९६२ के तारांकित प्रश्न संख्या ८१ के क्रम में यह बताने की कृपा करेंगे कि—

२० जनवरी, १९६१ को टेन्डर लेने के बाद ४ अगस्त, १९६१ को इतने दिनों बाद बांड क्यों बनाया गया, तथा १ मार्च, १९६२ को जो फीस वर्क अग्रीमेंट बना उसका अन्तिम रूप देने के लिए २५ जुलाई, १९६२ तक क्यों रुकना पड़ा?

श्री गिरधारीलाल—

इस प्रश्न के बारे में आवश्यक सूचना विधान सभा के प्रथम सत्र १९६२ के १५वें शुक्रवार के लिये निर्धारित तारांकित प्रश्न संख्या १०२ के उत्तर में दी जा चुकी है।

२—श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह—

प्रथम बांड का प्रथम, द्वितीय और तृतीय बिल तथा द्वितीय बांड का प्रथम और द्वितीय बिल किन-किन तारीखों को दिया गया और मेजरमेंट किन-किन तारीखों में हुआ था?

श्री गिरधारीलाल--

मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार किये गये कार्य के नापने की तिथियां निम्नांकित हैं :--

बिल नं०	प्रथम बांड		द्वितीय बांड	
	नापने की तिथि		बिल नं०	नापने की तिथि
१	..	१०-१०-६१	१	१५-३-६२
२	..	३-१-६२	२	२८-५-६२
३	..	१५-३-६२	..	..

प्रथम तथा द्वितीय बांड के बिल किन-किन तारीखों को दिये गये इसके बारे में सूचना उपलब्ध नहीं हुई है।

३--श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या यह सही है कि उपरोक्त ब्लाक के ठेकेदारों को अधिकारियों ने तंग किया जिसके फलस्वरूप उन्हें काम बन्द कर देना पड़ा और इसकी शिकायत अधिकारियों से की गयी थी ? यदि हां, तो क्या ?

श्री गिरधारीलाल--

सरकार इस विषय में अभी छानबीन कर रही है।

४--श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह--

क्या मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि प्रथम बांड के ठेकेदार ने २२ सितम्बर, १९६१ को कोई पत्र अधिशासी अभियन्ता तथा सहायक अभियन्ता को लिखा था जिसके द्वारा बांड न मिलने के कारण काम बन्द होने की सूचना देते हुये बांड की मांग की थी ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर क्या जवाब दिया गया और ठेकेदार को बांड दिया गया या नहीं ? यदि हां, तो कब ?

श्री गिरधारीलाल--

जी हां। प्रथम बांड के ठेकेदार ने २२-९-६१ को पत्र लिखा था जिसमें सूचित किया था कि बांड की कापी न मिलने के कारण वह काम बंद कर रहा है। इसके उत्तर में सहायक अभियन्ता ने ठेकेदार को पत्र संख्या ३८३४-३ बी०, दिनांक ४-१०-६१ में लिखा था कि काम रोकने के लिये यह कारण उचित नहीं था क्योंकि सामान वगैरह उसको दे दिया गया था, जिसका उसने पूर्ण इस्तेमाल काम पर नहीं किया था। इस सम्बन्ध में ठेकेदार को यह भी सूचित किया गया था कि काम के बारे में आवश्यक आदेश वह ओवरसियर से हर समय प्राप्त कर सकता था। बांड की कापी ठेकेदार को ३१-१-६२ के पत्र के साथ प्रेषित की गई थी।

बदायूं जिले में लेखपाल

५--श्री जुगलकिशोर--

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जिला बदायूं में ऐसे कितने लेखपाल हैं जो एक ही हल्के में ३ साल से अधिक समय से काम कर रहे हैं ?

श्री हुकुमसिंह विसेन--

२३२।

एस० ओ० सी० घाटमपुर की अदालत में मुकदमे

६—श्री शिवनाथसिंह—

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जिला कानपुर की तहसील घाटमपुर के अन्तर्गत एस० ओ० सी० घाटमपुर की अदालत में १ जनवरी, सन् १९६२ से १५ फरवरी, १९६३ तक कितने मुकदमों में निर्णय देने में दो से अधिक तारीखें दी गयीं तथा कितने मुकदमे ऐसे हैं जिनका निर्णय देने में एक माह से अधिक समय लगा ?

श्री हुकुमसिंह बिरोन—

सूचना एकत्र करने में जितना व्यय तथा श्रम लगेगा उसके अनुरूप एकत्र सूचना लाभप्रद नहीं होगी ।

बदायूं जिला परिषद् स्कूलों में सुरक्षा कोष के लिए चन्दा वसूली

७—श्री उल्फतसिंह—

क्या यह सत्य है कि अध्यक्ष जिला परिषद्, बदायूं के समस्त माध्यमिक विद्यालयों में इस प्रकार का आदेश दे दिया गया है कि जो छात्र कम से कम ५ रु० सुरक्षा कोष अथवा सेविंग बैंक में जमा नहीं करेगा तो उसका नाम काट दिया जायगा ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं ।

८—श्री उल्फतसिंह—

यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करेगी ?

आचार्य जुगलकिशोर—

प्रश्न सं० ७ के उत्तर के अनुसार यह प्रश्न नहीं उठता ।

९—श्री उल्फतसिंह—

क्या यह सत्य है कि उक्त जिले के जिला परिषद् के अध्यापकों से एक ही मास में २० रु० प्रति अध्यापक सुरक्षा कोष के लिए लिया गया है ? जो उनकी अल्प आय को देखते हुये अधिक है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

जी नहीं, जो भी स्वेच्छा से दिया गया वही स्वीकार किया गया ।

१०–१२—श्री रतीपाल—

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

सिकन्दरपुर–कुतुबगंज घाट सड़क

१३—श्री जगन्नाथ चौधरी—

क्या सार्वजनिक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बलिया जिला के अन्तर्गत सिकन्दरपुर से कुतुबगंज घाट तक जो महत्वपूर्ण सड़क है उसे पक्की करना सरकार के विचाराधीन है ?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं ।

१४—श्री जगन्नाथ चौधरी—

यदि हां, तो क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि उक्त सड़क को पक्का करने का कार्य कब से प्रारम्भ होगा ?

श्री गिरधारीलाल--
प्रश्न नहीं उठता ।

१५-१६--श्री अवधेशकुमार सिनहा (जिला सीतापुर)--
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

विद्यालय निरीक्षक का टेंट एलाउन्स

१७--श्री होरीलाल यादव--
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षण संघ ने अपने प्रस्ताव ११ फरवरी, १९६३ में कहा है कि वे टेन्ट एलाउन्स छोड़ देने के लिये तैयार हैं ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई है ?

आचार्य जुगलकिशोर--
उत्तर प्रदेश विद्यालय निरीक्षक संघ ने ११-२-६३ को नहीं अपितु ११-२-६२ को टेन्टेज एलाउन्स छोड़ने का सुझाव भेजा था, किन्तु सदस्यों द्वारा टेन्टेज एलाउन्स (Surrender) किये जाने की सूचना शासन को नहीं है ।

राष्ट्रीय अनुशासन योजना

१८--श्री शान्तिचन्द्र शुक्ल--
क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय की राष्ट्रीय अनुशासन योजना प्रदेश में लागू करने का विचार वे रखते हैं ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ?

आचार्य जुगलकिशोर--
जी हां ।

भारत सरकार ने शारीरिक शिक्षा तथा राष्ट्रीय अनुशासन योजना का एक मिश्रित कार्य-क्रम तैयार किया है जिसमें शारीरिक शिक्षा, ए० सी० सी० तथा राष्ट्रीय अनुशासन की उत्तम बातों को सम्मिलित किया गया है । जुलाई, १९६३ से यह योजना उत्तर प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के विद्यार्थियों के हेतु लागू हो जायेगी ।

प्रदेश के उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के व्यायाम अध्यापकों को इस योजना के अन्तर्गत अभिनवीकरण कोर्स करने के हेतु भारत सरकार द्वारा खोले गये केन्द्रों पर भेजा गया है । ये अध्यापक अपने विद्यालयों में इसका शिक्षण कार्य करेंगे । इसके अतिरिक्त कुछ नेशनल डिसिप्लिन इन्सट्रक्टर भारत सरकार द्वारा नियुक्त किये जायेंगे जिनका वेतन भी भारत सरकार देगी ।

१९--श्री कल्पनाथसिंह--
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया ।]

२०-२१--श्री बांकेलाल--
[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किये गये ।]

आगरा जिले में दीक्षा विद्यालय

२२--श्री होरीलाल यादव--
क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि आगरा जिले में किन स्थानों पर राजकीय दीक्षा विद्यालय स्थापित हैं ? सन् १९६१-६२ में किन-किन दीक्षा विद्यालयों की इमारतें बनायी गयी हैं ?

आचार्य जुगलकिशोर--

आगरा जिले में एतमादपुर, सैया तथा आगरा शहर में राजकीय दीक्षा विद्यालय स्थापित है। सन् १९६१-६२ में सैया दीक्षा विद्यालय का भवन निर्माण हुआ था। आगरा शहर का दीक्षा विद्यालय पहले ही से सरकारी भवन में चल रहा है।

तहसीलदार सदर, जिला फर्रुखाबाद से लगान अधिक वसूल करने की शिकायत

२३--श्री होरीलाल यादव--

क्या माल मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि प्रश्न कर्त्ता द्वारा निवासी ईसापुर, मौजा मितपुरा, परगना भोजपुर, जिला फर्रुखाबाद के काश्तकारों से गलत ढंग से अधिक रुपया लगान में वसूल करने के संबंध में लिखा गया कोई पत्र तहसीलदार सदर, जिला फर्रुखाबाद को मिला है? यदि हां, तो उस संबंध में क्या कार्यवाही की गयी?

श्री हुकुमसिंह बिसेन--

जी हां, तहसीलदार सदर, जिला फर्रुखाबाद को श्री हामिद हुसेन व जाहिद हुसेन के संबंध में प्रार्थना-पत्र मिला था। इस संबंध में छानबीन की गई। लेखपाल द्वारा जमा बन्दी में काश्तकारान का लगान १३६९ फसली में १८.२८ न० पै० के बजाय २८.१८ न० पै० गलत दर्ज हो गया था। १३६९ फसली में अमीन को काश्तकारान से केवल १४.०९ न० पै० ही वसूल हो पाये। १३७० फसली में काश्तकारान ने ४.२८ न० पै० और अदा किये। इस प्रकार इन लोगों से १३६९ फसली का कुल १८.३७ न० पै० वसूल हुआ। १३७० फसली का सही लगान १८.२८ न० पै० काश्तकारान ने राजी से अदा कर दिया।

१३६९ फसली की जमा बंदी के गलत इन्दराज को सही करने हेतु कार्यवाही की गई है।

स्थानीय निकायों के अध्यापकों का भत्ता

२४--श्री दयाराम शाक्य--

क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि प्रान्त के स्थानीय निकायों, जिला परिषदों के अध्यापकों को अन्य विभागीय कर्मचारियों के अनुरूप महंगाई भत्ता क्यों नहीं दिया जाता?

आचार्य जुगलकिशोर--

प्रश्नगत कारण स्थानीय निकायों तथा जिला परिषदों की आर्थिक स्थिति पूर्णतः संतोषजनक न होना है। शासन द्वारा भी अतिरिक्त व्यय भार वहन करना संभव नहीं हो सका।

२५--श्री बांकेलाल तथा श्री कल्पनाथसिंह--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

२६--श्री शिवनाथसिंह--

[९वें शुक्रवार के लिये स्थगित किया गया।]

छाछा-अलीपुर सड़क

२७--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि छाछा-अलीपुर सड़क, जिला मैनपुरी की कब बनाने की योजना स्वीकृत हुई थी?

श्री गिरधारीलाल--

इस सड़क के बनने की योजना जुलाई, १९६० में स्वीकृत हुई थी।

२८--श्री राजेन्द्रसिंह--

क्या वह छाछा-अलीपुर सड़क बन कर तैयार हो गई? यदि नहीं, तो क्यों और कब तक बन कर तैयार हो जावेगी?

श्री गिरधारीलाल—

जी नहीं। अभी इसका निर्माण-कार्य चालू है और आशा है कि इस पर कार्य नवम्बर, १९६४ तक पूरा हो जायेगा। सड़क के संरेखण के संबंध में कुछ विवाद होने के कारण, इसके बनने का कार्य कुछ समय के लिये स्थगित कर दिया गया था। अब इस संबंध में निर्णय हो गया है और सड़क बनने का कार्य चालू हो गया है।

महराजगंज विकास खण्ड में घाघरा का कटाव

२९—श्री उमाशंकर (आजमगढ़)—

क्या सरकार कृपा करके यह बतायेगी कि आजमगढ़ जिले के विकास खण्ड महाराजगंज की किन किन ग्राम सभाओं की आबादी पूरी अथवा अंशतः घाघरा नदी के कटाव के कारण गोरखपुर जिले में चली गई है ?

३०—क्या सरकार कृपया बतायेगी कि उन परिवारों की संख्या कितनी है जो कटाव के कारण बेघर हो गये हैं और उन्हें फिर से आबाद करने की क्या व्यवस्था की गई है ?

३१—क्या राजस्व मंत्री यह बतायेंगे कि उन निरीह लोगों को जो अपनी भूमि खो चुके हैं किन कारणों के आधार पर प्रदेश सरकार द्वारा आबाद की गई नयी भूमि नहीं दी गई ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

पूर्ण सूचना एकत्र की जा रही है।

सर्किल आफिसर, बराखेड़ा, जिला पीलीभीत द्वारा किसानों से रसीदें लेना

३२—श्री होरीलाल यादव—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि श्री राम शर्मा सर्किल आफिसर बराखेड़ा जिला पीलीभीत ने २३ जून, १९५९ को किन-किन काश्तकारों की १८ रसीदें डी० सी० ओ० को दिखाने के लिये ली थीं ? क्या वे रसीदें पुनः वापस की गयीं ? क्या उन काश्तकारों से पुनः वसूली की जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

श्री श्रीराम शर्मा सर्किल आफीसर बराखेडा जिला पीलीभीत ने २३-६-५९ को १४ काश्तकारों की १८ रसीदें डी० सी० ओ० को दिखाने के लिये ली थीं। उनके नाम निम्नलिखित हैं: सर्व श्री मंसा राम, मोहन लाल पुत्र सुमेर प्रसाद, शिवा, मोहन लाल पुत्र वफदेव प्रसाद, छबिनाथ, जगदम्बा प्रसाद, हरी शंकर, रघुनन्दन प्रसाद राम प्रसाद, राम दयाल, उमराय, लाल डोरी, नोखे और कन्धई लाल। वह रसीदें किसानों के संबंधित सहकारी बीज गोदाम के खातों में इन्दराज कराकर रिकार्ड में रखा गया है जो अब भी उपस्थित है। इस रकम की वसूली काश्तकारों से पुनः नहीं की जा रही है।

नार्मल स्कूलों के होस्टल सुपरिटेंडेंटों का एलाउन्स

३३—श्री गणेशचन्द्र काछी—

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उत्तर प्रदेश के कितने गवर्नमेण्ट नार्मल स्कूल के होस्टल सुपरिण्टेडेण्टों को क्वार्टर के अतिरिक्त शिक्षा संहिता के छठे अध्याय से २२१ धारा के अनुसार १५ रु० मासिक एलाउन्स मिलता है ?

आचार्य जुगलकिशोर—

केवल एक को।

सतारगंज—काशीपुर के कश्तकारों के भूमि संबंधी मुकदमें

३४—श्री ऊदल—

क्या सरकार इस प्रश्न पर विचार रख रही है कि सतारगंज से काशी (नैनीताल) में जो १६ हजार परिवारों के पास १ एकड़ से लेकर १२ एकड़ तक जमीन सन्, १९५३ से फब्जे में है और उसके नाम कागजात में दर्ज है और उससे लगान भी लिया जा रहा है उनके खिलाफ बेदखली के मुकदमें स्पेशल जूडिशियल कोर्ट कायम कर के चलाये जा रहे हैं ? क्या सरकार उन सभी किसानों से जमीन का मुआवजा लेकर सभी मुकदमों को उठाने जा रही है ?

श्री हुकुमसिंह विसेन—

सतारगंज से काशीपुर में जिस परिवारों के पास १ एकड़ से १२ एकड़ तक भूमि नाजायज कब्जे में है इसकी सूचना सरकार के पास उपलब्ध नहीं है । २० बीघे से अधिक जमीन जिन परिवारों के पास नाजायज कब्जे में है तथा जिनके भूमि कागजात खतौनी में किसान १०—ए में दर्ज है, उनके खिलाफ बेदखली के मुकदमें सार्वजनिक प्राधिकारी के न्यायालय में चल रहे हैं । नाजायज कब्जेदारों की जमीन स्वीकृत किये जाने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन हैं ।

प्रश्नों के संबंध में शिकायत

श्री विश्वनाथ पान्डेय 'प्रणव' (जिला मिर्जापुर)—

आज के एजेंडे में मेरे प्रश्न है ३८ से ४० तक लेकिन उनका लिखत उत्तर मुझे नहीं मिला है । उनको स्थगित किया जाय ।

दूसरे एजेंडे में मेरा नाम छपा है "विश्वनाथ पान्डेय" । "प्रणव" छूट गया है । पहले लिस्ट में "प्रणन" छपा था । कहने पर संशोधन हुआ तो "प्रणव" छापा गया । अब कहीं "प्रसव" न छाप दिया जाय । लिहाजा उसे ठीक से छापा जाया करे ।

श्री उपाध्यक्ष—

इसकी जांच करके उसे ठीक कर दिया जायगा ।

श्री उमाशंकर तिवारी (जिला बाराणसी)—

६५ नं० का मेरा सवाल जो है उसका उत्तर दूसरा मुझे मिला है । इसलिये निवेदन यह है कि इसे स्थगित कर दिया जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

यह वक्त प्रश्नों का नहीं है । आप मुझसे मिल लीजियेगा ।

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

नत्थी "ख" में ७वां प्रश्न मेरा था । उसे हटा दिया गया है । आशा मुझे यह थी कि कुर्सी से हमें न्याय मिलेगा और आप उस कुर्सी पर विराजमान हैं । २९ जनवरी को उसे पूछा था और महत्त्वपूर्ण प्रश्न था . . . .

श्री उपाध्यक्ष—

सदन का समय इस तरह नहीं लेना चाहिये । सवाल को स्पष्टीकरण के लिये भेजा है, आप स्पष्टीकरण दे दें । जब वह आयेगा तब जवाब मिल जायगा । अब आप बैठ जाइये, यहां इस समय इसका फैसला नहीं हो सकता ।

श्री उमाशंकर तिवारी—

मेरा सवाल नं० ६५ है । प्रश्न के उत्तर में कहा गया है कि "सूचना एकत्रित की जा रही है । मेरा प्रश्न यह था कि प्रार्थना-पत्र दिया गया तो अब तक क्या कार्यवाही हुई है ?

श्री उपाध्यक्ष--

पहले तो उस सवाल का नम्बर ही नहीं आया और फिर सरकार जो जवाब देगी उसमें मैं कोई बदल नहीं कर सकता।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)--

कल आपने समाचार भारती के संबंध में प्रश्न स्थगित कर दिये थे और आज भी वह एजेन्डा पर नहीं आया और जब सदन दो, तीन महीने बाद बैठेगा। इसलिये आज वह आ जाता तो अच्छा होता।

श्री उपाध्यक्ष--

सरकार ने कहा था कि इसकी इन्फार्मेशन में २० दिन लगेंगे। इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं ?

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

हम माननीय सदस्य को आप तक व्यवस्था का प्रश्न रखने का वैधानिक अधिकार है। माननीय श्यामलाल जी ने जो आपके सामने रखा है प्रश्न ७ से संबंधित ...

श्री उपाध्यक्ष--

उसके बारे में बता दिया।

श्री लखपतराम शर्मा--

व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये यह रेकार्ड की बात है। रेकार्ड देख कर ही बताया जा सकता है और रेकार्ड यहां है नहीं।

श्री लखपतराम शर्मा--

आप पूरी बात तो सुनिये।

श्री उपाध्यक्ष--

माफ कीजियेगा, बैठ जाइये, इस वक्त नहीं हो सकता।

यू० पी० पंचायत राज रूल्स में प्रख्यापित संशोधन*

गृह उपमंत्री (श्री नवल किशोर)--

श्रीमन्, मैं यू० पी० पंचायतराज रूल्स में, पंचायती राज विभाग की विज्ञप्ति संख्या ११६३-प/३३--२८(३)-६२, दिनांक १८ मार्च, १९६३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को यू० पी० पंचायत राज ऐक्ट, १९४७ की धरा ११० की उपधारा (३) के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र,जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९६२ में प्रख्यापित संशोधन*

माल मंत्री के सभा सचिव (श्री बृजबिहारी)--

उपाध्यक्ष महोदय, मैं उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश और भूमि-व्यवस्था नियमावली, १९६२ में, राजस्व विभाग की विज्ञप्ति संख्या यू० ओ०-७५ (क) १-क--३७५ डी०-६१ दिनांक २ मार्च, १९३३ के अधीन प्रख्यापित संशोधनों को, उत्तर प्रदेश नागर क्षेत्र जमींदारी विनाश तथा भूमि-व्यवस्था अधिनियम, १९५६ की धारा ८६ की उपधारा ६ के अनुसार सदन की मेज पर रखता हूं।

---

*छापे नहीं गये।

कार्य-स्थगन प्रस्ताव

श्री उपाध्यक्ष---

मेरे पास कार्य-स्थगन प्रस्ताव की एक सूचना माननीय रजेन्द्रसिंह की आयी है कल भी यह सूचना आयी थी . . . .

श्री राजेन्द्रसिंह (जिला एटा)---

श्रीमन्, आप अपनी व्यवस्था देने से पहले मेरी बात सुन लें। इसमें काफी परिवर्तन है . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

देखिये कल जो अध्यक्ष कर गये हैं उसके खिलाफ मैं नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्रसिंह---

उसमें इसकी शब्दावली काफी बदल दी गयी है और यह प्रदेश से ही सम्बन्धित है। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप डेसीजन लेने से पहले कल का कार्य-स्थगन प्रस्ताव मंगा लें और देख लें कि उससे कितना अन्तर है। चीन समर्थक कम्युनिस्ट वहां पर इस प्रकार अफवाह फैला रहे हैं . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठें। आपको यह सब बातें कहने की इजाजत नहीं देता। इससे कोई लाभ नहीं होगा।

श्री राजेन्द्रसिंह---

श्रीमन् कम्युनिस्ट लोग वहां यह प्रचार कर रहे हैं कि चीन ने अणुबम बना लिया है, वह हार नहीं सकता . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

आप बैठ जाइये। मैं इजाजत नहीं देता।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, वहां चाऊ-माऊ के फोटो बांटे जा रहे हैं। बड़ा गम्भीर प्रश्न है।

श्री राजेन्द्रसिंह---

जिला बिजनौर में एक चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है जिसमें नेहरू जी को अल्पकाय और चाऊ को दीर्घ काय दिखाया जा रहा है . . . .

श्री उपाध्यक्ष---

मैं इजाजत नहीं देता। इससे कोई लाभ नहीं होने वाला है। मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

(व्यवधान)

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

श्रीमन् आपने इसकी इजाजत दी या नहीं, मैं शोर में कुछ नहीं सुन सका।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

श्रीमन् ये किस की इजाजत से बोलने लगे? हम बोलते हैं तो आप बैठा देते हैं और इन्हें आप नहीं रोकते।

श्री उपाध्यक्ष---

अब आप कैसे बोलने लगे? मुश्किल तो यह है कि सब लोग खड़े हो कर बोलना शुरू कर देते हैं। कृपा कर के बैठ जाइये। मैंने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है।

श्री राजेन्द्रसिंह--

आप अस्वीकार कर दें मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन यह मैं अवश्य चाहूंगा कि वहां पर मनोबल गिराने के लिये जो प्रयत्न हो रहे हैं यह सरकार के पास आप भेज दें ताकि वह इस प्रकार की कार्यवाहियों पर कंट्रोल कर सके।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

'दिल्ली-पेकिंग शान्ति राही' दल द्वारा भारत विरोधी प्रचार के संबंध में नियम ५२ के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मंत्री का वक्तव्य

श्री उपाध्यक्ष--

मेरे पास नियम ५२ की कई सूचनाएं आयी हैं। उनमें से एक को मैंने स्वीकार किया है। वह इस प्रकार है कि--"दिल्ली पेकिंग शान्ति राही-दल राज्य की राजधानी, लखनऊ में कल प्रवेश कर रहे हैं। वह यहां सार्वजनिक सभाओं में भाषण देंगे। मेरी यह सूचना सत्य है कि उक्त दल द्वारा भारत विरोधी प्रचार किया जा रहा है। उनके द्वारा (१) विद्यार्थियों को एन० सी० सी० छोड़ देने (२) श्री नेहरू के भाषणों के कारण चीन ने आक्रमण किया है (३) चीन शान्ति प्रिय है (४) चीन ने १९५९ को सीमारेखा तक वापस होकर उदारता का परिचय दिया है (५) युद्ध अनावश्यक है, इस प्रकार का प्रचार किया जा रहा है जिससे कि युद्ध प्रयासों के लिये खतरा पैदा होने की सम्भावना है। सरकार का ध्यान इस ओर कई सूत्रों से दिलाया गया है, परन्तु अभी तक उक्त दल के प्रवास पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। कल वह लखनऊ में आ रहे हैं। यहां की जनता में घोर क्षोभ तथा अशान्ति व्याप्त हो रही है। उनके यहां आगमन से नगर की शान्ति तथा व्यवस्था के लिये संकट पैदा होने की सम्भावना है।"

इस पर मुख्य मन्त्री जी अपना वक्तव्य दे दें।

श्री रामआसरे वर्मा (जिला बाराबंकी)--

कौन सज्जन आ रहे हैं?

श्री उपाध्यक्ष--

दिल्ली पेकिंग शान्ति राही।

गृह उप-मन्त्री (श्री नवलकिशोर)--

उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्ताव में जिस मैत्री यात्रा का उल्लख किया गया है उसकी व्यवस्था विश्व शान्ति ब्रिगेड तथा भारत की शान्ति सेना नामक संगठनों ने संयुक्त रूप से की है। उनका उद्देश्य भारत चीन सीमा विवाद को शान्ति पूर्वक हल करने के लिये भारत और चीन की जनता में परस्पर सम्पर्क स्थापित करना है। उनकी योजना दिल्ली से चीन तक जाने की है और इस उद्देश्य से वे २ मार्च को उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद शहर में पहुंचे और मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, आगरा मैनपुरी व इटावा जिलों से होते हुए वे लोग कानपुर जिले में पहुंच गये हैं। रास्ते में वे लोगों से बातचीत करते हुए और उनसे विभिन्न विषयों पर विचार विमर्श करते हुए आ रहे हैं। सरकार की सूचना के अनुसार लखनऊ के आने के बारे में वे आज निर्णय लेंगे। अभी तक लखनऊ इनके प्रोग्राम में नहीं है।

सरकार को जो रिपोर्ट मिली हैं उससे ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपनी बातचीत में इस बात पर जोर दे रहे हैं कि समस्त अन्तर्राष्ट्रीय समस्याओं को शान्तिपूर्ण ढंग से हल किया जाना आवश्यक है, क्योंकि हिन्सात्मक तरीकों को अपनाने से संसार का विनाश हो जायगा। उन्होंने सामान्यतः विभिन्न विवादों को, जिनमें चीन-भारत सीमा विवाद भी सम्मिलित है, हल करने के लिये अहिन्सा का मार्ग अपनाने तथा शान्तिपूर्ण तरीकों का उपयोग करने का समर्थन किया है। उन्होंने यह भी बताया है कि विश्व के विभिन्न देशों में सेनाएं रखने और शास्त्रास्त्र प्राप्त करने पर किया जाने वाला अत्यधिक व्यय व्यर्थ है और सुरक्षा पर और भी अधिक व्यय करने का अर्थ यह होगा कि आर्थिक विकास करने तथा जनता की दशा सुधारने के लिये कम धन उपलब्ध

[श्री नवलकिशोर]

होगा। फिर भी उन्होंने अपने दार्शनिक सिद्धांतों का प्रचार करने में कुछ ऐसी बातें कही हैं जो सरकार की राय में उन्हें न कहनी चाहिये थीं। हम आशा करते थे कि भविष्य में अब ऐसी बातें नहीं करेंगे, परन्तु हमें खेद है कि अब भी वे कुछ ऐसी बातें कह रहे हैं जो इस समय में आपत्ति-जनक हैं। इस मामले में क्या कार्यवाही की जाय यह सरकार के विचाराधीन है, परन्तु यह सही नहीं है कि लखनऊ की जनता में क्षोभ अथवा अशान्ति पैदा हो गई है या नगर की शान्ति तथा व्यवस्था को किसी प्रकार का डर पैदा होने की सम्भावना है।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)—

क्या माननीय मन्त्री जी ने यह पता लगा लिया है कि जो लोग जा रहे हैं उनके अन्तर्गत कितने कम्युनिस्ट समर्थक हैं जो यहां के भेद को ले कर पेकिंग पहुंचाना चाहते हैं ?

मुख्य मन्त्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

इसमें कम्युनिस्ट समर्थक कोई नहीं हो सकता, क्योंकि वे तो शान्ति और अहिंसा में विश्वास करने वाले हैं। कम्युनिस्ट फिलासफी तो शान्ति और अहिन्सा में विश्वास करती नहीं।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

इन लोगों के जो भाषण होते हैं उसमें जो वह कहते हैं कि फौज की जरूरत नहीं है। क्या यह चीज सरकार के खिलाफ नहीं आती है और आज कल इमर्जेंसी में जिस तरह से बात होनी चाहिये, उसके खिलाफ उनके भाषण नहीं होते हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

जो बातें उन्होंने इस समय दार्शनिक विचारों को रखते हुए कही हैं उनमें कई बातें आपत्ति-जनक हैं और सरकार ने उन आपत्तिजनक बातों का अध्ययन भी किया है और उस विषय में वह कुछ कार्यवाही करने की सोच भी रही है।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

क्या माननीय मन्त्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि वह स्वयं या किसी मन्त्रिमण्डल के डेपुटेशन को उनके पास भेजेंगे जो उनसे बात करे जिससे जो भारत विरोधी या राष्ट्र विरोधी बातें कह रहे हैं, उनको रोक दें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

मन्त्री तो जायंगे नहीं। न मुझे किसी मन्त्री को भेजने की आवश्यकता प्रतीत होती है। मैं अपने विचार दूसरे सदन में प्रकट कर चुका हूं और वे विचार मुझे आशा है कि उन तक पहुंच चुके हैं और उनकी आपत्तिजनक बातों के विषय में खेद भी प्रकट कर चुका हूं और चेतावनी भी दे चुका हूं। उसके बाद भी यदि आपत्तिजनक बातें चालू रहेंगी तो जैसा कि मैंने कहा, सरकार को कोई कदम उठाना पड़ेगा और कदम उठाने के विषय में सरकार ने कुछ निर्णय अवश्य किया है।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

क्या माननीय मुख्य मन्त्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उस दल में कांग्रेस के भूतपूर्व प्रेसीडेंट श्री शंकरराव देव भी हैं और माननीय मुख्य मन्त्री स्वयं कांग्रेस के माने जाने नेता हैं, वह स्वयं मिल कर, चीफ मिनिस्टर की हैसियत से नहीं एक प्रमुख कांग्रेसजन की हैसियत से उनसे बात करेंगे कि ऐसी बातें जो राष्ट्र विरोधी हैं इस तरह की बातें न हों जिससे जनता में असंतोष पैदा हो ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

कांग्रेस में बहुत से साथी रहे हैं, बहुत से बुजुर्ग और नेता रहे हैं, लेकिन बहुत से उसमें बहकी-बहकी बातें करने लगे हैं। माननीय सदस्य के दल में भी बहुत से साथी हैं जो कि कांग्रेस में रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के बाहर चले जाने पर बहकी-बहकी-बातें करते हैं। इनमें भी कुछ

बहकी-बहकी बातें करने वाले लोग मौजूद हैं। उनकी बहकी-बहकी बातें दार्शनिक तरीके से पेश की जाती हैं जो व्यावहारिक दुनिया में आपत्तिजनक मानी जा सकती हैं और जिनके विषय में सरकार आपत्तिजनक होने पर कोई कार्यवाही भी कर सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जो आठ फारेनर्स उनके साथ उस दल में शान्ति के लिये जा रहे हैं उनका किन-किन देशों से संबंध है और क्या वह इस बात पर भी प्रकाश डालेंगे कि जो हमारी सरकार की न्युट्रेलिटी की पालिसी है क्या इस ऐक्शन से उन पर कोई असर पड़ेगा या नहीं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उनका उस देश से संबंध नहीं है जिस देश का भारी विरोध नरसिंहनारायण जी करते हैं और वे वह व्यक्ति हैं जिनके बारे में वह देश जिसके बारे में नरसिंहनारायण जी कहते हैं बड़े रिऐक्शनरी लोग हैं, और उन्होंने पाकिस्तान से कहा है कि अपने देश से घुसने न दे, उन्हें कोई रास्ता नहीं देना चाहिये। तो ऐसे देशों से संबंध रखते हैं जो कि भारतवर्ष से एक मैत्री का संबंध रखते हैं और कोई विरोधी देश नहीं है।

श्री ब्रह्मदत्त मायर (जिला सहारनपुर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को ध्यान में रखते हुए कि आज प्रान्त के अन्दर कांग्रेस की सरकार है यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या कांग्रेस ने नानवायलेंस और पीस का जो उनका उसूल था उसका इस वक्त हुकूमत के लिये त्याग कर दिया ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

कांग्रेस ने उस उसूल को तिलांजलि नहीं दी है। परन्तु कांग्रेस को, कांग्रेसजनों को और इस देश की जनता को यह अनुभव हो गया है कि शान्ति और अहिंसा की व्यवस्था रखने के लिये भी अब देश को वह नवीन मोड़ अख्तियार करना चाहिये जिसमें कि ऐसे राष्ट्र जो कि शान्ति की व्यवस्था को बिगाड़ने पर उतारू हैं उनका आधुनिक शस्त्रास्त्रों से भी मुकाबला करने की आवश्यकता पड़े तो उनका मुकाबला किया जाय।

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)--

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि पीस ब्रिगेड के नेता मिस्टर सालाजार अमेरिकन हैं और वही युद्ध प्रयासों के खिलाफ बार-बार भाषण देते हुए कानपुर तक आये हैं ? यदि ऐसी बात है तो क्या उनके बारे में माननीय मुख्य मंत्री जी विचार करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अब मैं तो सबके बारे में विचार करने के लिये बैठा हुआ हूं और विचार कुछ कर भी लिया है। वही कोई अकेले थोड़े ही हैं, कई और हैं जिनके बारे में मैं विचार कर रहा हूं।

श्री बसन्तलाल (जिला जालौन)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि जिन आपत्तिजनक बातों का उन्होंने जिक्र किया है वह कौन सी हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

उनमें से कुछ वही हैं जिनकी चर्चा आपने उस मोशन में की है जिसे आपने यहां पेश किया है।

श्री बलवानसिंह--

जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने माना है तो क्या इसको देखते हुए आज देश के मनोबल को वह गिरा रहे हैं इसलिए वह उनकी मीटिंग्स को बैन करने की कृपा करेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अब मैं क्या-क्या करूंगा वह सब बातें तो मैं यहां इस वक्त नहीं कहना चाहता हूं। वह तो आगे आ जायेंगी ?

श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतायेंगे कि यह जो दल आ रहा है इसका सम्बन्ध वर्ल्ड पैसिफिस्ट मूवमेंट के साथ है और यह दल दिल्ली से रवाना होने के पहले श्री जयप्रकाशनारायण का आशीर्वाद प्राप्त करके चला था ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

हां, जरूर जयप्रकाश जी से मिलकर चला होगा, क्योंकि जयप्रकाश जी भी बहुत बड़े पैसिफिस्ट हैं और बहुत बड़े दार्शनिक भी हैं।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद (जिला सीतापुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी को ज्ञात है कि इसमें उत्तर प्रदेश के भी कुछ उनके साथी मंत्रियों का इनको तरजीह देने में हाथ है और केन्द्र तथा उत्तर प्रदेश के भी उनके कुछ साथी उनके इस कार्य में सहयोग दे रहे हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

मुझे तो ज्ञात नहीं है कि कोई मंत्री भी उनके उस मूवमेंट में उन्हें सहयोग दे रहा है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

मुख्य मंत्री जी ने वक्तव्य देते हुए कहा कि हमारे आपत्ति प्रकट करने के बाद भी मान नहीं रहे हैं, तो क्या सरकार इस सुझाव पर भी विचार करेगी कि उनके इस दल को बिना मीटिंग किये हुए उत्तर प्रदेश से कैसे निकल जाने में मदद करें ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

अब यह तो मैंने बताया कि सरकार ने कुछ विचार किया है और क्या सरकार आगे करेगी वह तो आपको दो चार रोज में पता ही चल जायगा।

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)---

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जब यह दल विषैला प्रचार प्रदेश में करके दूसरे प्रदेश में चला जायगा तब सरकार कार्यवाही करेगी ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

हां, अगर दूसरे प्रदेश में चला जाय तो वहां की सरकार हमसे कुछ सबक लेगी और उस कार्यवाही को दोहरायेगी जिसको कि करने के लिये हम विचार कर रहे हैं।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि क्या उनके पास इस बात की भी कोई सचना है कि वह जो अमेरिकन महोदय हैं जिनके बारे में यहां कहा गया है, वह अमेरिकन की कम्यूनिस्ट पार्टी के मेम्बर तो नहीं हैं जो चीन के इशारे पर इस तरह का वक्तव्य दे रहे हैं भारतीय जनता के मनोबल को गिराने के लिये ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त---

उनका उस भूत से संबंध नहीं है जो भूत प्रश्नकर्त्ता को व्याकुल करता रहता है।

श्री रियासत हुसैन (जिला मुरादाबाद)---

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलायेंगे कि यह जो ८ फारेनर्स उसमें हैं उन्होंने इस पीस मिशन के काम का तजुर्बा किसी दूसरे देश में भी किया है या इनका यह पहला ही तजुर्बा हिन्दुस्तान में है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मुझे ज्यादा उनके विषय में जानकारी नहीं है लेकिन एक शंकरराव जी देव हैं जिनको मैं जानता हूं जो उस प्रोग्राम में उनके अगुवा हैं। बाकी लोगों से मेरा परिचय नहीं है और न मैं उनके विषय में जानकारी रखता हूं सिवाय उस जानकारी के जो जानकारी मुझे सरकारी कागजों के जरिये से प्राप्त हुई है।

श्री नेकराम शर्मा--

क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि उन्होंने क्या निर्णय लिया है और किस तरह से वह इस प्रचार को रोकेंगे, अगर यह गोपनीय न हो तो सदन को बतलायेंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अभी तो गोपनीय है। मुझे बतलाना होता तो मैं प्रारम्भ में ही बतला देता कि हम यह करने जा रहे हैं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां (जिला बुलन्दशहर)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि इस पीस ब्रिगेड का मकसद बहुत ऊंचा है या महज एक ढोंग है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं तो ढोंग शब्द दार्शनिकों के लिये इस्तेमाल नहीं कर सकता हूं।

श्री मुमताज मुहम्मद खां--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को मानते हैं कि उनका मकसद बहुत ऊंचा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इस देश में तरह तरह के प्राणी मौजूद हैं और अपने-अपने मत के अनुसार अपने विचार रखते हैं और उनको व्यक्त करने की चेष्टा करते हैं। उनके अनुसार जो बात वह व्यक्त करते हैं वह उसको ऊंची ही मानते हैं।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी इस बात को देखते हुये कि जो नीति सरकार ने अपनाई है और उस नीति के मुताबिक बार-बार माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में और उस सदन के बाहर इस बात की घोषणा की है कि चीन को हम अपनी जमीन में नहीं आने देंगे और इसके लिये इस इमर्जेन्सी में फौजी तैयारी और दूसरी तरह की तैयारी आप करते हैं तो क्या जो यह पीस मार्च चल रहा है उससे हमारे मनोबल पर और हमारी नीति पर, जिसकी घोषणा माननीय मुख्य मंत्री इस प्रदेश के अन्दर और बाहर करते हैं, उस पर असर नहीं पड़ेगा ? यदि असर पड़ेगा तो उसके मुताबिक पीस मार्च को अपने प्रदेश में न आने देने के लिये वह उन्हें सलाह देंगे ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

मैं इस विषय में उत्तर दे चुका हूं और नई बात मुझे नहीं कहना है। वह तो आपको आगे पता चल ही जायगा।

श्री लखीसिंह (जिला मथुरा)--

क्या माननीय मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि डाक्टर राममनोहर लोहिया दो दफा गिरफ्तार हुये, लेकिन अगर ऐसे खतरनाक ये लोग हैं तो सरकार उनको क्यों पाल रही है, मनोबल गिरा रही है और प्रचार होता जा रहा है ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

इसीलिये कई जगहों पर जैसा ये लोग प्रचार करते हैं उसी तरह का डाक्टर राममनोहर लोहिया भी प्रचार करते है, इस कारण जो भी कार्यवाही की जाय हम उस पर विचार करेंगे ।

(श्री लखपतराम शर्मा को बुलाने पर)

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)--

हम यह जानना चाहते हैं कि जैसा मुख्य मंत्री जी डाक्टर राममनोहर लोहिया के विषय में अभी बातों को लपेटकर कह रहे हैं.....

श्री उपाध्यक्ष--

मैंने माननीय लखपतराम शर्मा को बुलाया है । आप कृपया बैठ जायं ।

(व्यवधान)

श्री रघुनाथसिंह---

हम इसका सख्त विरोध करते हैं और माननीय मुख्य मंत्री ने डाक्टर लोहिया के विषय में जो बातें कहीं हैं उनका हम बहुत विरोध करते हैं । डाक्टर लोहिया की देश सेवा किसी भी देश के नेता से बहुत ऊंची है ।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं । मैंने आपको नहीं बुलाया है ।

श्री लखपतराम शर्मा (जिला झांसी)--

मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि उस शान्तिदल का प्रचार राष्ट्र विरोधी है इसकी प्रथम सूचना मुख्य मंत्री की जानकारी में कब आई ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

८, १० रोज हुए ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

क्या माननीय मंत्री जी उनके लखनऊ पहुंचने तक उस निश्चित कार्यवाही को अपने विचार में रखेंगे और वे जब लखनऊ से निकल जायेंगे तब उसकी कार्यवाही की जायगी ?

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो हो चुका है ।

श्री टम्बेश्वरीप्रसाद---

मैं तो केवल यह पूछ रहा हूं कि वह कार्यवाही केवल विचार में रहेगी या उस पर अमल भी होगा ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

अभी उनका लखनऊ आने का कोई प्रोग्राम ही नहीं बना है । वह अभी तय कर रहे हैं कि लखनऊ जायं या न जायं ।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)---

क्या मुख्य मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि उनके साथ जो विदेशी हैं उनके लिये क्या सरकार ने जानकारी कर ली है कि वे विदेशी अपने देश के मासूम नागरिक हैं अथवा अपने देश की किसी विशेष संस्था के प्रतिनिधि हैं ?

श्री चन्द्रभानु गुप्त--

किसी विशिष्ट आर्गनाइजेशन के सदस्य हैं । लेकिन जहां तक विदेशियों का संबंध है उन्हें अगर केन्द्रीय सरकार आने की अनुमति दे देती है तभी उनका वीसा सुरक्षित माना जाता है ।

सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विधान की धारा में संशोधन के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

श्रीमन् मैं यह निवेदन करना चाहता था कि मैंने कल एक सूचना आपको दी थी कि भारत सरकार राजकीय कर्मचारियों के सेवा नियमों के संबंध में आर्टिकिल ३११ में एक संशोधन करने जा रही है और उस संबंध में मैंने एक सूचना दी है कि आज उस विषय पर आप सदन में विचार होने दें। मैं यह निवेदन करूंगा कि यह सवाल अत्यन्त लोकमहत्व का, अविलम्बनीय और निश्चित है और इस कारण इस विषय पर कामरोको के अन्तर्गत विवाद प्रारम्भ कराने की आप आज्ञा दें। यही मेरा आप से निवेदन है।

श्री उपाध्यक्ष—

आपने जो यह सूचना दी है इसमें कोई शक नहीं कि यह मामला इम्पार्टेंट है, लेकिन साथ ही साथ यह केन्द्रीय सरकार का विषय है और लोक सभा में कुछ दिनों से यह चल रहा है और आपने अपनी बात कह दी है। अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं मालूम होती....

श्री कल्पनाथसिंह—

उसी में सब कुछ लिखा है। मैंने क्या कहा है?

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)—

श्रीमन्, एक कम्युनिस्ट कार्यकर्ता की हत्या के बारे में में मैंने दफा ५२ की सूचना दी थी....

श्री उपाध्यक्ष—

आप ठहरिये। पहले यह समाप्त हो जाय। माननीय कल्पनाथसिंह जी की सूचना इस प्रकार है:

"भारतीय संविधान की धारा ३११ में कुछ संशोधन भारत सरकार इसी सत्र में करने जा रही है। यह वह धारा है जिससे देश का संपूर्ण सरकारी कर्मचारी चाहे वह केन्द्रीय सरकार का हो और चाहे वह राज्य सरकार का, अपनी नौकरी की सुरक्षा पाता है और गलत ढंग से नौकरी की समाप्ति तथा पद ह्रास से बचाव कर पाता है। इस धारा के अन्तर्गत दो मौकों पर बचाव का अवसर सरकारी कर्मचारी को रहता है और ऐसी सुविधा देश के कर्मचारियों को ब्रिटिश शासन काल के समय से मिली है। अब जो संशोधन होने जा रहा है उसके द्वारा सरकारी कर्मचारी अपने बचाव के दो अवसरों में से एक अवसर से वंचित किया जा रहा है। इसका प्रभाव राज्य सरकार के लाखों कर्मचारियों पर पड़ने जा रहा है, उनके मौलिक अधिकारों का हनन उस सरकार के द्वारा होने जा रहा है जो संविधान में धारा ३०९ में दिये "सिविल सर्विस ऐक्ट" जिससे कर्मचारी को कुछ सुविधा, सुरक्षा मिलती है वह उसका अधिकार लेने जा रही है। इस प्रस्तावित संशोधन से राज्य के लाखों-लाखों सरकारी कर्मचारियों में क्षोभ, असंतोष एवं उत्तेजना का वातावरण व्याप्त हो गया है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय तथा निश्चित विषय पर सदन में चर्चा उठाने हेतु विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया नियमावली, १९५८ की धारा के अन्तर्गत माननीय अध्यक्ष की अनुज्ञा चाहता हूं।"

यह आपका प्रश्न था। मैं मानता हूं कि वह महत्व का है, लेकिन इससे हमारा कोई संबंध नहीं है। केन्द्र से यह संबंधित है और जब यह संविधान में संशोधन आयेगा तभी यहां पर इस विषय में बात हो सकती है।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मैं माननीय मंत्री जी से कह दूं कि प्रान्तीय सरकार के और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी उससे प्रभावित हुये हैं और जब यह फैसला हो ही जायगा....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें। केन्द्र में हमारे प्रतिनिधि हैं। वह वहां पर इस प्रश्न को उठा सकते हैं। वहां पर वह कर्मचारियों की रक्षा कर सकते हैं संविधान के द्वारा। उसका जो संशोधन होगा, वह आपके रैटिफिकेशन के लिये आयेगा। मैंने इसे स्वीकार कर लिया है।

(व्यवधान)

श्री रक्षपाल सिंह (जिला फतेहपुर)--

इसकी जानकारी हो जाती, तब होता।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)--

श्रीमन्, अगर कर्मचारी संबंधित हैं, और बगैर किसी कारण के ही उसको डिसमिस कर दिया जाता है और उसका अफसर उसको डिसमिस करता है, तो यह तो फासिज्म और डिक्टेटरशिप ही हुई। मेरा ऐसा ख्याल है कि.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये, जैसा कि मैं कह चुका हूं कि लोकसभा में भी आपके प्रतिनिधि हैं, और यह महत्वपूर्ण प्रश्न है। जो भी उचित कार्यवाही वहां होगी, उसे आप कैसे समझते हैं कि वह आपके खिलाफ ही होगी। जो आपके प्रतिनिधि हैं, वह आपको सेफगार्ड करेंगे।

(व्यवधान)

श्री बलवानसिंह--

मैं यह कहना चाहता हूं कि वह हमारे सूबे में न लागू हो।

श्री उपाध्यक्ष--

देखिये जो कान्सटीट्यूशनल बात होगी, वही होगी।

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, आप मेरी एक बात सुन लें।

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायें।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह--

श्रीमन्, मैं मेरिट पर बात कर रहा हूं। मैं हमेशा आपकी आज्ञा मानता हूं। मैंने आपसे यह निवेदन किया कि यह सवाल इस सदन के सामने रख दें। मैं उसके लिये लाख लाख शुक्रिया अदा करता हूं। लेकिन यदि प्रान्तीय सरकार और केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के अधिकारों का गला घोटा जायगा और यह सब तमाशा चलता रहेगा तो.....।

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष--

अब आप विराजें।

(व्यवधान)

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं तो लड़ कर आया हूं। अपनी बात जरूर कहूंगा, उसको आप सुन लें।

(व्यवधान)

श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)—

श्रीमन्, मैं एक जानकारी चाहता हूं, एक प्वाइन्ट आफ आर्डर है.....।

श्री कल्पनाथसिंह—

श्रीमन्, मैं इस पर विचार न होने के नाते, ५ मिनट के लिये सदन का त्याग करता हूं।

(इसके पश्चात्, श्री कल्पनाथसिंह सदन छोड़कर चले गये।)

लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए निर्वाचित सदस्य के नाम की घोषणा

श्री उपाध्यक्ष—

देखिये मुझे एक सूचना देनी है वह यह कि "लखनऊ विश्वविद्यालय कोर्ट के लिये एक सदस्य के निर्वाचन हेतु अतिरिक्त एक नाम वापस लिये जाने के फलस्वरूप श्री देवेन्द्र सिंह मेहर (नैनीताल) उक्त कोर्ट के सदस्य निर्वाचित हुये हैं।"

सरकारी कर्मचारियों से संबंधित विधान की धारा में संशोधन के विषय पर नियम ५२ के अन्तर्गत सूचना (क्रमागत)

श्री बलवान सिंह—

श्रीमन्, मुझे बड़ा दुख है कि आपने कह दिया, परन्तु यह तो लोकमहत्व का सवाल है। इससे लाखों करोड़ों का संबंध है और आपका निश्चित.....

(व्यवधान)

श्री उपाध्यक्ष—

यह तो केन्द्र का विषय है और अपील पेश है। जैसा कि मैं कह चुका हूं कि वहां बहस होगी और वहां पर आपके प्रतिनिधि हैं। इसलिये मैं नहीं समझता हूं कि यह जरूरी है।

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय (जिला जौनपुर)—

श्रीमन्, यहां पर माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुये हैं, उनके बजाय आप ही कहते चले जा रहे हैं। इससे माननीय सदस्यों को मजबूर होकर सदन छोड़ना पड़ रहा है। कुछ उनसे भी कहला दीजिये।

श्री उपाध्यक्ष—

मेरी समझ में यह प्रश्न आज नहीं उठना चाहिये। यदि पहले उठता.....

(व्यवधान)

श्री केशरीप्रसाद पांडेय—

श्रीमन्, देर आयद दुरुस्त आयद। अब तो यह उठ गया है।

श्री उपाध्यक्ष—

आप कृपया विराजें।

तुलसीपुर स्टेशन पर सरदार बलदेवसिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रति पुलिस के दुर्व्यवहार के संबंध में उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)--

श्रीमान्, मैं माननीय मंत्री जी से यह प्रार्थना करना चाहता हूं कि दो रोज से जो माननीय बलदेव सिंह जी की बातें चल रही हैं और जो उनके साथ दुर्भाग्यपूर्ण घटनायें हुई हैं और जिस अन्यायपूर्ण रीति से उनको "हैन्डकफ" लगाया गया है, वह बड़ी ही इर्रेस्पान्सिबिलिटी के साथ हुआ है। यह सरकार की ओर से भी स्वीकार किया गया है कि वह एक्सेसिव हुआ है। परन्तु मुझे बड़ा दुख है कि उस पर किसी भी मंत्री महोदय ने दुख प्रकट नहीं किया है कि वह माननीय सदस्य का ही अपमान नहीं है, वह हमारा और सारे सदन का अपमान है। मेरे विचार से पहले माननीय मंत्री जी सदस्य हुये, मंत्री बाद में हुये। इसलिये उनको खेद प्रकट करना चाहिये और वह भी इसको मानते होंगे। इस प्रकार किसी ने एक इशारे से भी दुख: प्रकट नहीं किया। आज अखबार में मैंने पढ़ा कि पंजाब के मंत्री ने कह दिया कि आज से हम सारे प्रदेश में इस बात के लिये आदेश जारी कर देंगे कि सरकारी अधिकारियों द्वारा कोई हमारा माननीय सदस्य किसी अपराध में हैंडकफ नहीं किया जायगा। अगर अपराध किया है तो उस पर मुकदमा चले, सजा हो, परन्तु बिना विचारे और मानते हुये कि उनके साथ एक्सेस हुई और इर्रेस्पांसिबिलिटी के साथ, सरकारी अधिकारियों ने की तभी कल माननीय न्याय मंत्री ने कह दिया और डबल एक्सप्लेनेशन सुनने में आया कि अगर किसी सरकारी कर्मचारी ने कुछ कर दिया तो हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैंने कल कहा कि प्रदेश का प्रत्येक सरकारी अधिकारी प्रदेश की सरकार की कड़ी है। न तो उस पर दुःख प्रकट किया गया और न स्टेटमेन्ट ही दिया गया। जब कि मुख्य मंत्री को पता है कि पुलिस एविडेंस फैब्रीकेट करती है और व्यक्तियों को इस तरह से फंसाती है तो हमें आशा थी कि वह इस अवसर पर कम से कम कुछ दुःख प्रकट करते और आश्वासन देते कि सारे प्रदेश में जो शासन की कड़ियां हैं उनको आदेश देंगे कि आज की तारीख से किसी सदन के माननीय सदस्य को कोई हैंडकफ नहीं लगायी जायगी, जैसा कि आदेश पंजाब के मुख्य मंत्री ने अपने यहां लागू किया है।

आज हमारे एक माननीय सदस्य को हैंडकफ लगायी गयी, कल यही व्यवहार कम्युनिस्ट सदस्य के साथ, सोशलिस्ट सदस्यों के साथ और हमारे विरोधी कांग्रेसी भाइयों के प्रति भी किया जा सकता है और परिणाम वही होगा जो भूपसिंह और बलदेव सिंह के साथ हुआ। पुलिस को तो इस प्रकार से प्रोत्साहन मिल रहा है कि सरकार हर प्रकार से राइट और लेफ्ट हमारी रक्षा करती है। सपोर्ट ही करती है और जब तक कि डिफेंस आफ इंडिया ऐक्ट लागू है हम जो भी कदम उठायेंगे सरकार उसको जस्टिफाई करेगी तो इस प्रकार के रवैये पर हमें बड़ा क्षोभ है। मैं पुनः निवेदन करूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री इस प्रकार आदेश शीघ्रातिशीघ्र दें और कम से कम दुःख तो प्रकट करें।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)--

मैं दो मिनट इस संबंध में निवेदन करना चाहता हूं। अभी लोकसभा ने एक व्यवस्था दी है कि आनरेबिल मेम्बर्स, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर के या लोक सभा हों, उनका स्टेट्स हाईकोर्ट के जज के मुकाबले का है। एक मामूली सब-इंस्पेक्टर इस तरह से हरकत करे, मैं समझता हूं मुख्य मंत्री जी इस बारे में अपने विचार रखेंगे जो प्रश्न माननीय माधोप्रसाद त्रिपाठी ने रखा है और उस स्टेट्स और डिगनिटी को कायम करने के लिये जरूरी है कि वह इसके बारे में स्पष्ट आदेश दें और दुःख प्रकट करें कि ऐसी घटना हुई और हुई है तो आगे नहीं हो पायेगी।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

मुख्य मंत्री (श्री चन्द्रभानु गुप्त)—

उपाध्यक्ष महोदय, मुझे दुःख है कि जब यह प्रश्न कल सदन में उठा तो मैं सदन में उपस्थित नहीं था। कल संस्कृत की कान्फरेंस थी और दूसरे सदन में एक प्रश्न उठा हुआ था जिसमें मुझे सदन में रहना था, इस कारण मैं कल इस सदन में नहीं रह सका और इस प्रश्न के ऊपर उस प्रकार से अपने विचार प्रकट नहीं कर सका जिस प्रकार से माननीय त्रिपाठी जी चाहते थे कि सरकार की ओर से वह विचार इस प्रश्न के ऊपर व्यक्त किया जाय। मुझे इस बात का दुःख है कि तुलसीपुर में इस प्रकार की एक दुर्घटना हुई जिसमें पुलिस के कर्मचारियों ने हमारे इस सदन के एक माननीय सदस्य के साथ वह अनुचित व्यवहार किया, जो अनुचित व्यवहार कभी भी पुलिस के किसी भी अधिकारी को इस सदन को माननीय सदस्य के प्रति नहीं करना चाहिये। (विरोधी दल से तालियां) मुझे इस बात का दुःख है। यह एक दुर्भाग्य की बात है कि इस प्रकार की घटना हमारे बीच हुई। जहां तक सरकार का संबंध है, मैं माननीय सदस्यों को यथा विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इस प्रकार की घटना के संबंध में सरकार कोई लीपापोती की नीति अपनाने वाली नहीं है। जो भी पुलिस अधिकारी जांच के बाद सजा का पात्र समझा जायेगा उसे कानून के अन्तर्गत जो भी सजा हम दे सकते हैं, उसको अधिक से अधिक सजा देंगे, इस बात का मैं आश्वासन सदन को देता हूं।

एक और प्रश्न माननीय त्रिपाठी जी ने उठाया कि सरकार इस बात का आदेश दे कि कभी भी किसी मामले में यदि इस आदरणीय सदन का कोई माननीय सदस्य पकड़ा जाय तो वह हैंडकफ न किया जाय। आज ही सबेरे जब मैंने सारे वाकियात का अध्ययन किया, यह आदेश अपने अधिकारियों को दिया कि वे इस प्रकार के आदेश जारी करें कि कहीं भी कोई पुलिस का सिपाही या थानेदार या अन्य कोई अधिकारी इस सदन के किसी भी माननीय सदस्य को हैंडकफ न करे जबतक कि कोई कसूर ऐसा न हो जिसमें कि बेल का अधिकार कानून के अन्दर इस व्यक्ति को न हो। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि बेलेबिल आफेन्स में यदि कोई माननीय सदस्य पकड़ा जाये तो उसे हैंडकफ न किया जाय, यदि कोई नानबेलेबिल आफेन्स में, जैसे मर्डर है, या डकैती है, इसमें पकड़ा जाय तो उसमें भी अधिकारी को सारी परिस्थितियों पर विचार करके उस की जांच करके, उस विषय पर निर्णय लेना पड़ेगा। आज सबेरे ही ऐसे आदेश मैं अपने अधिकारियों को दे चुका हूं। मैं फिर इस सदन के माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि इस प्रकार की हरकत न तो कभी बरदाश्त की जायेगी और यदि कोई इन हरकतों में कोई कुसूरवार पाया जायेगा तो उसको कठिन से कठिन सजा दी जायेगी।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो कुछ कहा उससे मुझे सन्तोष हुआ और मैं उसके लिये उनको बड़ा धन्यवाद देता हूं। एक बात मैं वकील होने के नाते जरूर कहूंगा। आपने जो बेलेबिल और नान-बेलेबिल आफेन्स का जिक्र किया, मैं यह निवेदन कर दूं कि बेलेबिल आफेन्स में तो वहीं उसी वक्त छोड़ दिया जाता है, लेकिन बहुत से ऐसे माइनर आफेंसज होते हैं जिनमें भी बेल नहीं हो सकती—जैसे ५ रुपये किसी ने लिये, उसको फंसाने के लिये ३७९ में उसको फांस लिया केस बना कर, अब उसमें भी बेल नहीं हो सकती। तो ऐसे केसेज में माननीय मुख्य मंत्री जी की सहृदयता होते हुये भी उनकी मंशा पूरी नहीं होगी। नान-बेलेबिल आफेन्स भी बहुत से हैं। ५ रुपये कलम की चोरी का केस बना कर भी हथकड़ी पहनायी जा सकती है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी इसको भी अपने आदेश दें स्पष्ट कर दें तो अच्छा हो।

*श्री चन्द्रभानु गुप्त—

माननीय त्रिपाठी जी ने मेरे शब्दों को ठीक प्रकार से सुना नहीं। उन आफेन्सेज के सिलसिले में जिनमें बेल ग्रान्ट नहीं होती, मुख्यतया मेरे सामने डकैती और मर्डर ही थे, और तमाम

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री चन्द्रभानु गुप्त]

केसेज नहीं थे। लेकिन उसमें भी मैंने यह कहा है कि परिस्थितियों की जांच कर के किसी को हैंडकफ करने के सिलसिले में निर्णय लेना चाहिये और उसको लिखना पड़ेगा कि क्यों इस प्रकार की कार्यवाही उस व्यक्ति के विषय में वह कर रहे हैं।

श्री बलवान सिंह (जिला कानपुर)--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरी राय यह है कि मर्डर केसेज में भी अगर वह इस सदन का माननीय सदस्य है तो उसको हथकड़ी नहीं पहनायी जानी चाहिये।

श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो सदन को विश्वास दिलाया है, मैं उसका स्वागत करता हूं; लेकिन उन्होंने कहा कि खास-खास आफेन्सेज में हथकड़ी पहनाये जाने की बात हो सकती है। मैं उनसे दरख्वास्त करूंगा कि जिस प्रकार से पार्लियामेंट में इस मसले को तय किया गया है कि जब तक आदमी डेस्परेट न हो जाय, इस बात का डर न हो कि अगर उस आदमी को हथकड़ी न पहनायी जायगी तो वह उनका दुरुपयोग कर सकता है, तब तक उसको हथकड़ी नहीं पहनायी जानी चाहिये। जब तक उसके भाग जाने अथवा पुलिस वालों को मारे जाने का ही खतरा न हो तब तक हथकड़ी न डाली जाय।

श्री उपाध्यक्ष--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बात कही है वह भी यही है।

*श्री श्यामलाल (जिला बस्ती)--

मेरी प्रार्थना है कि मुख्य मंत्री जी ने जो स्टेटमेंट दिया है, कोई भी मेम्बर ऐसा नहीं हो सकता जो उसका स्वागत न करे। लेकिन जिस प्रकार का व्यवहार दो पुलिस कान्स्टेबिलों और सब-इन्स्पेक्टरों ने किया उसका आधा भी व्यवहार कोई साधारण नागरिक पुलिस के छोटे से छोटे कर्मचारी के साथ करता तो उसको जेल ही नहीं भेज दिया गया होता बल्कि उसको जेल में तनहाई दी गयी होती। मेरी प्रार्थना है कि दोनों सिपाहियों और दरोगा के साथ ३२३-३२४ और ३२५ की कार्यवाही की जाय, तभी न्याय की उम्मीद हो सकती है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

उपाध्यक्ष महोदय, मेरा कहना यह है कि इस सदन का प्रत्येक माननीय सदस्य सवा डेढ़ लाख आदमियों का प्रतिनिधि है और एक जिम्मेदार आदमी समझा जाता है। इसलिये माननीय मुख्य मंत्री जी के यह स्पष्ट आदेश होने चाहिये, चाहे वह असेम्बली का मेम्बर हो, चाहे पार्लियामेंट का मेम्बर हो या कौंसिल का हो, किसी मेम्बर को भी अहातियाती कार्यवाही में भी हैंडकफ नहीं होना चाहिये क्योंकि वह एक रेस्पांसिबिल आदमी है। पंजाब असेम्बली ने इसको विशेषाधिकार माना है।

श्री उपाध्यक्ष--

यह तो आप दुहरा रहे हैं। कोई नयी बात नहीं है।

*श्री दीपनारायणसिंह (जिला फतेहपुर)--

माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो आश्वासन इस सदन को दिया है, हमारी जनतांत्रिक प्रणाली में यह एक सुनहरा अवसर है और जनतांत्रिक प्रणाली को कायम रखने के लिये जनता के चुने हुए प्रतिनिधियों की इज्जत को बढ़ावा देने वाला है। लेकिन, श्रीमन्, इसमें एक बात और जोड़ दें तो और अच्छी बात हो। जैसा कि माननीय नरसिंह नारायण पांडेय जी ने कहा कि माननीय विधायकों और संसद सदस्यों को हथकड़ी लगाना जरा जेबा नहीं देता है, इसलिये जुर्म लगाये जाने से पहले उनको हथकड़ी न लगायी जाय, इतना और जोड़ दें तो संसद सदस्यों और विधायकों की इज्जत बढ़ जायगी। दूसरी बात यह कि हम कोई ऐसा गलत काम करें जिससे पुलिस या

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

सरकारी अधिकारियों की बेइज्जती हो और उन्हें हथकड़ी लगाने की आवश्यकता महसूस हो, यह भी हमारे लिये कोई शोभा नहीं देता है कि हम गलत काम करें, इसलिये दोनों के बीच का कोई रास्ता हो तो अच्छा होगा। तो इसके ऊपर आप आश्वासन देने की कृपा करें।

कतिपय विषयों के संबंध में जानकारी

श्री नाथूराम शिक्षक (जिला इलाहाबाद)--

श्रीमन्, मैंने नियम ५२ के अन्तर्गत एक प्रश्न दिया था....

श्री उपाध्यक्ष--

आप बैठ जायं।

(व्यवधान)

श्री नाथूराम शिक्षक--

जरा सुन तो लें।

श्री उपाध्यक्ष--

मैं कहता हूं कि उसे मैंने अस्वीकार कर दिया है, लेकिन उस पर उचित कार्यवाही के लिये उसे सरकार के पास भेज दिया है।

एक सदस्य--

श्रीमन्, मैंने भी नियम ५२ का एक प्रश्न दिया था।

श्री उपाध्यक्ष--

उसे भी उचित कार्यवाही के लिये भेज दिया गया है।

तुलसीपुर स्टेशन पर सरदार बलदेव सिंह, सदस्य, विधान सभा के प्रति पुलिस के दुर्व्यवहार के संबंध में उठाये गये विशेषाधिकार के प्रश्न पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य (क्रमागत)

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी--

श्रीमन्, कल आपने माननीय मंत्री जी को सरदार बलदेवसिंह के संबंध में घटित घटना के संबंध में रिपोर्ट मंगा कर सदन में सूचना देने की आज्ञा प्रदान की थी। तो अगर एफ० आई० आर० की नकल आ गयी हो तो बतला दें।

गृह उपमंत्री (श्री नवलकिशोर)--

मान्यवर, कल जो वक्तव्य दिया गया था उसमें दो तीन बातें उठायी गयी थीं। एक तो यह कि माननीय सदस्य, सरदार बलदेव सिंह का बेल हुआ या नहीं। श्रीमन्, उनका बेल लिया गया और उसकी कापी मेरे पास मौजूद है। स्टेशन मास्टर तुलसीपुर ने उनकी बेल दी और जमानती बने और यह सूचना सही नहीं है कि उनका बेल नहीं हुआ।

एक बात यह कही गयी कि पुलिस की रिपोर्ट क्या है। मैं आपसे अर्ज कर दूं कि १-४-६३ को जो टेलिफोनिक मैसेज आयी वह इस प्रकार है--

Phone Message.

1-4-63 SO GRP GD

"On the arrival of 189 Up Train Sri Baldeo Singh was quarelling with Banarasi Ram, constable and was abusing and beating him. At the spot S. I. Ram Pal Singh, was sitting in the train with reader got down and asked Sri Tulsi Ram, T. T. E. about the case about him and found without ticket Sri Baldeo Prasad and he was handcuffed under section 112 Rly. Act and 332 I. P. C."

[श्री नवल किशोर]

श्रीमन्, यह टेलिफोनिक मैसेज एस० ओ०, जी० आर० पी०, के पास भेजी, जिसे एफ० आई० आर० मान कर दर्ज कर लिया गया है।

एक बात यह कही गयी कि टी० टी० ई० ने कोई मेमो दिया या नहीं। जो मेरे पास सूचना है वह यह है कि टी० टी० ई० ने कोई मेमो नहीं दिया। अभी उनसे कोई कांटैक्ट नहीं हो सका है, अफसरान कोशिश कर रहे हैं कि उनका भी स्टेटमेंट ले लिया जाय।

श्री उपाध्यक्ष---

यह टेलिफोनिक मैसेज है जिसे एफ० आई० आर० के तौर पर दर्ज कर लिया गया है जिसे माननीय मंत्री जी ने पढ़ कर सुनाया। इसके आगे कोई कानूनी मामले की बात तो है नहीं ?

सरदार बलदेवसिंह (जिला गोंडा)---

जैसा कि कहा गया कि जमानत हुई है तो उसमें कोई मुचलका भी हुआ है और क्या जमानत करने के लिये वहां और कोई जनता नहीं थी जो बेल लेती ? सिर्फ स्टेशनमास्टर ही थे, और जब कि सब अफसरान ने कह दिया कि वह बेल पर नहीं छूटे और डी० वाई० एस० पी० का लिखित मौजूद है कि वह बेल पर नहीं छोड़े गये ?

(अनेक सदस्य---शेम शेम)

श्री नवलकिशोर---

पहले इस शेम शेम को बन्द किया जाय, बाद में मैं जवाब दे दूंगा। यह भी शेम शेम का कोई तरीका है ? यह तो इधर के लोग भी कह सकते हैं। मान्यवर, आप ने अभी देखा कि मामला इन्वेस्टिगेशन में है और जो सूचना आई है उसके मुताबिक स्टेशन मास्टर ने जो जमानत ली है उसके कागजात मेरे पास मौजूद हैं, अब अगर वह इन्कार करते हैं तो यह इन्वेस्टिगेशन की बात है.....

सरदार बलदेवसिंह---

अगर टी० टी० को चार्ज नहीं दिया था तो एस० एम०, ए० एस० एम० तक बात होती, पुलिस उसमें कहां से आ गई....

श्री उपाध्यक्ष---

उन्होंने कहां कहा कि मेमो है। वह कह रहे हैं कि वह नहीं है। जो वास्तविक बात है वह उन्होंने बता दी, कानूनी माने जो हैं वह आप लगाइये।

श्री भगवान सहाय---

माननीय नवल किशोर जी, होम मिनिस्टर साहब ने अभी जो पढ़ कर सुनाया है उसमें कई बातें काबिल गौर हैं। एक तो यह कि वह खबर टेलीफोन पर आई और उन्होंने उसको बरबेटिम लिख लिया, तो प्रश्न यह है कि टेलीफोन का उनको कितना याद रहा, कितना नहीं रहा और क्या उन्होंने लिख लिया, यह एक शुबहे की बात है ? टिकटलेस ट्रैवलिंग कोई आफेंस नहीं है जब तक कि चेक होने पर अगर कोई पेनाल्टी व किराया मांगा जाय और वह मांगे जाने पर न दिया जाय उसमें कोई जुर्म नहीं है....

श्री उपाध्यक्ष---

जब यहां पर अभी कोई फैसला नहीं हो रहा है तो आप फैक्ट्स पर क्यों जा रहे हैं। जो इत्तला उनके पास थी वह उन्होंने दे दी।

श्री भगवान सहाय---

मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मामले को ऊपर से ही देखने से मालूम होता है कि इसमें पुलिस की जालसाजी है और माननीय बलदेव सिंह जी की तो इसमें मासूमियत मालूम होती है क्योंकि टिकटलेस ट्रैवलिंग कोई आफेंस नहीं है। मैं ही अक्सर गाड़ी का वक्त हो जाता है छूटने क

और दौड़कर चढ़ जाता हूं, बाद में टी० टी० आते हैं तो उनको पैसा दे देता हूं और अगर जुर्माना या खाली किराया ही मांगते हैं तो वह दे देता हूं। आफेन्स तो तब होता है कि जब कोई मय पैनाल्टी के किराये के देने में इन्कार करे.....

श्री उपाध्यक्ष—

यहां हम अभी कोई उसका फैसला नहीं कर रहे हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं एक जानकारी चाहता था, मेरी बात सुनने के बाद वह जवाब दें। जो मुलजिम होता है अदालत में या थानेदार के यहां वह कहता है कि हमारी जमानत ले ली जाय तो उसकी जमानत जो व्यक्ति करता है उसकी जिम्मेदारी होती है कि वह मुलजिम को तारीख पर हाजिर करे। यह कैसी बात है कि सरदार बलदेवसिंह को मालूम ही नहीं कि उनकी किसने जमानत की है। हाउस के सामने यह फैक्ट्स.....

श्री उपाध्यक्ष—

आप की बात १६ आना ठीक भी हो तो यहां उसका फैसला तो नहीं हो रहा है।

(बहुत से सदस्यों के एक साथ खड़े होकर कुछ कहने पर)

पहले आप माननीय मुख्य मंत्री का आश्वासन सुन लें।

श्री दीपनारायणसिंह—

श्रीमन् उपाध्यक्ष जी, देखा जाय कि जमानत के कागजात पर जमानतदारों के दस्तखत जहां हैं वहां बलदेव सिंह जी के भी हैं या नहीं। अगर नहीं हैं तो यह सब झूठी, फर्जी बात है....।

श्री उपाध्यक्ष—

यह सब बातें तो प्रिविलेज कमेटी में या कोर्ट में जाकर तय होंगीं। वहीं सब बातें देखी जायंगी और जो लीगली ठीक होगा वह माना जायगा। जो फैक्ट्स की बात उन्हें मालूम हुई वह उन्होंने सदन में बता दी।

श्री चन्द्रभानु गुप्त—

उपाध्यक्ष महोदय, अब १२ बज चुके हैं और वह असर अब उधर भी जाने लगा है इसलिये मैं आप से इल्तजा करूंगा कि आप इस विषय को खत्म करें और इसको अब प्रिविलेज कमेटी देखेगी।

विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये विषयों से सम्बद्ध प्रतिवेदनों के प्रस्तुत करने की अवधि में वृद्धि करने हेतु संकल्प

श्री उपाध्यक्ष—

माननीय चन्द्रजीत यादव जी संकल्प प्रस्तुत करेंगे।

श्री चन्द्रजीत यादव (जिला आजमगढ़)—

उपाध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, विशेषाधिकार की ओर से निम्नलिखित प्रस्ताव सदन के सामने प्रस्तुत करता हूं:—

चूंकि सर्वश्री श्याम नारायण सिंह, केशव सिंह, हुबलाल दुबे तथा महातम सिंह के विरुद्ध श्री नरसिंह नारायण पांडेय, सदस्य, विधान सभा, तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ७ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

[श्री चन्द्रजीत यादव]

श्री झारखंडेराय, सदस्य, विधान सभा, द्वारा लखनऊ में होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी के भीतर "मां की पुकार" नामक कक्ष के आयोजकों तथा उसमें लगे एक चित्र के व्याख्याकारों के विरुद्ध उठाया गया सदन के अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न १८ मार्च, १९६३, को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

सर्वश्री बनवारी लाल विप्र, भगवान दास यादवेंदु तथा खेमचन्द्र, सदस्य, विधान सभा, द्वारा श्री पी० एम० अग्रवाल, एस० ओ० सी०, कोल, अलीगढ़ एवं श्री एम० सी० गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २१ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री हरिनन्दन शरण भगटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के व्यावहारिक वाद संख्या ४४२, १९६२ में प्रतिवादी सं० ३ के आवेदन पर अतिरिक्त मुंसिफ, लखनऊ के न्यायालय द्वारा मांगे गये लेखों को न्यायालय में उपस्थित करने का मामला २५ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा द्वारा श्री मिश्र, सब-इन्स्पेक्टर के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न और श्री दीपनारायणसिंह के विरुद्ध सदन एवं अध्यक्ष के अवमान का प्रश्न २८ मार्च, १९६३, को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किये गये थे;

तथा श्री बलदेव सिंह की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने तथा विहित प्रपत्र में न देने के संबंध में सर्वश्री कृष्णपाल सिंह, माधो प्रसाद त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तथा टम्बेश्वरी प्रसाद द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना तथा श्री बलदेव सिंह को हथकड़ी लगाने का प्रश्न ३ अप्रैल, १९६३, को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्न पर विचार समाप्त नहीं कर सकेगी ।

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० जून, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये ।

श्रीमन्, यह प्रस्ताव इसलिये पेश किया गया है क्योंकि आपने देखा होगा कि कई प्रश्न समिति के सामने हैं और यह ऐसे प्रश्न हैं जिन पर समिति को कुछ साक्ष्य लेना होगा और इस संबंध में समिति ने कार्यवाही प्रारम्भ कर दी है । पिछले दिनों जब प्रश्न समिति के सामने आये तो काफी तत्परता से समिति ने इन प्रश्नों पर विचार किया । चूंकि सदन आज स्थगित हो रहा है, यों तो नियम २६८ के मुताबिक माननीय अध्यक्ष से समय बढ़वाने का आदेश ले सकते थे, लेकिन जब सदन बैठा है इसलिये यह उचित समझा गया कि सदन से अनुज्ञा ले ली जाय । मैं आश्वासन देता हूं कि समिति इसके ऊपर शीघ्रातिशीघ्र कार्यवाही करेगी और जो समय बढ़ाया जा रहा है उसमें हम आशा करते हैं कि अगर कोई विशेष परिस्थिति न पैदा हुई तो, इसके अन्दर तमाम प्रतिवेदनों को प्रस्तुत कर सकेंगे । अतः सदन कृपा कर इस प्रस्ताव को मान ले ।

श्री उपाध्यक्ष---

प्रश्न यह है कि चूंकि सर्वश्री श्याम नारायण सिंह, केशवसिंह, हुबलाल दुबे तथा महातम सिंह के विरुद्ध श्री नरसिंह नारायण पांडेय, सदस्य, विधान सभा तथा कुछ अन्य माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न ७ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ;

श्री झारखंडेराय सदस्य, विधान सभा, द्वारा लखनऊ में होने वाली औद्योगिक प्रदर्शनी के भीतर "मां की पुकार" नामक कक्ष के आयोजकों तथा उसमें लगे एक चित्र के व्याख्याकारों के विरुद्ध उठाया गया सदन के अवमान और विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न १८ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

सर्वश्री बनवारी लाल विप्र, भगवान दास यादवेंदु तथा खेमचन्द्र, सदस्य, विधान सभा द्वारा श्री पी० एम० अग्रवाल, एस० ओ० सी०, कोल, अलीगढ़ एवं श्री एम० सी० गोयल, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, अलीगढ़ के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न २१ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री हरिनन्दन शरण भटनागर बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य के व्यावहारिक वाद संख्या ४४२, १९६२ में प्रतिवादी सं० ३ के आवेदन पर अतिरिक्त मुंसिफ, लखनऊ के न्यायालय द्वारा मांगे गये लेख्यों को न्यायालय में उपस्थित करने का मामला २५ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था;

श्री गया प्रसाद मेहरोत्रा द्वारा श्री मिश्र, सब-इन्सपेक्टर के विरुद्ध उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न और श्री दीप नारायण सिंह के विरुद्ध सदन एवं अध्यक्ष के अवमान का प्रश्न २८ मार्च, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया था ।

तथा श्री बलदेव सिंह की गिरफ्तारी की सूचना विलम्ब से देने तथा विहित प्रपत्र में न देने के संबंध में सर्वश्री कृष्णपाल सिंह, माधो प्रसाद त्रिपाठी, राजेंद्र सिंह, विश्वनाथ प्रसाद तथा टम्बेश्वरी प्रसाद द्वारा उठाया गया विशेषाधिकार की अवहेलना तथा श्री बलदेव सिंह को हथकड़ी लगाने का प्रश्न ३ अप्रैल, १९६३ को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट किया गया ;

और चूंकि उपर्युक्त सभी प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन को प्रस्तुत करने का कोई समय नियत नहीं किया गया था और इसलिये विशेषाधिकार समिति को उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, १९५८ के नियम २६८ के प्रथम परन्तुक के अन्तर्गत अपना प्रतिवेदन एक मास के भीतर प्रस्तुत कर देना था किन्तु समिति उक्त अवधि के भीतर उपर्युक्त प्रश्नों पर विचार समाप्त नहीं कर सकेगी ।

अतः उक्त प्रश्नों पर विशेषाधिकार समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने का समय ३० जून, १९६३ तक बढ़ा दिया जाये, स्वीकार किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

†उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ (क्रमागत)*

श्री कमलासिंह यादव (जिला गाजीपुर)—

श्रीमन्, कल सदन के समक्ष जवाब देते हुये मैं एलेक्शन पेटीशन डील कर रहा था । उसके संबंध में बताया कि फ्रिवोलस एलेक्शन पेटीशंस को चेक करने के लिये आप चेक लगायें हमको कोई एतराज नहीं है । लेकिन कोई भी एलेक्शन पेटीशन न हो इस बात पर चेक नहीं लगना चाहिये । एलेक्शन पेटीशन में खास ग्राउन्ड्स होती हैं जिनकी वजह से वह की जाती हैं और यह भी बताया था कि मेम्बर्स जो होंगे या जो कंटेस्टिंग कैंडीडेट्स होते हैं उनके अलावा वोटर को भी कंटेस्ट करने का हक है और वह एलेक्शन पेटीशन दाखिल कर सकता है । तो एक सर्टेन ग्राउन्ड एलेक्शन पेटीशन के लिये विधान के अन्दर दी हुई है कि अगर कोई करेप्ट प्रैक्टिस करता है या वह डिसक्वालीफाई है वोटर होने के लिये और फिर भी वह चुन लिया गया है तो जरूरी होता है कि ऐसे मौकों पर एलेक्शन पैटीशन को प्रोत्साहन दिया जाय । साथ साथ कभी यह भी होता है कि इम्प्रापर रिजेक्शन या ऐक्सेपटेंस हो जाता है तो ऐसे समय भी मजबूरी

---

†२८ मार्च, १९६३ की कार्यवाही में छपा है ।
*४ अप्रैल, १९६३ की कार्यवाही से ।

[श्री कमलासिंह यादव]

हो जाती है कि एलेक्शन पेटीशन दाखिल की जाय । लेकिन अगर आप १५० या २०० रु० कोर्ट फीस रखते हैं तो एक तरह से आप इनको एनकरेज कर रहे हैं जो गलत तरीके से काम करते हैं और जो वाकई में एलेक्शन पेटीशन की ग्राउन्ड्स हों उन पर पेटीशन दाखिल करने के लिये आप लोगों को डिसकरेज कर रहे हैं । करेंप्ट प्रेक्टिसेज अडाप्ट करने वालों को इतनी कोर्ट-फीस ज्यादा लगाने से सहूलियत मिलेगी । इसलिये एलेक्शन पेटीशन को प्रोत्साहन देना चाहिये और इतनी कोर्ट फीस नहीं रखनी चाहिये ।

एम० एल० ए० और एम० पी० की भी एलेक्शन पेटीशन होती है और उनमें वोटर होने की वही ग्राउन्ड्स और क्वालिफिकेशंस हैं जो नगरपालिका के अध्यक्ष या वहां के वोटर्स की हैं और एलेक्शन सेट असाइड कराने के लिये पेटीशन दाखिल करने की भी करीब-करीब वही ग्राउन्ड्स होती हैं जो एम० एल० ए० और एम० पी० की हैं । तो हमारे लिये यह विधान रहे कि किसी किस्म की कोर्ट फीस नहीं लगेगी, केवल सेक्योरिटी देते हैं पर इसका मतलब यह नहीं है कि और लोग जो उसी बेसिस पर चुन लिये जायं तो उनको चेक करें कि उनके खिलाफ किसी किस्म की एलेक्शन पेटीशन नहीं होगी । ऐसे फंडामेंटल राइट को छीनना उचित नहीं है । मैं मंत्री जी से कहूंगा कि एम० एल० ए० और एम० पी० के लिये जैसा है वैसा ही वहां रहने दें और कोर्टफीस की कोई जरूरत नहीं है, सेक्योरिटी आप रख दें । फ्रिवोलस पेटीशंस न हों उसके लिये आप हैवी कास्ट रख दें, पैनालिटी लगा दें ताकि कोई आदमी गलत काम न कर सके, हमें कोई एतराज न होगा । अतः मैं इसके खिलाफ हूं कि २०० रु० की कोर्टफीस लगायी जाय । कोर्टफीस में आप ३३ फीसदी बढ़ोत्तरी कर रहे हैं । इतनी ज्यादा बढ़ोत्तरी करके फंडामेंटल राइट को चेक करना उचित नहीं है ।

जहां तक दूसरे संशोधनों का सवाल है....

श्री उपाध्यक्ष—

समय का भी खयाल रखें, आज ही खत्म करना है ।

श्री कमलासिंह यादव—

इधर हो जायगा तो उधर ज्यादा समय नहीं लेंगे ।

श्री रघुनाथसिंह (जिला वाराणसी)—

कोरम नहीं है ।

(घंटी बजायी गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुयी ।)

वित्त मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)—

मेरा यह निवेदन है कि क्लाजवाइज डिसकशन है । उत्तर भी देना है और ४ बजे तक खत्म करना है । इसलिये थोड़ा सा समय पर ध्यान रखा जाय ।

श्री उपाध्यक्ष—

मैं कमलासिंह जी से यही अर्ज करूंगा कि वह ज्यादा समय न लें ।

श्री कमलासिंह यादव—

शेड्यूल १ में जो संशोधन किया गया है "Fifty naye paise forevery five-rupees as part thereof" ५ रुपये पर ५० नया पैसा टैक्स था । अब उसे ५ रुपये सरकार करने जा रही है यानी साढ़े ४ रुपये की बढ़ोत्तरी हो रही है यानी ९०० परसेंट । इसी तरह से एप्लिकेशंस और पिटीशंस पर, वकालत नामे पर २० परसेंट है । तो एप्लिकेशंस और पिटीशंस का जहां तक मोटर वेहिकिल्स का ताल्लुक है उसमें १०० परसेंट बढ़ोत्तरी की गयी है । शेड्यूल २ में क्लाज ७ है उसमें आप देखें कि हाई कोर्ट में ऐसे केसेज हों तो २५० कोर्ट फीस थी लेकिन अब लोअर कोर्ट में जो एग्जेम्प्शन था उसे भी सम्मिलित कर रहे हैं ।

नतीजा यह होगा कि पहले ऐसे केसेज में जो क्लाज 'ए' में दिया हुआ है १५ रुपया केवल कोर्ट फीस थी अब वह बढ़ाई जा रही है । अमेंडमेंट में ५० रुपये की गयी थी इस तरह हर एग्जेम्प्शन को ५० रुपये कोर्ट फीस करने जा रहे हैं ।

अब क्लाजवाइज न जाकर यह कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी ने जो कुछ कहा है वह उचित नहीं है इसलिये कि बजट में जो कमी है वह उसे पूरी करने जा रहे हैं । इसके साथ-साथ यह जरूरी होता है कि किस तरह का टैक्सेशन लगाया जाय उसके लिये यह देखा जाय कि जो आपके पास एक्शंस हैं वे कहां तक ठीक हैं । और उन पास्ट एक्शंस को देखते हुये क्या आपको एक्स्ट्रा टैक्स लगाने का अधिकार देना चाहिये या नहीं । और आपके पास्ट ऐक्शंस को देखने के लिये आडिट रिपोर्ट्स जो इस सदन में बांटी गयी हैं वे इस बात की सबूत हैं कि सरकार एक तरफ तो टैक्स बढ़ाती जा रही है और दूसरी तरफ रुपये का दुरुपयोग किया जा रहा है । इस संबंध में मैं तीन, चार बातें आपके सामने रखूंगा । सरकार ने कोआपरेटिव ढंग पर शुगर फैक्टरीज खोलीं और उसमें २ करोड़ रुपया लगाया । बाजपुर और बागपत, ये दो फैक्टरीज १९५९-६० में स्टार्ट हुईं और ठीक १९६१ में बन्द हो गयीं । तो इस तरह से सरकार की तरफ से जो उद्योगीकरण हो रहा है या तो वह पूरे लास पर चल रहा है या थोड़े दिनों बाद वह बन्द हो जाता है । इसका मतलब यह है कि सरकार टैक्स लगा कर जो रुपया लेने की कोशिश कर रही है वह बिलकुल वेस्टेज है । इसी तरह से कोल्ड स्टोरेज में कई लाख रुपया बरबाद हुआ । लखनऊ में जो कोल्ड स्टोरेज मछली रखने के लिये बनाया गया था उसमें ८८ हजार रुपया लगाया गया और सिर्फ ५ मन मछलियां उसमें रखी गयीं । जब मछलियां रखने के लिये नहीं मिलीं तो यह हुआ कि फ्रूट वगैरह रखे जायं । उसमें सिर्फ १९० रुपया गवर्नमेंट को रेंट मिला । फिर जब देखा गया कि फ्रूट प्रिजरवेशन के काम में भी नहीं आ रहा है तो उसमें बर्फ तैयार करने के लिये रुपया लगाया गया । लेकिन उसमें भी सरकार फेल कर रही है । तो इस तरह से काफी रुपया बरबाद होता है । सरकार को चाहिये कि कोई काम करने से पहले अपनी नीति तय कर ले ताकि रुपये का दुरुपयोग न हो । इसी तरह से तो सरकार की बिल्डिंग्स वगैरह बन रही हैं उसमें भी बहुत गड़बड़ियां मिल रही हैं । आज बिल्डिंग बनी और एक साल के अन्दर ही कहीं छत चूने लगी और कहीं दीवाल फट गयी । मेरी राय में सरकार द्वारा जो कांस्ट्रक्शन किया जाता है उसमें Sub-standard work should be regarded as another form of corruption. अगर यह हो जाय कि बिल्डिंग्स के लिये जो पैमाना माना गया है उसके मुताबिक अगर बिल्डिंग न बने तो यह समझा जाना चाहिये कि करप्शन इसके अन्दर है । . अगर सरकार ऐसे मामलों में सख्ती करे तो इसका चेक हो सकेगा ।

दूसरे जो यह कहा जाता है कि करप्शन बढ़ रहा है इसके मेरी राय में दो कारण हैं कि एक तो कर्मचारियों का पे-स्केल कम है और दूसरे उनके फ्यूचर में कोई स्टैबिलिटी नहीं है । अगर वह आगे चल कर अंधे हो जायं या लंगड़े हो जायं या कुछ और बीमारी उनको हो जाय तो उनका और उनके बाल-बच्चों का क्या होगा, इसका उन्हें कोई विश्वास नहीं है । इसलिये सरकार की ओर से यह प्रबन्ध होना चाहिये कि अगर ऐसी कोई बात हो जाय तो उनके बच्चों की शिक्षा, उनकी दवा-दारू आदि का पूरा-पूरा इन्तजाम हो । इस तरह से स्टैबिल हो जाय तो मैं समझता हूं कि करप्शन की तरफ जो हमारा अट्रैक्शन है वह खत्म हो जायगा । इस तरह से हम देश को सुधार सकेंगे और मैं मंत्री जी से कहूंगा कि स्टैंडर्ड आफ लिविंग के लिये जो जरूरियात हैं उनको सामने रखते हुये टैक्सेशन लगाये जायं तो किसी को विरोध नहीं होगा ।

मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि अंडर डेवलप कंट्रीज में ये चीजें देखनी चाहिये कि सेविंग में, इन्वेस्टमेंट में और प्रोडक्शन में इंक्रीज होनी चाहिये । लोग अधिक से अधिक इनवेस्ट करें और लोग अधिक से अधिक सेविंग करें और इसके लिये लोगों को प्रोत्साहन मिलना चाहिये ।

श्री भगवानदास यादवेंदु (जिला आगरा)—

श्रीमन्, इस वक्त हमारे सदन की उपस्थिति कोरम के अनुसार नहीं है, लिहाजा अवैधानिक बैठक हो रही है।

(घंटी बजाई गई और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री कमलासिंह यादव—

मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारी सरकार की पालिसी वही है कि "The elephant has been killed (Britishers & Zamindars). How can the ant escape?" अंग्रेज खत्म हुये, जमींदार खत्म हुये, अब किसानों की बारी आई है। लेकिन मैं कहूंगा कि किसानों को खत्म करके कोई फायदा नहीं उठा सकते हैं। किसान जितना मजबूत होगा उतना ही देश का फायदा होगा। इसलिये आप कोशिश करें कि किसान जितनी उपज पैदा कर रहा है, उसमें सेविंग करे और उस रुपये को फिर से खेती में इनवेस्ट करे। इस तरह से वह अपनी आमदनी को बढ़ाये। इन शब्दों के साथ जो मैं जनमत का संशोधन लाया हूं, वह जरूरी है क्योंकि देश की हालत आजकल बहुत खराब है और अगर इस तरह का टैक्स लगेगा तो देश जहन्नुम को चला जायगा। इसलिये मैं प्रार्थना करूंगा कि मंत्री जी मेरा संशोधन मान लें।

वित्त उपमंत्री (श्री जयराम वर्मा)—

उपाध्यक्ष महोदय, माननीय कमलासिंह जी मुझे क्षमा करें जब मैं यह कहूं कि उन्होंने या उनके समर्थकों ने अपने भाषणों के द्वारा यह सिद्ध करने का प्रयत्न ही नहीं किया कि इस संशोधन के लिये कोई औचित्य है और अगर उनके खंडों में संशोधनों को देखा जायगा तो अकेले वही पर्याप्त प्रमाण हैं कि उनका संशोधन न मानना चाहिये। उनके संशोधन किसी दूसरी दिशा में ले जाते हैं और यह संशोधन कि इसको जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय एक दूसरी दिशा में ले जाता है। तो कौन ही बात सही है यह समझ में नहीं आता।

श्री उपाध्यक्ष—

अब आप दो बजे के बाद जारी रखेंगे।

(इस समय १ बजे सदन स्थगित हुआ और २ बज कर १२ मिनट पर अधिष्ठाता, श्री नरेंद्रसिंह बिष्ट, के सभापतित्व में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि इस बिल के खंडों पर माननीय कमलासिंह जी और उनके साथियों द्वारा जो संशोधन लाये गये हैं उनसे ही उनके संशोधन को, कि इसको जनमत संग्रह के लिये घुमाया जाय, अनावश्यकता और अनौचित्य सिद्ध हो जाता है। इसका विवेचन मैं बाद में करूंगा। माननीय अधिष्ठाता महोदय, सभी सदस्य चाहे इधर के हों चाहे उधर के हों, इस बात को स्वीकार करते हैं कि चीनी हमले से जो संकट देश में उत्पन्न हो गया है उसका मुकाबला करने के लिये हर संभव प्रयत्न होना चाहिये, ऐसा प्रयत्न होना चाहिये कि उसका जल्द से जल्द निराकरण हो और आगे के लिये भी ऐसी व्यवस्था हो जाय कि उसकी गुंजाइश न रह जाय। माननीय सदस्य इस बात को भी स्वीकार करते हैं कि डिफेंस पोटेंशल को बढ़ाने के लिये भी इस बात की आवश्यकता है कि तीसरी पंचवर्षीय योजना को सफलतापूर्वक निष्पादित किया जाय। सुरक्षा कार्य और पंचवर्षीय योजना का सफल निष्पादन, एक दूसरे के सहायक और पूरक हैं। इन दोनों कार्यों से जो जिम्मेदारी सरकार के ऊपर अतिरिक्त साधन जमा करने के लिये आ गयी है उसी की पूर्ति के लिये यह संशोधन विधेयक लाया गया है। कुछ माननीय सदस्यों को ऐसा भ्रम था कि शायद यह विधेयक केवल संकट के ही संबंध में है, और पंचवर्षीय योजना के सफल निष्पादन से इसका कोई संबंध नहीं है। अतिरिक्त साधन जुटाने की सरकार के ऊपर जिम्मेदारी है और जो उचित कदम उसको दिखायी पड़ें उन पर विचार करके माननीय सदन के सामने वह ले आये और माननीय सदन से इस बात की अपेक्षा की जाती है कि उसका इसमें सहयोग मिले। इस संशोधन विधेयक द्वारा यह जो इन तीन ऐक्टों में संशोधन का प्रस्ताव है उससे

उस दिशा में कुछ साधन जुटाने का प्रयत्न किया जा रहा है । साधन जुटाने के तीन तरीके हो सकते हैं । एक तो जो काम चल रहे हों उनमें खर्चे की कमी करना, जो बकाया हो उसकी वसूली का प्रयत्न करना, और तीसरे नये टैक्स लगाना या जो वर्तमान टैक्स हों उनकी दरों में वृद्धि करना । जहांतक बचत का प्रश्न है उसके लिये सरकार हर तरीके से सजग है । उसके लिये बराबर प्रयत्न कर रही है । लेकिन आज के जमाने में जब कि इंटेंसिव डेवलपमेंट का जमाना हो बहुत कुछ बचत करना संभव नहीं होता । योजनाओं को काटकर के बचत करना कोई उचित बात नहीं है । इसलिये बचत की कोई ज्यादा गुंजाइश नहीं है । सवा करोड़ रुपये की, जैसा कि बताया गया है, बचत की गई है । लेकिन आगे कुछ ज्यादा गुंजाइश प्रतीत नहीं होती है । जहां तक कि बकाया की वसूली का सवाल है कई बार इस बात की घोषणा की गई है और उसके लिये पूरा प्रयास किया जा रहा है । जहां तक सेल्स टैक्स की वसूली का सवाल है उसकी सीधी जिम्मेदारी बोर्ड आफ रेवेन्यू को सुपुर्द कर दी गई है और हर तरह से कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी वसूली हो । उसमें जो भी कदम उठाने हों वह उठाये जायं । लेकिन इन दोनों ही तरीकों से काम चलने वाला नहीं है । हमको अपने साधन जुटाने के लिये नये टैक्स लगाने पड़ेंगे या जो वर्तमान टैक्सेज हैं उनकी दरों में कुछ वृद्धि करनी पड़ेगी ।

हमारा जो प्लान का कार्य है केंद्रीय सरकार से हम चाहते हैं कि बड़े से बड़ा प्लान हमको मिले । लेकिन केंद्रीय सरकार की तरफ से शर्त रहती है कि हमको अपने भी कुछ साधन जुटाने पड़ेंगे । तभी हमको बड़े से बड़ा प्लान मिल सकेगा । आज तीसरी पंचवर्षीय योजना का प्लान जो ४९७ करोड़ का मिला है, उसमें इस राज्य सरकार की भी अपनी जिम्मेदारी है कि १४७ करोड़ का वह खुद प्रबन्ध करे । उससे हम भाग नहीं सकते हैं । उसको करना ही पड़ेगा । बात यह कही गई कि यह प्रदेश गरीब है इसलिये ज्यादा टैक्स की गुंजाइश नहीं है। यह बात सही है कि प्रदेश गरीब है । टैक्स वैसे सरलता से, बहुत आसानी से, आराम से ज्यादा लगाने की गुंजाइश भी नहीं है । लेकिन गरीबी को दूर करने के लिये भी यह जरूरी है कि इन्वेस्टमेंट ज्यादा किया जाय जिसको अभी अन्त में माननीय कमला सिंह जी ने भी स्वीकार किया और खास तौर से उसकी तरफ संकेत किया । गरीबी होने से इन्वेस्टमेंट के लिये रुपया मिलना जरा मुश्किल होता है। इन्वेस्टमेंट अगर ज्यादा न हो तो आमदनी बढ़ेगी नहीं और गरीबी रहेगी । यह एक विशश सर्किल है । इस विशश सर्किल को तोड़ना ही पड़ेगा और वह तोड़ी तभी जा सकती है जब हम ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करें । उसके लिये कुछ तकलीफ उठानी पड़ेगी, कुछ कमर कसना पड़ेगा, अपने खर्चों में कमी करनी पड़ेगी, तब हम इसका प्रबन्ध कर सकेंगे । अगर हम महज एक आराम और सरलता की दृष्टि से देखते हैं तो नक्शा दूसरा होता है, लेकिन अगर हम एक त्याग और कुर्बानी की भावना से इस बड़ी जिम्मेदारी को निभाने की दृष्टि से देखते हैं तो वातावरण बिलकुल बदल जाता है और हमको फिर यह सही लगने लगता है कि हमको कुछ तकलीफ उठानी होगी और कुछ तकलीफ उठाकर के साधनों को जुटाना होगा ।

श्रीमन् जी, इस बात का एतराज किया गया कि एक ही बिल में तीन ऐक्टों का संशोधन कैसे किया गया, यह गलत है । श्रीमन् जी, तीन ऐक्टों को एक साथ इस संशोधन बिल में इस दृष्टि से जोड़ा गया है कि समय कम लगे । तीनों ऐक्टों को अलग-अलग संशोधन करने से तीन संशोधन विधेयक आते, उसमें ज्यादा समय लगता । समय की बचत की दृष्टि से और इन तीनों ऐक्टों का एक साथ संशोधन लाना सम्भव था तब तीनों को एक साथ एक संशोधन विधेयक द्वारा संशोधित करने का प्रयास किया गया । एक और एतराज किया गया कि मान लिया जाय कि तीन ऐक्टों को एक साथ संशोधित किया जा सकता है तो इस संशोधन विधेयक में जिसको हमने कर विधि संशोधन विधेयक कहा है, उसमें कोर्ट फीस ऐक्ट को क्यों शामिल किया गया क्योंकि कोर्ट फीस टैक्स नहीं है, वह एक फीस है । श्रीमान् जी, इसके बारे में भी कुछ भ्रम है । कोर्ट फीस, फीस नहीं है बल्कि वह करीब-करीब टैक्स है और उससे जो आमदनी होती है वह कामन पूल में जाती है, कंसालिडेशन फंड में वह शामिल की जाती है, वह उससे अलग नहीं रहती । सन् १९६० में एक मुकदमे

[श्री जयराम वर्मा]

में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस बात को स्वीकार किया है, इस प्रकार की रूलिंग दी है कि यह कोर्ट फीस नहीं है बल्कि यह एक टैक्स की तरह से है जो कि कामन पूल में शामिल होना चाहिये। इसलिये यह एतराज भी उचित नहीं प्रतीत होता। इसलिये कोर्ट फीस ऐक्ट को इस संशोधन विधेयक में शामिल किया गया।

एक बात यह कही गई कि न्याय की व्यवस्था की जिम्मेदारी सरकार की प्रमुख जिम्मेदारी है। बात बिलकुल सही है कि प्रमुख जिम्मेदारी है लेकिन सरकार के ऊपर और भी बहुत सी प्रमुख जिम्मेदारियां हैं। शिक्षा का विस्तार करना, देश को ऊपर उठाना आदि, आदि बहुत से काम हैं जो सरकार के ऊपर विशेष रूप से जिम्मेदारी के रूप में आते हैं। कहा गया कि फिर सस्ता और सुलभ न्याय क्यों नहीं? यह बात सही है कि न्याय सस्ता और सुलभ होना चाहिये। उसी दृष्टि से न्याय पंचायतों की स्थापना की गई जो कि कोर्ट फीस के दायरे से बाहर रखी गई। वहां पर वकीलों की गति को नहीं रखा गया है जिसकी वजह से वहां पर उन मामलों में कोई खर्च की वृद्धि हो। गरीब जनता का जहां तक सवाल है, गांव के रहने वाले लोग उससे काफी लाभ उठा सकते हैं। न्याय पंचायतों को काफी अधिकार दिये गये हैं और कई तरह के उनके अधिकार बढ़ाये गये हैं। माननीय सदस्य, जो वकील हैं, उनको मालूम होगा कि कई बार वकीलों की तरफ से इस बात का एतराज आया कि न्याय पंचायतों के अधिकार क्यों बढ़ाये जा रहे हैं? उनके अधिकार नहीं बढ़ने चाहिये। जब न्याय सस्ता करने की कोशिश की जाय तब उस वर्ग की तरफ से यह एतराज हो और वह वर्ग यहां गरीबों की दुहाई दे और किसी के गरीब होने का दर्द उनको है और किसी दूसरे को नहीं है, तो यह ताज्जुब की बात है। लेकिन जहां तक अदालत का सवाल है न्याय पंचायतों को छोड़ कर जहां पर एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा ज्यादा होता है, बड़ी तनख्वाह वाले लोग रहते हैं। वहां पर उस तरह से व्यवस्था करना कि कोई खर्चा न पड़े असम्भव सा है। न्याय पंचायतों में एडमिनिस्ट्रेशन पर खर्चा नहीं है। बराये नाम को है, लेकिन जहां पर खर्चा ज्यादा है वहां पर न्याय बिलकुल सस्ता हो, यह बिलकुल सम्भव नहीं है। सारा प्रयास यह होना चाहिये कि न्याय मंहगा न होने पाये। इस सम्बन्ध में अगर मैं माननीय सदस्यों का ध्यान इस तरफ दिलाऊं कि खर्चा कितना होता है तो यह सिद्ध होगा कि जैसा उनका खयाल है कि आमदनी कुछ ज्यादा होती है कोर्ट फीस से और खर्चा कम होता है, उससे आमदनी की जा रही है ऐसी बात नहीं है। १९६०-६१ के आंकड़े मेरे पास हैं। न्याय की व्यवस्था कराने में कुल खर्चा २,४२,५६,९०० रुपये हुआ और कोर्ट फीस से आमदनी २,२८,१८,०००। आमदनी से खर्चा ज्यादा है। इसलिये लोगों को यह भ्रम कि कोर्ट फीस लगाकर ज्यादा आमदनी की जा रही है, और कोर्ट फीस कम होनी चाहिये, नहीं होना चाहिये। इस बात की ओर भी संकेत किया गया कि कोर्ट फीस बिलकुल नहीं लगनी चाहिये। तो फिर क्या माननीय सदस्यों का यह कहना होगा कि मुकदमा लड़ने के लिये उन पर कोई भार न पड़े? और उसका सारा भार जो आम जनता टैक्स देती है उस पर डाला जाय जब कि लोगों पर शिक्षा देने के लिये टैक्स लगाया जाता है, गांव को बढाने के लिये टैक्स लगाया जाता है। यह तो ठीक नहीं है। मुकदमा लड़ने वाली पब्लिक को तो उस बोझ से बरी रखा जाय और उसका खर्च बरदाश्त करें दूसरे लोग, यह कहां तक न्यायसंगत बात है? और कोर्ट फीस लगाने का यह मतलब नहीं है कि कि उससे कुछ खर्च मीट किया जाय, बल्कि कोर्ट फीस एक डिफरेंट चीज है, वह लोगों को मुकदमे करने से रोकती है। अगर कोर्ट फीस न हो तो फ्रेवोलस मुकदमें बहुत होंगे।

श्री कमलासिंह यादव--

देहात में मुकदमें क्यों नहीं बढ़ते?

श्री जयराम वर्मा---

देहातों में भी फ्रेवोलस मुकदमें हैं, लेकिन अगर कोर्ट फीस न हो तो अदालतों की संख्या बहुत बढ़ानी पड़ेगी और जनरल पब्लिक को बहुत खर्च बरदाश्त करना पड़ेगा। इसलिये यह सोचना कि कोर्ट फीस बिलकुल न हो उस देश में जहां कि सम्मान के लिये मुकदमे किये जाते हैं,

मूंछ ऊंची रखने के लिये मुकदमे किये जाते हैं, और जैसा कि एक माननीय सदस्य कल ही कह रहे थे कि जमींदार गरीबों को परेशान करने के लिये मुकदमे करते हैं, सही नहीं होगा। क्या ऐसे लोगों को और छूट दी जाय और कहा जाय कि अब कोई बोझ उन पर न पड़ेगा, कोई कोर्ट फीस न लगेगी, जो चाहो करो? यह न्याय की बात नहीं है। यह न्याय के परे बात है। इसलिये कोर्ट फीस न होना एक परेशानी की बात होगी। इससे मुकदमों की भरमार हो जायगी और अदालतें कितनी बढ़ानी पड़ेंगी इसका अन्दाजा हम नहीं लगा सकते। और उसकी वजह से कितना बोझ पब्लिक पर पड़ेगा इसका भी हम अन्दाजा नहीं लगा सकते।

इस विधेयक से लगभग डेढ़ करोड़ की आमदनी होगी। स्टाम्प ऐक्ट और कोर्ट फीस ऐक्ट में जो संशोधन किया जा रहा है उससे लगभग ७५ लाख रुपया और ७५ लाख रुपया सेल्स टैक्स ऐक्ट में जो संशोधन हो रहा है उससे मिलेगा। मैंने शुरू में ही, विचार के लिये यह विधेयक प्रस्तुत करते हुये माननीय सदस्यों का ध्यान इसके खंड २ के उपखंड (१) की ओर विशेष-तौर से आकर्षित किया था। मैंने यह बतलाया था कि प्लेन्ट, रिटेन स्टेटमेंट और मेमोरेंडम औफ अपील्स पर कोर्ट फीस मालियत के अनुसार लगती है और अभी तक यह रूल है कि हर ५ रुपये के लिये या उसके हिस्से के लिये कोर्ट फीस आठ आना लगती है। तो कोर्ट फीस नीचे से ऊपर तक उस मामले की मालियत पर लगती है। ऐसा खयाल है और वह सही भी है कि छोटी मालियत के मामले अदालतों में काफी संख्या में आते हैं। उनमें अदालतों का समय भी काफी लगता है और कभी-कभी कोर्ट फीस की नीची दर की वजह से फ़िबलस मुकद्दमे भी दायर होते हैं। इसी दृष्टि से सरकार ने यह संशोधन का प्रस्ताव किया था कि कोर्ट फीस की दर तो वह रहे लेकिन शर्त यह रहे कि कोर्ट फीस कम से कम ५ रुपये लगे। इस मामले पर सरकार ने पुनर्विचार किया और उन सब बातों को सही मानते हुए सरकार ने यह महसूस किया कि इसका प्रभाव अधिक गरीब जनता पर पड़ेगा। छोटी मालियत के मामलों पर इसका बोझा अधिक बढ़ जायगा, जब कि बड़ी मालियत पर बोझा जैसे का तैसा ही रहेगा। उसमें कोई वृद्धि नहीं होगी, इसलिये इस संशोधन का औचित्य प्रतीत नहीं हुआ। उसका औचित्य और संशोधनों से सब से कम लगा। इसलिये सरकार ने यह निश्चय किया कि इसको ड्राप कर दिया जाय और इस संबंध में यह जो माननीय गंगा प्रसाद जी का संशोधन आया हुआ है उसको मैं स्वीकार कर रहा हूं, लेकिन मैं माननीय सदन का ध्यान इस तरफ विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस वृद्धि का सब से कम औचित्य हम को प्रतीत हुआ। उसका प्रभाव भी छोटी मालियत के मामलों पर पड़ने वाला था, जब कि बड़ी मालियत के मामलों पर उसमें कोई वृद्धि नहीं होने वाली है, जिसका सबसे कम औचित्य हमको प्रतीत हुआ और माननीय कमला सिंह जी को उसके बारे में ऐसा लगा कि सरकार जो यह प्रस्ताव ला रही है, यह बड़ा ही नरम प्रस्ताव है। जो यह शर्त लगा रही है कि ५ रुपये कम से कम कोर्ट फीस लगेगी, यह कम है और .....।

श्री कमलासिंह यादव--

श्रीमन्, मैं इसलिये कह रहा था कि ९०० परसेंट का १८०० परसेंट हो जाय।

श्री जयराम वर्मा--

माननीय सदस्य तो सब बातें ऐसे ही कहते हैं। यह संशोधन का प्रस्ताव है, वह भी उसी दृष्टि से किया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे ऊपर चार्ज लगाया गया कि हम सेक्रेटरीज और डिप्टी सेक्रेटरीज के दिमाग से बात करते हैं और अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हैं। उधर के बैठने वाले शायद अपने दिमाग का इस्तेमाल करते हैं, जिसका कि प्रमाण हमारे सामने मौजूद है कि उनको यह नरम मालूम पड़ा और वह उसको ५ रुपये के बजाय बढ़ा कर १० रुपये करना चाहते हैं। उसके बाद भी वह कहते हैं कि इसको जनमत संग्रह के लिये पब्लिक में घुमाया जाय। कितना विरोधाभास है; यह तो साफ मालूम हो गया है कि माननीय सदस्य मानने वाले नहीं हैं। परन्तु यह भी विचार करने की बात है कि यह घुमाया किस काम के लिये जायगा। केवल इसी से सारे संशोधन का परिणाम निकल जाता है। फिर इसमें जनमत संग्रह की आवश्यकता माननीय कमला सिंह जी की दृष्टि में है या नहीं, यह सोचना

[श्री जयराम वर्मा]

चाहिए। केवल एक ही नहीं माननीय करपनाथसिंह जी मौजूद नहीं हैं, उन्होंने भी एक संशोधन रखा है उसमें उन्होंने इस सम्बन्ध में हमारे संशोधन को मान लिया है। जो हम करना चाहते थे कि कम से कम ५ रुपया फीस लगे उसे उन्होंने स्वीकार कर लिया, लेकिन रेट बजाय ५० नये पैसे के २६ नये पैसे कर दिया जाय, साथ ही कम से कम ५ रुपया जरूर रहे, उन्होंने कम से कम उस रकम को स्वीकार कर लिया जिसको अनुचित समझ कर अब हम वापस कर रहे हैं। इसी तरह का एक संशोधन माननीय शाक्य जी का आया हुआ है। उन्होंने रकम को तो नहीं लेकिन सिद्धान्त को स्वीकार किया है कि कम से कम रकम अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने खंड (ख) में जिक्र किया है फीस की सारणी में कि जहां २५ रुपये तक की मालियत के मामले हैं तो ५ रुपया करने की जगह ढाई रुपया कर दिया जाय और २५ के ऊपर ५० तक ५ रुपया कर दिया जाय। चूंकि उसका प्रभाव गरीब जनता पर पड़ रहा था इसलिये सरकार ने उसको ड्राप करने का निश्चय किया है।

मैं अब माननीय सदन का ध्यान अनुसूची (२) की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। इस समय जो दरख्वास्तें विभिन्न अदालतों या अधिकारियों के सामने प्रस्तुत की जाती हैं उन पर कुछ कोर्ट फीस बढ़ाई गई है। वकालतनामे, मुख्तयारनामे पर, इलेक्शन पेटीशंस के मामले में बढ़ाने का प्रस्ताव है। वकालतनामे पर सवा रुपया की जगह डेढ़ रुपया की गयी है और ढाई रुपया जहां लगता है वहां ३ रुपया किया गया है। जहां कम लगता है वह छोटी अदालतों के मामले हैं और वहां पर हर तरह के लोग---गरीब भी और बड़े लोग भी---पहुंचते हैं। कहा जाता है कि गरीबों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, बड़ों पर पड़ना चाहिये? इस सम्बन्ध में भी माननीय कमला सिंह जी का एक संशोधन प्रस्ताव है कि जहां हमने वकालतनामे पर डेढ़ रुपया किया है, वह कहते हैं कि वह बढ़ा कर १ रु० ६० नये पैसे कर दिया जाय और जो बड़ी अदालतों के सामने वकालतनामे दाखिल होते हैं उन पर न बढ़ाया जाय, लेकिन छोटों पर जो सरकार ने बढ़ाया है उसको कुछ और बढ़ा दिया जाय और दोहाई इस बात की दी जाती है कि गरीबों के सब से ज्यादा हमदर्द उधर बैठने वाले ही हैं, हम लोग नहीं हैं।

माननीय नौरंगलाल जी यह प्रस्ताव कर रहे थे कि यह जो फ़ीस बढ़ाई गई है वह कम्पलेंट केसेज में न बढ़ाई जाय। अब अगर हम यह करेंगे तो इसमें बड़ा कन्फ्यूजन पैदा हो जायेगा, कम्पलेंट केसेज को दूसरे केसेज से अलग करने में। मैं तो वकील नहीं हूं, लेकिन माननीय तमेश्वर प्रसाद जी वकील हैं, उन्होंने इस बात को कहा कि इस प्रकार की व्यवस्था हो ही नहीं सकती। इसलिये यह सम्भव नहीं है।

श्रीमान जी माननीय सदस्यों को गरीबी कहां दिखाई पड़ी, इलेक्शन पिटीशन के मुकदमें में। आप कहते हैं कि म्युनिसिपल बोर्ड का अगर चेयरमैन है, उसके खिलाफ अगर कोई पिटीशन दायर करता है तो उस पर जो खर्चा पड़ेगा वह आम पब्लिक पर पड़े। अगर मेयर भी गरीब आदमी हो जायेगा, तो पता नहीं वह क्या चाहते हैं।

कुछ संशोधन श्रीमानजी, स्टैम्प ड्यूटी लगाने के बारे में किये गये हैं। अब तक यह था कि अगर किसी ओरीजिनल विलेख पर कोई ड्यूटी चार्जेबिल न हो या दो रुपया तक चार्जेबिल हो तो उसकी नकल के इन्तखाब पर सवा दो रुपया लगती थी और किसी दशा में ३ रुपये तक थी, हमने उसको थोड़ा सा नर्म किया। जहां ड्यूटी दो रुपये तक थी, हमने उसको अब कर दिया कि जब ड्यूटी ३ रुपये तक चार्जेबिल हो तो सवा दो रुपये या तीन रुपये लगेगी। उनका प्रस्ताव यह है कि उस को ढाई रुपये कर दिया जाय। आप उस नर्मी के खिलाफ और सख्ती लाना चाहते हैं।

फिर स्टैम्प ड्यूटी के सम्बन्ध में एक संशोधन पार्टनरशिप और रिलीज के संबंध में कुछ एनामली हो गयी थी उस को दूर करने के लिये किया गया है। पार्टनरशिप के सम्बन्ध में जो ड्यूटी लगाने के नियम हैं वह यह हैं कि ब्रान्ड पर जितनी ड्यूटी लगेगी, उतनी ही ड्यूटी

पार्टनरशिप के विलेख पर लगेगी। लेकिन जब उसकी मालियत उसकी कैपिटल, ५ हजार से ज्यादा हो तो १०० रुपये लगेगी। पिछली बार हमने बान्ड की ड्यूटी के रेट में संशोधन किया। उसके हिसाब से ५ हजार रुपये पर ड्यूटी ११२ रुपये ८ आने होती है। उस वक्त संशोधन करते समय यह नहीं देखा गया था कि यह पार्टरनरशिप पर भी लागू होता है या नहीं। एक एनामली हो गई थी जिसे दूर करने के लिये यह संशोधन किया गया कि अगर उसका कैपिटल ४,००० से ज्यादा हो तो उस पर सौ रुपया ड्यूटी लगेगी। माननीय कमला सिंह जी का प्रस्ताव है कि जब कैपिटल १०,००० रुपये के ऊपर हो तो सौ रुपये लगें, और १०,००० पर २२५ लगेंगे। तो यह कहां का न्याय होगा और यह टैक्स घटाने के लिये है या बढ़ाने के लिये है? चार्ज लगाते हैं सरकार पर और खुद करते हैं इस तरह की बात।

इस तरह से रिलीज पर भी ड्यूटी का रेट वही है जो बान्ड पर लगता है। अगर ३,००० रु० के ऊपर उस की मालियत हो जाय तब ड्यूटी ५० रुपये लगेगी। ३,००० तक वह रेट रहेगा जो बांड के ऊपर है जो ६७ रु० ८ आना होता है ३००० का। हम यह करना चाहते हैं कि अगर २,००० से ऊपर मालियत हो जाय तो ड्यूटी ५० रुपये होगी और २,००० तक बान्ड का रेट रहेगा। माननीय कमलासिंह ने वहां भी बढ़ा दिया है। उसे भी कह दिया कि मालियत ४,००० से ऊपर हो तो ५० रुपये लगें और ४,००० तक बान्ड के हिसाब से लगे। तो ४,००० पर ९० रुपये और ऊपर ५० लगेंगे। कमला सिंह जी कैसे अपने दिमाग से काम करते हैं उसका परिणाम हम यह देख रहे हैं। वह वकील हैं, मैं तो वकील भी नहीं हूं, अध्यापक ही रहा हूं।

श्री कमलापति त्रिपाठी--

अगर कमलासिंह जी के संशोधन मान लिये जावें तो १।। करोड़ के बजाय २।। करोड़ की आमदनी हो जायगी।

श्री जयराम वर्मा--

अब तक पंचायत के प्रधान, न्याय पंचायत के मेम्बरों, पंचायत के सदस्यों, ब्लाक कमेटियों अधिकारियों और मेम्बरों के इलेक्शन को चैलेंज करने के सम्बन्ध में कोई कोर्टफीस हमने नहीं लगायी थी यद्यपि विचार हुआ था। लेकिन उधर से संशोधन आया है कि उसमें भी कोर्ट फीस लगा दी जाय। और अगर मेयर का हो, म्यूनिसिपल बोर्ड या जिला परिषद् के अध्यक्ष का हो, उनका इलेक्शन चैलेंज करने की बात हो तो वहां के लिये वह बिलकुल माफ़ चाहते हैं। क्या ऐसी ही वह ग़रीबों की सेवा करेंगे? एक बात माननीय कमला सिंह जी की समझ में आई और वहां पर उन्होंने टैक्स को कम करने का एक संशोधन का प्रस्ताव दिया है। वह कहां? उनको वही लोग ग़रीब दिखलाई पड़े जो लजरी करते हैं। मैंने उस दिन बतलाया था कि सभी स्टेट्स ने इकट्ठा बैठ कर जहां सिंगिल प्वाइंट टैक्स है, और जिसकी दर अभी तक हाइयेस्ट ७ परसेंट है उसके लिये सर्व सम्मति से तय किया कि उसे बढ़ाकर १० प्रतिशत कर दिया जाय और सभी स्टेट्स इसे करने वाली हैं। दिल्ली के बारे में कुछ आपत्ति हुई थी कि वहां टैक्स नहीं लगता है और बड़ी परेशानी होती है। लेकिन दिल्ली स्टेट भी ७ परसेंट से १० प्रतिशत कर रही है। मध्य प्रदेश और बिहार ने इसे पास कर दिया और दूसरी स्टेट्स पास कर रही हैं। हमारी दिक्कत यह थी कि लग्जरी गुड्स पर हम ७ परसेंट तक ही लगा सकते हैं क्योंकि इससे ज्यादा हमें अधिकार नहीं है। तो सभी स्टेट्स के सम्बन्ध में सभी की सहमति से यह निश्चय हुआ कि लग्जरी गुड्स पर १० परसेंट तक कर दिया जाय, चूंकि वहां पर सेल्स टैक्स बढ़ाना आसान है। बड़े लोगों का मामला रहता है। ७ परसेंट से १० परसेंट करने में ७५ लाख रुपये की आमदनी हमको होगी। उन लागों से कमलासिंह जी को बड़ा दर्द हुआ है कह दिया कि वहां उतना न बढ़ाया जाय, बजाय १० के ८ परसेंट ही किया जाय। इसके बारे में अक्सर कहा जाता है कि अमीरों पर कोई टैक्स लगता ही नहीं है और वहां उसे घटा कर ८ परसेंट चाहते हैं। तो इस दृष्टि से ग़रीबों का बोझा हलका करने के लिये उनके प्रेम की दृष्टि से संशोधन लाया गया है। चूंकि उनके प्रस्तावों से ग़रीब जनता पर बोझ

[श्री जयराम वर्मा]

पड़ेगा जब कि उसका करैसपांडिंग बोझ बड़े लोगों पर नहीं पड़ेगा, तो इस तरह का संशोधन हम मानने के लिये तैयार नहीं हैं। हम को गरीबों का दर्द है। हम यह नहीं चाहते कि दिखावें कुछ और करें कुछ और। इसलिये उनके ऐसे संशोधन को हम स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं हैं। एक संशोधन हम लाये थे, उसका औचित्य प्रतीत नहीं हुआ और उसे ड्राप करने का निश्चय कर लिया है।

इन शब्दों के साथ में माननीय सदस्यों से प्रार्थना करूंगा कि जनमत जानने के प्रस्ताव का कोई औचित्य नहीं है, उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी तरह की मैं माननीय कमलासिंह जी से भी प्रार्थना करूंगा, क्यों कि उन्होंने देख लिया होगा कि उनके संशोधन प्रस्तावों का क्या असर पड़ता है, कि वह अपने प्रस्ताव को प्रेस न करें। अगर जनता के सामने उनके प्रस्ताव चले गये तो वह उनके बारे में क्या कहेगी ?

श्री अधिष्ठाता--

क्या कमलासिंह जी, आप इसे वापस लेते हैं ?

श्री कमलासिंह यादव--

नहीं, श्रीमान्।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ को जनमत संग्रह के लिये १ मास तक घुमाया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खंड २

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची १ का संशोधन

२--कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० में--

(१) अनुसूची १ में--

(क) अनुच्छेद संख्या १ में शब्द "Fifty naye paise for every five rupees or part thereof." के स्थान पर शब्द "Subject to a minimum of five rupees, fifty naye paise for every five rupees or part thereof" रख दिये जायें; और

(ख) वादों के निवेशन पर मूल्यांकनानुसार दी जाने वाली फीस की दरों की सारणी में, प्रथम दस प्रविष्टियों के स्थान पर, स्तम्भ (१) में बिन्दु ".....", स्तम्भ (२) में अंक "५०" तथा स्तम्भ (३) में अंक "५.००" रख दिये जायं:

ऐक्ट संख्या ७, १८७० की अनुसूची २ का संशोधन

(२) अनुसूची २ में--

(क) अनुच्छेद संख्या १ में--

(१) खण्ड (बी) के सामने, जहां भी शब्द "One rupee and twenty five naye paise" आये हों, उनके स्थान पर शब्द "One rupee and fifty naye paise" रख दिये जायें;

(२) खण्ड (सी) के सामने, शब्द "Two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर शब्द "Three rupees" रख दिये जायें; और

(३) खण्ड (एफ) के सामने, शब्द "Two rupees and fifty naye paise" और शब्द "Five rupees" के स्थान पर क्रमशः शब्द "Five rupees" और शब्द "Ten rupees" रख दिये जायें ;

(ख) अनुच्छेद संख्या १० में शब्द "One rupees and twenty five naye paise" और शब्द "Two rupees and fifty naye paise" के स्थान पर क्रमशः शब्द "One rupee and fifty naye paise" और शब्द "Three rupees" रख दिये जायें;

(ग) अनुच्छेद संख्या १७ में शब्द "Twenty five rupees" के स्थान पर शब्द "Thirty rupees" रख दिये जायें; और

(घ) अनुच्छेद संख्या २२ में खण्ड (ए) और (बी) के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाये:—

"(*a*) As a President, Vice-President or Adhyaksha, Upadhyaksha, Nagar Pramukh, or Up Nagar Pramukh of a Municipal Board, Zila Parishad or Nagar Mahapalika or any other local body except those mentioned in clause (*c*).	Two hundred rupees.
(*b*) As a Sadasya or Vishishta Sadasya of a Nagar Mahapalika or as a member of a Municipal Board or Zila Parishad or any other local body except those mentioned in clause (*d*)."	One hundred and fifty rupees.

श्री गंगाप्रसाद (जिला गोंडा)—

श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है —

"खंड २ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय और उपखंड (२) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय।"

श्रीमन्, इससे गरीबों को बहुत ज्यादा लाभ होगा। विरोधीपक्ष की ओर से कल बहुत सी बातें कही गयीं थीं और बहुत सी गरीबों की दुहाई दी गई थी और कहा गया था कि मंत्री जी वैसे तो शोषितों के नेता बनते हैं लेकिन उन्हीं के ऊपर यह टैक्स लगा रहे हैं लेकिन आज इस संशोधन को स्वीकार करके मंत्री जी दिखा देगें कि वे गरीबों को किस प्रकार मदद देते हैं, उनका कितना खयाल रखते हैं। लेकिन विरोधी पक्ष की ओर से जो संशोधन आये हैं उनसे साफ जाहिर होता है कि वे गरीबों की कितनी भलाई चाहते हैं। आशा है मंत्री जी मेरे इस संशोधन को स्वीकार करके गरीबों को राहत देने की कोशिश करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मुझे यह संशोधन स्वीकार है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (१) को निकाल दिया जाय और उपखंड (२) पुनः संख्यांकित कर दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (क) के उपभाग (१) की तृतीय पंक्ति में "fifty" के स्थान पर "thirty" रख दिया जाय।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमला सिंह यादव]

इसका मतलब यह है कि कोर्ट फीस जो आप डेढ़ रुपया करने जा रहे हैं उसके बदले में वह १ रुपया ३० नये पैसे होगी। अगर बढ़ोत्तरी के परसेंटेज को देखा जाय तो वकालतनामे पर या अप्लीकेशन वगैरह पर पहले १२ आने का टिकट लगता था। उसको बढ़ाकर सरकार ने १५ आने किया, फिर १५ आने से १ रुपया किया, १ रुपया से बढ़ाकर सवा रुपया किया और अब डेढ़ रुपया करने जा रही है। यानी ओरीजिनल जो १२ आने था उसका दुगुना होने जा रहा है, यानी एक दम से १०० परसेंट बढ़ गया है। जो एक अन्तिम सीमा होती है उस सीमा तक माननीय वित्त मंत्री जी पहुंच गये हैं। सन् १९२४ में जब माननीय पंत जी अपोजीशन में थे तो उन्होंने कहा था कि जस्टिस के लिये टैक्सेशन करना फंडामेंटली रांग है। अगर कोई गरीब आदमी किसी बात के लिये मैजिस्ट्रेट के सामने कोई दरख्वास्त देता है तो अब उसके लिये भी टैक्स लिया जायगा। अगर कोई आदमी एस० पी० के यहां दरख्वास्त देता है तो उसे दरख्वास्त पर कोई टिकट नहीं लगाना पड़ता है अगर कोई आदमी कोर्ट के सिलसिले में कोई रिलीफ हासिल करना चाहे तो उससे तो वह टैक्स लेना कुछ हद तक एक माने रखता है लेकिन मान लीजिये कि कोई हरिजन लड़का किसी मैजिस्ट्रेट के पास शेड्यूल कास्ट का होने का सर्टिफिकेट लेने के लिये जाय, जिसकी अभी श्री गंगा प्रसाद जी दुहाई दे रहे थे, तो उससे भी डेढ़ रुपया लिया जायगा। मैं समझता हूं कि कम से कम ऐसी चीजों को बरी कर देना चाहिये और इसका कुछ न कुछ लिमिटेशन होना चाहिये। अभी मोटर बस यात्रीकर ५ परसेंट बढ़ाया गया है, लेकिन मेरी समझ में नहीं आता कि अगर २० परसेंट बढ़ा देंगे तो उसका क्या नतीजा होगा। चूंकि सुरक्षा करने के नाम पर आपने ५ परसेंट बढ़ाने की बात कही थी, इसीलिये मैं भी कहता हूं कि ५ नये पैसे बढ़ा लीजिये और १ रुपया २५ नये पैसे की जगह १ रुपया ३० नये पैसे कर लें।

श्रीमन्, रेलवे के जो मुकदमे होते हैं वे भी फ्री होते हैं, कोई टिकट वहां नहीं लगाना पड़ता है। जो रेलवे वकील होते हैं वे भी प्राइवेट होते हैं, नार्दर्न रेलवे के अलग होते हैं, नार्थ ईस्टर्न रेलवे के अलग होते हैं। मैं कहता हूं कि अगर सरकार उनका एक्जेम्प्शन कर दे, और उनको हटा दे तो काफी आमदनी हो सकती है। साथ ही गांधी जी के उसूलों को भी आपने ठोकर मार दी है। शराबबन्दी को भी आपने रुपया इकट्ठा करने का एक रोजगार बना लिया है। अगर आप को रुपया ही इकट्ठा करना था तो शराब पर और सेल्स टैक्स बढ़ा देते, जिनको बहुत ज्यादा शौक होगा वे शराब पीयेंगे। मैं समझता हूं कि इससे डेढ़ करोड़ के बजाय कई करोड़ की आमदनी हो जाती। गांधी जी ने शराबबन्दी के लिये कहा था लेकिन आपने उसको चालू किया। तो मैं आपसे यही प्रार्थना करता हूं कि गरीब आदमी को मजबूर होकर ही अदालतों में जाना पड़ता है। जब वह मारा पीटा जाता है, परेशान होता है तभी रिलीफ सीक करने के लिये अदालतों में जाता है। और उसकी भी आप उम्मीद करें जैसा कि आप का तरीका है कि रिलीफ के पहले ही आप कहते हैं कि हमें कुछ पहले ही दे दो फीस में और उसके बाद ही बात सुनी जायगी यानी जब फीस ले ली जाती है तब इन्स्टीट्यूशन होता है, इस तरह की राज्य की नीति है जिसकी बड़ी दोहाई दी जाती है। इस तरह से कोर्टफीस में बढ़ोत्तरी करना तो एक अपराध होना चाहिये लेकिन आप उस की आड़ ले रहे हैं। क्योंकि माननीय गोविन्द वल्लभ पन्त जी सन् १९२४ में ही इस सम्बन्ध में कह चुके थे कि उस वक्त कोर्टफीस ही अपनी अन्तिम सीमा तक पहुंच चुकी थी। इसलिये मैं इस वक्त आप से प्रार्थना करूंगा कि डेढ़ रुपया करना वाजिब न होगा और बहुत जरूरत ही हो तो कोशिश की जाय कि १.३० रुपये से ही काम चला लिया जाय।

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)---

मान्यवर, जो संशोधन माननीय कमलासिंह जी ने पेश किया है वह एक अपना बहुत ही प्रमुख स्थान रखता है और यह सरकार की सारी टैक्सेशन नीति से सम्बन्ध रखता है और स्वराज्य से पहले पूज्य गांधी जी ने हर जगह पर यह नारा लगाया था कि हम देश में सस्ते से सस्ता न्याय देंगे लेकिन आज उसकी हालत क्या है? जैसा कि माननीय कमलासिंह जी ने कहा कि जहां

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

पहले १२ आना कोर्ट फीस थी आज वह बढ़ कर डेढ़ रुपया होने जा रही है। इसका मतलब यह होता है कि इस राज्य में जो गरीबों को सस्ता न्याय मिलना चाहिये था वह नहीं मिल रहा है और सरकार जो बार-बार समाजवाद के सिद्धान्तों पर चलने की नीति घोषित करती है उसकी नीति के भी यह खिलाफ है। मैंने पंडित गोविन्द बल्लभ पन्त का भाषण, जो उन्होंने आदरणीय सदन में दिया था, पढ़ा। उन्होंने उसमें कहा था कि हम यह स्वराज्य का सपना अपने दिमाग के सामने रखना चाहते हैं जो पूज्य बापू ने हमारे सामने रखा है और मैं चाहता हूं कि गरीबों को सस्ते से सस्ता न्याय मिले और इसलिये आज जो सरकार अपने को बापू के सिद्धान्तों पर चलने वाली कहती है उसे उनके विचारों का आदर करना चाहिये और इस तरह से इमर्जेंसी के नाम पर उसे जनता पर टैक्स नहीं बढ़ाने चाहिये। आज जनता टैक्स के भार से लदती जा रही है। एक तरफ तो इमर्जेंसी का नाम लिया जाता है और दूसरी तरफ फिजल खर्ची का काम आज इतना बढ़ गया है कि उसका कोई ठिकाना नहीं है, हर क्षेत्र में हर विभाग में फिजूलखर्ची है अगर उसको थोड़ा सा ही रोका जाय तो इतनी जरूरत टैक्स बढ़ाने की नहीं रह जायगी। इसलिये मैं नम्र निवेदन करूंगा कि सरकार इन संशोधनों को मान ले कि जिन में करोड़ों गरीब जनता की आत्मा छिपी है और जिसको हम सस्ता न्याय दिलाना चाहते हैं। ऐसे संशोधनों को मानकर ही सरकार अपने घोषित उद्देश्यों की पूर्ति कर सकती है। अतः माननीय कमला सिंह जी के संशोधन को माननीय वित्त मंत्री जी मानने की कृपा करें।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, जिस तरह से माननीय कमलासिंह जी ने नक्शा बनाया है कोर्टफीस के घटाने बढ़ाने का वह मुझे स्वीकार नहीं है। उन्होंने जहां कम है ज्यादा किया है और जहां इनको ज्यादा लगा वहां दिखाने के लिये उन्होंने कुछ कम कर दिया है। मेरी राय में इसे कम करने की जरूरत नहीं है और यह कोई ज्यादा नहीं बढ़ाया जा रहा है। वह देख लें कि किस दरख्वास्त पर कितना लगता है इसलिये मुझे यह स्वीकार नहीं है और मैं सदन से अनुरोध करूंगा कि वह इसे अस्वीकार कर दे।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मुझे माननीय मंत्री जी के शब्द सुनकर बड़ा ताज्जुब हुआ। वकालतनामा वकील ही लगाते थे और अब तक एडवोकेट उससे एग्जेम्प्टेड थे। सिर्फ वकील लोग लगाते थे। तो एडवोकेट की संख्या बढ़ गयी है, अब ऐडवोकेट फार्म पर भी टिकट लगाना पड़ता है, अब भी मंत्री जी का पेट नहीं भरा। इतनी बढ़ोत्तरी जो ऐडवोकेटों के जरिये फीस में हुई है उससे थोड़ा रहम खा जायं। १०० फीसदी तक ही ले जाकर आपकी तसल्ली होगी तब तो दूसरी बात है। मुख्तारनामे हैं, १०९ में मुलजिम पकड़ा जाता है, मुसहर उसके पास अदालत में पैसा नहीं होता तो वह बेचारा अपने को डिफेंड भी नहीं कर पायेगा, बिल्कुल बेगुनाह मारा जायगा। वकालत-नामा के लिये उसके पास पैसा न होने के कारण अपने केस को अदालत में रिपोर्ट नहीं कर पायेगा और वह अपने को डिफेंड नहीं कर सकेगा। लकड़ी चीरने के लिये दरोगा के यहां कोई मुसहर गया, उसको अदालत भेज दिया और कह दिया कि जुर्म स्वीकार कर लो। अगर कोर्टफीस बढ़ाकर और वकालतनामे पर टिकट का दाम बढ़ाकर आप चाहते हैं लोग अपने को डिफेंड न कर सकें तो मैं समझता हूं यह उचित नहीं है। हां, अगर आपका पुलिस विभाग ठीक हो जाय और ईमानदारी से काम करे तब तो ठीक है। लेकिन यहां तो ५० फीसदी मुकदमे झूठे होते हैं। इसलिये गरीब की रक्षा करनी है। मर्डर केस में जब कोई वकील मुलजिम की तरफ से नहीं होता तो सरकार के खर्चे पर एक काउन्सल रखा जाता है। आपने पहले बैकवर्ड क्लासेज के लिये कहा कि थोड़ा सा नम्बर रख दिया कि इतनों को स्कालरशिप देंगे जिसकी वजह से १०० क्लेमेंट्स रहते थे, वह भी आप बरदाश्त नहीं कर सके तो आपने स्टेटस पर रख दिया कि जिनकी इनकम १,००० रु० होगी उन सभी को बैकवर्ड.....

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

माननीय सदस्य जो बोल रहे हैं, धारा पर बहुत थोड़ी सी बात कही और पूरा जनरल डिस्कशन बजट का कर रहे हैं। इन्होंने आश्वासन दिया था खूब बोलने दीजिये इस बिल को जल्दी पास करेंगे। अब देखता हूं कि एक एक संशोधन पर काफी लम्बी बहस की जा रही है।

श्री अधिष्ठाता—

आपको विषयांतर नहीं करना चाहिये। आप जवाब दे रहे हैं अतः नये प्वाइंटस न लें।

*श्री कमलासिंह यादव—

श्रीमन्, मैं इनके ऐडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बता रहा हूं। यह तो उसी से कन्सर्न्ड है। खैर, अगर श्रीमन् नहीं चाहते हैं तो इन शब्दों के साथ मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि १.२५ के स्थान पर १.३० कर दें। वैसे ५ नये पैसे से अधिक आय तो नहीं बढ़ेगी लेकिन वे और सोर्सेज ढूंढ़े। साथ ही साथ ऐडवोकेट्स जो एग्जेम्प्टेड थे उन पर भी फीस लग जाने से काफी आमदनी होगी।

श्री जयराम वर्मा—

इस धारा के सम्बन्ध में तो उन्होंने कुछ कहा नहीं, इधर उधर की बातें कहते रहे इसलिये मुझे कोई जवाब देना नहीं है।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (क) के उपभाग (१) की तृतीय पंक्ति में "Fifty" के स्थान पर "thirty रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (क) के उप भाग (२) की द्वितीय पंक्ति में "Three rupees" के स्थान पर "Two rupees and sixty naye paise" रख दिये जायं।

जहां तक कमिश्नर वगैरह के कोर्ट का सवाल है पहले वहां फीस २ रुपये थी, फिर २ से ढाई हुई और अब ३ होने जा रही है और मैं समझता हूं कि बहुत जल्द अगर माननीय मंत्री जी को जरूरत होगी तो शायद ५ रुपये भी हो जाय। तो मैं तो यही कहूंगा कि आपका कोई उसूल होना चाहिये कि किस रेट से आप बढ़ाना चाहते हैं। यात्री-कर के सिलसिले में जो टैक्स लगा उसमें आपने एक सीमा रखी। नगरपालिका का जो कर आया उसमें भी आपने सीमा रखी। लेकिन इसमें तो कोई सीमा ही नहीं है। कमिश्नर के यहां ज्यादातर केसेज अपील के सिलसिले में जाते हैं। वहां ५० नये पैसे न बढ़ा कर सिर्फ १० नये पैसे ही बढ़ाये कुछ आमदनी तो हो ही जायगी। इसलिये २ रुपये ५० नये पैसे की जगह २ रुपये ६० नये पैसे कर दें तो मैं समझता हूं कि काफी होगा।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमान् जी, जिस अनुपात में दरख्वास्तों पर १.२५ रुपये से १.५० रुपया किया गया उसी अनुपात में यहां ढाई से ३ रुपया किया गया है। उस अनुपात को माननीय सदन ने स्वीकार कर लिया है इसलिये इस संशोधन को स्वीकार करने में मैं मजबूर हूं।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (क) के उपभाग (२) की द्वितीय पंक्ति में "Three rupees" के स्थान पर "Two rupees and sixty naye paise" रख दिये जायं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (क) के उपभाग (३) की तीसरी पंक्ति में शब्द "Five rupees "के स्थान पर "Three rupees' और" "Ten rupees" के स्थान पर "Six rupees." रख दिये जायं।

इस संशोधन का सम्बन्ध ज्यादातर ट्रांस्पोर्ट मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट से है। मोटर टैक्सेशन के बारे में जब बातचीत हम लोग करते थे तो बराबर यह कहते थे और सरकार यह कहती थी कि प्रदेश में हमारे यहां और प्रदेशों से बहुत कम टैक्स है इसलिये बढ़ा रहे हैं। लेकिन चरम सीमा तक हमने उसे बढ़ा दिया। मेरा कहना यह है कि जो मोटर कार प्राइवेट लोगों के यूज के लिये है, जो नेसेसिटी हो सकती है, उनको कम से कम इस टैक्स से एक्जेम्प्ट किया जाय। बसेज से या ट्रक वगैरह से जो आमदनी होती है, बड़ी बड़ी कम्पनियां हैं उनको आमदनी होती है उनसे यह टैक्स वसूल किया जाय तो अच्छा होगा। जो प्राइवेट मोटर वाले हैं जिनके लिये वह आने जाने का साधन है उनको कम से कम इससे बरी करना चाहिये।

श्री जयराम वर्मा—

मोटर वेहिकिल्स ऐक्ट के अन्तर्गत जो आर० टी० ओ० को दरख्वास्त पड़ती है वहां ढाई रुपये कोर्टफीस पड़ती थी वह अब ५ रुपये कर दी गयी है और एस० टी० ए० को जो दरख्वास्त लगती है उस पर कोर्ट फीस ५ रुपये के बजाय १० रुपये कर दी गयी है। यहां बढ़ाने की उनकी गुंजायश दिखाई नहीं देती और उनको वह गरीब समझते हैं? क्या ये दरख्वास्तें गरीब लोग देते हैं? मैं इसे स्वीकार नहीं कर सकता।

श्री कमलासिंह यादव—

फर्क माननीय मंत्री जी समझ नहीं पाये। यहां टैक्स बढ़ाने का सवाल नहीं है। एप्लिकेशन पर फीस बढ़ाने का सवाल है। मेरा कहना है कि जो रोजगार करते हैं उनसे टैक्स लेने की कोशिश करें लेकिन जिनको पैसा कमाना नहीं है, जिनकी डेली नेसेसिटी है उन पर वैसे ही रहने दिया जाय। ट्रक वगैरह पर, बसेज वगैरह पर टैक्स आप दूना कर लें। कम्पनियों से बड़े से बड़ा फायदा हो सकता है।

श्री कमलापति त्रिपाठी—

मैं आपके द्वारा नरसिंहनारायण जी से प्रार्थना करूंगा कि जरा कमलासिंह जी को समझायें कि प्राइवेट कार ओनर्स जो हैं वे किसान नहीं है। गरीब भूखे मर रहे हैं। प्लान के लिये और संकट के लिये उन पर कुछ बढ़ा दिया जाय तो इससे उनकी आत्मा को कष्ट नहीं होना चाहिये। इस वजह से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता।

श्री कल्पनाथसिंह (जिला गोरखपुर)—

मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि बड़े-बड़े करोड़पतियों से भी आय-कर व सेल्स टैक्स वसूल किया जाय।

श्री अधिष्ठाता—

यह विषयान्तर है।

श्री कल्पनाथसिंह—

उत्तर से सम्बन्धित है चाहे इससे सम्बन्धित न हो।

श्री बांकेलाल (जिला देवरिया)—

हर टैक्स में पूंजीपति बचते जा रहे हैं। गरीब पीसे जा रहे हैं। अगर प्लान के लिये और संकट के लिये उन पर ज्यादा टैक्स लगा दें तो कोई हर्ज न नहीं होगा।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के उपभाग (३) की तीसरी पंक्ति में शब्द "Five Rupees" के स्थान पर "Three rupees" और "Ten rupees के स्थान पर "Six rupees" रख दिये जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (ख) की तीसरी और चौथी पंक्ति में "One rupee and fifty naye paise" के स्थान पर "One rupee and thirty naye paise." और "Three rupees" के स्थान पर "Two rupees and sixty naye paise." रख दिया जाय ।

इसमें वकालतनामें के मुताल्लिक है जो कमिश्नर के यहां दाखिल होते हैं । पहले उसकी फीस ढाई रुपये थी उसके बजाय तीन रुपये किये जा रहे हैं और सवा रुपये की जगह डेढ़ रुपया किया गया है । इसके बारे में मैं काफी कह चुका हूं इसलिये मैं सदन का समय लेना नहीं चाहता हूं । मैं मंत्री जी का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि पहले एडवोकेट के लिये फ्री थी अब टैक्स लगाया जा रहा है । बहुत से ऐसे गरीब हैं जो बकालतनामा तक नहीं दे सकते हैं । इसलिये मैं मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि इन सब बातों पर गौर करके अगर कोई इसको कम कर दें तो अच्छा होगा ।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी (जिला बस्ती)—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, वैसे तो माननीय सदस्य ने इसके बारे में काफी कह दिया है परन्तु मैं २–४ शब्द कहना चाहता हूं क्योंकि मैं इसकी अहमियत महसूस करता हूं । मैंने जनरल डिबेट में निवेदन किया था कि जो गरीब तबका है उसको ऊपर के तबके से ज्यादा वकालतनामे की जरूरत होती है और वकालतनामे बड़े-बड़े मुकदमों में ही नहीं बल्कि छोटे-छोटे मुकदमों में कहीं सप्लाई आफिसर के यहां, कहीं एस० डी० ओ० के यहां, कहीं रेंट कंट्रोलर के यहां, कहीं तहसीलदार के यहां, कहीं नायब तहसीलदार के यहां और कहीं रजिस्ट्रार कानूनगो के यहां दाखिल करना पड़ता है । गरजे कि नीचे की अदालतों में जो तबका पढ़ा लिखा नहीं है वह, किसी की सर्विसेज की आवश्यकता महसूस करता है, और उनकी सर्विस लेने के लिये वकालत-नामा फाइल करता है । अभी तक मंत्री जी ने कहा कि आप अमीर की बात करते हैं । मोटर वाले अमीर हैं उनका खयाल क्यों करते है ? मैं यह कहता हूं कि जहां जैसा आपको सूट करता है वैसा ही आप करते हैं । कहीं कुछ कहते हैं और कहीं कुछ कहते हैं । इसलिये प्रार्थना करता हूं कि वकालतनामे पर टैक्स न बढ़ाया जाय । अगर बढ़ाया जाय तो गरीब तबके पर सबसे ज्यादा असर डाला जा रहा है । मैं अपने अनुभव के आधार पर कह रहा हूं कि जितना पढ़ा-लिखा तबका है वकील की सर्विसेज को बहुत कम लेता है । वैसे आप एक प्रणाली रखेंगे उससे उसको जहां लाभ होगा बड़ा से बड़ा आदमी भी उस लाभ को उठायेगा । लेकिन इस आर्टिकिल से सबसे ज्यादा गरीब तबका अफेक्टेड होगा । पहले आठ आने था, फिर बारह आने हुआ, एक रुपया हुआ, एक रुपये चार आने हुआ और अब डेढ़ रुपया हो रहा है ।

आप सबसे ज्यादा गरीब को हिट करने जा रहे हैं । आपको अमीरों और गरीबों में डिस्टिंकशन करना चाहिये । अगर डिस्टिंकशन नहीं कर सकते तो यह कर न बढ़ाते । इसकी कटौती को किसी दूसरी जगह से पूरा करते । इसकी पूर्ति कहीं अन्यत्र करते । न्यट्रीशन ट्रेनिंग हो रही है । सारे प्रान्त के अन्तरिम जिला परिषद् के अध्यक्ष बुलाये गये है, जितने कलाजेज के प्रिंसिपल्स हैं, वह बुलाये गये है, यह मैं नहीं कह सकता कि कहां तक सही है, बावनों जिलों के सेक्रेटरीज बुलाये गये है । ट्रेनिंग क्या हो रही है वैलेंस्ड डायट होनी चाहिये । किसी के घर में खाने को नहीं, ओला पड़े, बाढ़ आये, रिलीफ नहीं देते, २० महीने के बाद रिलीफ बनती है,

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

जब रिलीफ देने का मौका आता है तो वकालतनामे पर लगा देते हैं। और दूसरी तरफ न्यूट्रीशन स्कीम पर धन नष्ट कर रहे हैं। न्यूट्रिशन डायट में फल होना चाहिए, वह गरीब खायेगा, ग्रीन वेजिटेबिल्स खानी चाहिये, वह गरीब खायेगा, आप एक चार्ट गरीब की झोपड़ी पर लगा दीजिये, बस बड़ा गरीब का ध्यान है। नान प्लांड वर्थलेस स्कीमों पर पैसा नष्ट कर रहे हैं, पता नहीं १२ वर्ष के बाद चीन से लड़ने के लिए जवानों को पैदा करना चाहते हैं, इसलिए न्यूट्रिशन डायट चाहिये। ऐसे कितने ही आइटम्स हैं जो काटे जा सकते हैं। हाउस के सामने भले ही कुछ दलीलें दे दी जायं, इसलिए कि गवर्नमेंट साइड में है लेकिन यह असलियत में सबसे ज्यादा असर करने जा रहा है जो गरीब हैं। मुझे अनुभव है इसलिए मैंने कहा। इस वकालत नामें वाले को ड्राप ही कर देना चाहिये। आप प्रेडेशन लगा दीजिये कि पांच हजार या दस हजार का अगर कोई रिकवरी का दावा करेगा तो पांच आने बढ़ा देते हैं, पार्टनरशिप, कम्पनीज के जो दावे होते हैं उस पर बढ़ा दीजिये। जो गरीब दावा दायर करता है उस पर समाप्त कर दीजिये। आप कहते हैं कि डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आप को करना पड़ेगा डिस्क्रिमिनेशन गरीब और अमीर में। कितने ही ऐवेन्युज हैं जिनको आप टैक्स कर सकते हैं। मैं यह मानने के लिये तैयार नहीं कि आपका हृदय इस बात का अनुभव नहीं करता। मैं केवल इस निष्कर्ष पर पहुंचता हूं कि आपको सोचने का अवसर नहीं है। जो आपका डिपार्टमेंट सामने रख देता है वह आप चालू कर देते हैं और उसे अपने आर्गूमेंट से रफू कर देते हैं। आप प्रैक्टिस नहीं करते तो जिन लोगों को प्रैक्टिस का अनुभव है उसके आधार पर इस वकालतनामे पर न बढ़ाइये क्योंकि पैसे वाला बोर्ड तक लड़ सकता है गरीब बेचारा उसमें थक जाता है। सबसे ज्यादा वकालतना वही फाइल करता है। तो मैं तो यह कहता हूं कि आप उसको ड्राप ही कर दें बजाय कम करने के। क्योंकि अगर आप विवेकपूर्ण बुद्धि से देखेंगे तो यही आपको सही मालूम पड़ेगा कि आपको इसे ड्राप कर देना चाहिये। इन शब्दों के साथ में अपने विचार आपके सामने रखता हूं।

श्री जयराम वर्मा—

माननीय अधिष्ठाता महोदय, जिस तरह से प्रार्थनापत्रों पर कोर्ट फीस में वृद्धि की गई है बिलकुल उसके अनुरूप ही वकालतनामे और मुख्तारनामे पर कोर्ट फीस में वृद्धि की गई है। प्रार्थनापत्रों की वृद्धि को इस माननीय सदन ने स्वीकार कर लिया है। इसलिए वकालतनामे में अब कोई तब्दीली की जरूरत नहीं है। और मैंने तो यह शुरू में ही कहा था कि यह सब लोगों पर वृद्धि होगी, कोई बड़े आराम से यह नहीं हो सकेगा। हमको कुछ तकलीफ देश के लिए उठानी है कुछ अपने खर्चे को कम करना है। उस दृष्टि से देखिए तो थोड़ा-थोड़ा खर्च जो बढ़ रहा है उसको हम बर्दाश्त करने में सफल होंगे। हमारे वकील साहबान जरा अपने मुवक्किलों से फीस जो लेते हैं उसमें कुछ कमी कर दें तो उनका बोझा हलका हो जायगा। देश के लिए जो पैसा लिया जा रहा है, कामनवेल्थ के लिए, संकट का मुकाबिला करने के लिए और पंचवर्षीय योजना के सफल सम्पादन के लिए जो पैसा लिया जा रहा है उसको तो कम कराना चाहते हैं लेकिन वकीलों का मेहनताना जो होता है उसमें कमी नहीं कर सकते हैं। इसलिए मैं यह संशोधन स्वीकार नहीं करता हूं।

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, माननीय मंत्री जी ने छेड़ दिया इसलिए मुझे कहना पड़ता है। मैं तो यह कह रहा हूं कि मिनिस्ट्री पर जितना खर्चा हो रहा है उसमें अगर कमी कर दी जाय, सिर्फ जो तनख्वाहें वह लोग लेते हैं वह तनख्वाहें लें और मकान पर जो सर्वेंट्स वगैरह हैं, श्रीमन्, ४० हजार रुपये का खर्चा बंगलों पर है, उसको छोड़ दें और दौरे जो रोज होते हैं उद्घाटन वगैरह के लिए, कहीं पंचायत का उद्घाटन, कहीं चबूतरे का उद्घाटन, कहीं कुएं का उद्घाटन और मेरे माननीय दोस्त कह रहे हैं कि लैट्रिन्स का भी उद्घाटन करते हैं, तो यह सब अगर कम हो जाय तो बहुत काफी रुपया बच सकता है। आपकी कैबिनेट के बढ़ने की वजह से आपको सेक्रेटेरिएट में भी साथ-साथ

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

ईक्वल रेशियो में बढ़ोत्तरी हुई है और नतीजा यह है कि खर्चा बढ़ता जा रहा है और इसलिए कि हम भी आपकी साजिश में रहें आप हमें भी प्रलोभन दे रहे हैं, अभी मकानों का हुआ है। मकानों के बारे में मैंने बतलाया कि मैं उसमें नहीं रहता हूं। हम जितने साथी हैं वह साथ में रहते हैं, दो दो आदमी, लेकिन अब आप उसके लिए ७५ रुपया किराया भी दे रहे हैं। जब हम वाटर, लाइट और मकान का इस्तेमाल करते हैं तो आपको तो चाहिए कि आप हमको मकान दिला दें, हमें अलग एकोमोडेशन आप दिला दें और रुपया आप न दें तो हमारा भी मोरेल ऊंचा होगा। आप दो फर्स्ट क्लास का टिकट देते हैं और हम थर्ड क्लास में ट्रैवेल करते हैं। यह हम क्यों करते हैं? हमारे सामने भी समस्या है। सरकारी आदमी कहीं जाता है तो आप उसे टी० ए० देते हैं। हम लोग अगर कहीं जायं सिवाय यहां सदन के काम से आने के तो हमें कोई टी० ए० नहीं मिलता है। मैं तो कहता हूं कि पास का इन्तजाम आप करा दें तो हम इस करप्शन में क्यों जांय। लेकिन आप हमें बाउंड करते हैं कि हम करप्शन करें। तो मैं यह कहूंगा माननीय अधिष्ठाता महोदय, कि इस रवैये को बदल दें माननीय मंत्री महोदय, इस तरह के खर्चे को वह कम करें। जितना वेस्टेज है सरकार उसे दूर करे।

माननीय भगवान सहाय जी ने बताया कि तीन दिन के लिये एक अफसर को प्रोमोशन दिया गया इसलिये कि उसे कैनाडा भेजना था। लाखों रुपया ही नहीं बल्कि करोड़ों रुपया इस तरह से बर्बाद हो रहा है, वह सब अगर बतलाया जाय तो बहुत वक्त लगेगा, इसलिये मैं उसे नहीं कहता हूं। लेकिन इतना अवश्य कहूंगा कि मुख्तारनामे का जहां तक सवाल है जो आदमी पढ़ा-लिखा है उसे हक है कि वह अपने केस को खुद प्लीड करे, वह अगर वकील रखता है तो अपने शौक के लिये रखता है। लेकिन वह गरीब जिसके मुंह में जबान नहीं है जो अपने को अदालत के सामने नहीं रख सकता है, जिसके सामने दिक्कत है, कितनी बेवायें हैं, कितनी औरतें हैं कितने मर्द हैं जो पढ़े-लिखे नहीं हैं और कानून से वाकफियत नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों के लिये सोचना है कि जो अपने केसेज को खुद अदालत के सामने न रख सकें। उन लोगों के लिये यह कहा गया कि वकालतनामा दस्तखत करके दाखिल करें और अपने वकील के जरिये से उस चीज को रख सकें। यह साधन है। मुझे अफसोस है कि माननीय मंत्री जी हमारी बात को न सुनकर अपने को ७ समुन्दर पार का समझ रहे हैं। मैं समझता था कि माननीय मंत्री जी को जिस झोपड़ी से हम लोग आये हैं, उसका पूरा ज्ञान होगा। उन गरीब लोगों की हालत को जानते होंगे। लेकिन ऐसे लोग अदालत के सामने अपनी सही बात न रख सकें इसलिये उनकी जबान को बन्द किया जा रहा है। इसके लिये उनको रोकने का प्रयास किया जा रहा है जो उनके मौलिक अधिकारों का हनन है। जो किसान, गरीब और मजदूर हैं, गांव के रहनेवाले हैं उनके मुंह को मोड़ा जा रहा है। मैं माननीय मंत्री जी से कहूंगा कि उनके अन्दर यह भावना होनी चाहिये कि उन गरीबों का, जिनके पास कोई साधन नहीं है, उनका खयाल करते कि वे बकालतनामा दाखिल कर सकते परन्तु सरकार इसका खयाल नहीं करती। हमको मंत्री जी यह सबक देने चले हैं कि हम वकील लोग अपनी फीस छोड़ दें लेकिन मैं तो यह कहूंगा कि आप वकील पर टैक्स बढ़ा दें। एडवोकेट की फीस पहले २५० रुपया थी। उसको ५०० किया और फिर बाद में उनको ७५० रुपया कर दिया। अब क्या चाहते हैं? अगर आपका बैंक बेलेन्स अब भी कम है तो उसको दूसरे तरीके पर कीजिये। मैं तो यह कहूंगा कि बनारसीदास जी यहां मौजूद हैं उनसे पूछ लिया जाय। वे पूर्वी जिलों में बहुत घूमकर आये हैं। उन्होंने वहां की हालत को देखा है। वह रहम भी खाते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि बनारसीदास जी से आप राय लें लें। इस समय वह सौभाग्य से यहां पर आ गये हैं। कम से कम वकालतनामा एक ऐसी चीज है जिसके जरिये से गरीब अपनी आवाज अदालत के सामने रख सकता है। यह उचित होगा अगर उसको रोकने की कोशिश न की जाय। अगर हाईकोर्ट की बात हो तो उसको आप अपने विचार में ला सकते हैं क्योंकि वह तीसरी मंजिल पर चढ़ रहा है। लेकिन जहां तक लो कोर्ट का सवाल है या मैजिस्ट्रेट की कोर्ट

का सवाल है वहां पर वकालतनामा की फीस को दुगुना न कीजिये। पहले आप १२ आना लेते थे अब उसको १।। रुपया किया जा रहा है फिर भी सरकार को सब्र नहीं है। पहले १२ आना था फिर १ किया, फिर १। किया फिर १।। रुपया करने जा रहे हैं। मैं किसान और गरीबों के नाम पर आपसे निवेदन करूंगा कि मंत्री जी से राय लेलें और कम से कम वकालत-नामा पर फीस न बढ़ायें। यह ऐसी चीज है जिसके जरिये से गरीब किसान अपनी आवाज को अदालत, हुक्काम और अधिकारियों के सामने रख सकता है। मुझे आशा है मंत्री जी मेरी बात को स्वीकार करेंगे।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, जिस समय के वकालतनामे की फीस को हमारे माननीय सदस्य बात कर रहे हैं उस समय हमारे प्रदेश का बजट ३०, ३२ करोड़ था। आज के जमाने में हमारा बजट २०५ करोड़ का हो गया है। उस जमाने से आज का मुकाबला नहीं हो सकता है। यहां पर जो संशोधन किया जा रहा है उसमें १। रुपये के स्थान पर १।। रुपया किया जा रहा है और २।। रुपये के स्थान पर ३ रुपया किया जा रहा है। यह मामूली सी वृद्धि है। अगर वह यह समझते हैं कि इससे बहुत असर पड़ेगा तो वह लोग अपनी फीस से ८ आना कम कर दें वह उनको ३ रुपया बढ़ा हुआ नहीं मालूम होगा और इधर २५ नये पैसे कम कर दें। मैं समझता हूं कि सदन इस संशोधन को अस्वीकार करेगा।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (ख) की तीसरी और चौथी पंक्ति में "One rupee and fifty naye paise" के स्थान पर "One rupee and thirty naye paise" और "three rupees" के स्थान पर "Two rupees and sixty naye paise" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (ग) की द्वितीय पंक्ति में "Thirty rupees" के स्थान पर "Twenty six rupees" रख दिया जाय।

श्रीमन्, जितने भी सूट अब तक दाखिल हो रहे थे उन पर पहले १५ रुपया लगता था फिर २० रुपया हुआ और अब २५ रखा गया है और अब उसे बढ़ा कर ३० किया जा रहा है। श्रीमन्, अगर ऐक्ट देखा जाय तो पता चलेगा कि यह हाई कोर्ट से संबंधित था।* हाई कोर्ट से निकाल कर इसे नीचे भी ला दिया गया है और नतीजा इसका यह होगा कि अब जो एक्जेम्प्शन पहले दिया गया था वह किसी को नहीं रहेगा और सभी केसेज इससे कवर्ड हो जायेंगे। पहले यह केवल डिक्लेरेटरी सूट्स के लिये था, अब सभी सूट्स इसमें शामिल हो जायेंगे। इस तरीके पर मैं देख रहा हूं कि २५ से ३० कर देना अनुचित है और इसे नहीं होना चाहिये। अभी मंत्री जी ने बतलाया कि हमारा बजट बहुत बढ़ गया है। मैं कहता हूं कि बजट नहीं बढ़ा दिवाला खिसक गया है सरकार का। जो कर्ज सरकार पर है उसका सिर्फ ब्याज आप उतना दे रहे हैं जितना कि आपका बजट था १९५२–५४ का। तो यह कर्ज इतना भी बढ़ सकता है कि आप दे न पायें। आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ा, पर कैपिटा इनकम घटती बढ़ती रहती है और नतीजा यह है कि आपकी आदमनी नहीं बढ़ी। उद्योग धंधे पनपे नहीं और आप लास पर रन कर रहे हैं। सूद तो बढ़ता ही जायगा और आप कर्ज से दबते जायेंगे। नतीजा यह होगा कि एक दिन आयेगा कि जब आप कोलैप्स कर जायेंगे। आप कोशिश कीजिये कि एक्स्ट्रावैगेन्ट खर्च न हो और एक सीमा में रह कर आपके अफसर खर्च चलायें। अगर कोई गलत तरीके से खर्च करने की कोशिश करता है तो उसे आप हैंग करने की कोशिश करें।

आज पानी की तरह से रुपया बहाया जा रहा है। किसान की गाढ़ी खून पसीने की कमायी को आप बहा रहे हैं। जो इमारतें बन रही हैं, उनको पूरा हुए साल

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री कमलासिंह यादव]

भर नहीं होने पाता और वे चूने लगती हैं। दारुलशफा में इसका एक बढ़िया नमूना है? अगर कहीं से आप सीमेंट का प्लास्टर निकाल सकें तो आपको उसमें बालू ही बालू मिलेगी। अंग्रेज चले गये लेकिन अब भी आप देखें कि १००, २०० साल पहले बनी इमारतें, रेलवे स्टेशन सब बरकरार हैं और मजबूत हैं। यह बिल्डिंग भी अंग्रेजों ने बनवायी थीं लेकिन इसके मुकाबले में आप नहीं बना सकते। आपको यह देखना चाहिये कि जो काम हो वह एक स्टैंडर्ड का हो और उससे नीचे दर्जे का काम करने वाले को हैंग करने की कोशिश आपको करनी चाहिये। तभी गलती होने का इमकान कम रहेगा। शुरू में मैंने बतलाया था कि इसमें बजट का कितना हिस्सा रहेगा? जहां आपका एक करोड़ रुपया खर्च हो रहा था वहीं पर आपका ७ करोड़ रुपया खर्च के लिये रखा गया है। आप इसको कम कर सकते हैं। मैं यह भी देख रहा हूं कि आप ओवर बर्जटिंग करते हैं, इसलिये कि आपको टैक्स लगाने का अधिक मौका मिल जाय। केवल ओवर बर्जटिंग की ही बात नहीं है, मैं तो यह देखता हूं कि आपके बजट का रुपया भी बच जाता है। वह इसलिये बच जाता है कि जितना रुपया इसमें एस्टीमेट के रूप में रखा जाता है, वह या तो ओवर एस्टीमेट है या रुपया खर्च नहीं कर पाते है। आप स्कीमें दुनियां भर की बनाते हैं, परन्तु कोई भी उनके पास ऐसा कार्यक्रम नहीं है कि जितना रुपया बजट में रखा गया है उसको खर्च कर सकें। उसका नतीजा यह हो रहा है कि वह ३१ मार्च को लैप्स हो जाता है। फिर भी जब इसके बाद वह बचता है, तो वह गलत तरीके से कूड़े की तरह फेंक दिया जाता है। इसलिए मैं यह कहता हूं कि जो गलत ढंग पर खर्च हो रहा है, उसको बचाने की कोशिश करें। इससे जो जनता पर टैक्सेशन किया जा रहा है, उससे अपने प्रदेश को बचा सकेंगे।

अभी मनोबल का जिक्र किया गया कि उसको पैदा करना है। उसके लिये यह ज्यादा टैक्सेशन लाभकारी नहीं होगा। आपको जनता को अधिक उत्पादन बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित करना होगा। ज्यादा टैक्सेशन करने का नतीजा उल्टा होगा। इसलिये मैं माननीय मंत्री जी से प्रार्थना करूंगा कि ज्यादा टैक्सेशन बढ़ाने की कोशिश न करें। कम से कम यह २० प्रतिशत यकायक बढ़ना मुनासिब नहीं है।

*श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी—

श्रीमन्, जो हमारे माननीय मित्र ने कहा है, मैं उसमें कुछ जोड़ना नहीं चाहता हूं। केवल कुछ थोड़ा सा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हर टैक्सेशन मेजर पर कहा जाता है। पिछली बार कहा गया और इसके पहले वाले संशोधन पर कहा गया। मैं मंत्री जी का ध्यान आर्टिकल १७ क्लाज ३ की ओर आकर्षित करना चाहता हूं जिसका कि ज्यादा तर प्रभाव गरीब पर ही पड़ता है। आप देखें कि—

"Plaint or memorandum appeal in each of the following suits :" "to obtain a declaratory decree where no consequential relief is prayed, in any suit, not otherwise provided for by this Act:"

एक चीज की ओर हमारे माननीय मित्र का ध्यान नहीं गया। पंचायत राज ऐक्ट में आप रिलीफ पाने के लिये देहातों का प्राविजन किये बिना कोर्टफीस के पहलू पर कैसे विचार करेंगे? आप देखें कि अगर ५ रुपये की मालियत की कोई चीज डिक्लेरेटरी सूट की किसी को फाइल करना है, तो उसके लिये सिविल कोर्ट में जाना पड़ेगा। अगर दरवाजे पर मेरे किसी ने खूंटा गाड़ लिया है उसके लिये फाइल करना है और यह साबित करना है कि मैं ही उसका ओनर इन पजेशन हूं। यदि वह ५० रुपये की मालियत है, तो न्यायालय पंचायत में नहीं जाना चाहता, तो सिविल कोर्ट में २५ रुपये उसकी फीस होती, जो कि अब ३० रुपये कर रहे हैं। उसके पहले १८–१२ आने थी और उसके बाद २५ रुपये हुई और अब वह ३० रुपये करने जा रहे हैं। यह भी कह दिया कि एक हजार से मालियत न बढ़े तो २५ का होगा। यानी १ हजार से कम की मालियत वह निश्चित हुई, तो उसमें आप देखें कि वह तो गरीब ही होगा। उसका तबका

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

तो गरीब ही होगा। यह आपने गरीबों के लिय हमदर्दी दिखाई है। आप क्यों इतना ज्यादा रुपया उनसे वसूल करना चाहते हैं। यह क्यों भूल जाते हैं कि यह जो २० रुपया रिलीफ पंचायत राज एक्ट में मिलने की बात है, वह सिर्फ मुन्सिफ की कोर्ट में मिल सकती है। यह उस पर लग जायगा और वह अपने बैल बेचेगा और अपनी बीबी के जेवर बेचेगा। तब कहीं उसके दरवाजे पर का खूंटा बचेगा। नहीं तो वह चला जायगा। ऐसे भी केसेज हैं जिसे अरौती कहते हैं। किसी ने कब्जा कर लिया, उस पर भी वह केस नहीं कर सकता है। ऐसी भी परिस्थिति आ सकती है। आप इन्जंक्शन को छोड़ दें, इस पर आप ध्यान देंते। मैं फिर कहता हूं कि कोर्टफीस में जो बहुत ज्यादा ओवरवैलुएशन के केसेज हैं उनमें एक-दो परसेंट बढ़ा दिया गया होता, लेकिन इस तरह से गरीब किसानों पर इस तरह से एक और भार लाद देना न्यायोचित नहीं है। मैं इसका घोर विरोध करूंगा और मंत्री जी से कहूंगा कि इसको प्रेस न करें।

सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)——

अधिष्ठाता महोदय, इस विधेयक के लिये बिजनेस ऐडवाइजरी कमेटी में निश्चय किया गया था कि ४ बजे तक का समय होगा, उसके बाद एक आधे घंटे के विवाद का प्रश्न है। क्योंकि सभी सदस्यों ने ख्वाहिश जाहिर की थी कि उन्हें जाना है, इसलिए मैं चाहूंगा कि इस विधेयक को समय के अन्दर समाप्त किया जाय।

श्री कमलासिंह यादव——

अगर जाना चाहते हैं तो चले जायं, हम लोगों को कोरम का तो कोई एतराज है नहीं।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)——

तो फिर ४ बजे हाउस समाप्त कर दिया जाय और आधे घंटे वाला भी ड्राप कर दिया जाय, सूचना मंत्री उसको भी ४ बजे करा दें।

श्री बनारसीदास——

मुझे तो कोई आपत्ति नहीं है अगर और लोगों को नहीं है।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)——

विवाद तो आध घंटे का हम चाहते हैं।

श्री कमलासिंह यादव——

इसी तरह चलता रहे, कोरम का हम एतराज नहीं करेंगे।

श्री अधिष्ठाता——

बिना कोरम के तो हाउस चल नहीं सकता। मैं समझता हूं आधे घंटे के अन्दर इसको समाप्त कर दिया जाय, उसके बाद दूसरा आइटम ले लें।

श्री बनारसीदास——

मेरा सुझाव है कि ४ बजे के बजाय सवा चार बजे तक इसको समाप्त कर लिया जाय और बाद में उसे ले लिया जाय।

श्री अधिष्ठाता——

ठीक है। तो अब स्पीचेज नहीं होगी। मैं नाम पुकारूंगा और मंत्री महोदय यदि आवश्यकता हुई तो बोलेंगे।

इस संशोधन के विषय में मंत्री जी को कुछ कहना है?

श्री जयराम वर्मा——

यह स्वीकार नहीं है।

श्री अधिष्ठाता——

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (ग) की द्वितीय पंक्ति में "Thirty rupees के स्थान पर "Twenty six rupees रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (घ) के अन्त में Proper fee "Two hundred rupees" के स्थान पर "One hundred rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि खंड २ के उपखंड (२) के भाग (घ) में प्रस्तावित खंड (b) के पार्श्व में "One hundred and fifty rupees" के स्थान पर "Fifty rupees" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री अधिष्ठाता---

माननीय रक्षपालसिंह, आप अपना संशोधन पेश करेंगे ?

*श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)---

मैं एक क्लैरीफिकेशन चाहूंगा माननीय मंत्री जी से, अगर वह हो जाता है तो मैं इसको पेश नहीं करूंगा। उन्होंने एक बात यह कही कि पंचायतों के प्रधान और क्षेत्र समिति के प्रमुखों के ऊपर यह कोर्ट फीस नहीं लगायी गयी है। मगर श्रीमन्, ऐसा हो नहीं रहा है। मैं एक केस का उदाहरण देना चाहता हूं, एक केस मोहनचन्द्र बनाम सिंह शिव वरण, जिला जज, कानपुर के यहां दायर हुआ। वहां इसी सेक्शन के मातहत १५० रुपया कोर्टफीस मांगी गयी। तो अगर वास्तव में पंचायतों के प्रधान तथा क्षेत्र समिति के प्रमुखों को अलग कर दिया गया है तो मैं अपना संशोधन पेश नहीं करूंगा, उसकी आवश्यकता नहीं है। यही नहीं, अभी तक और गांव सभा के सभापति का पिटीशन दायर हुआ, उसमें भी इसी सेक्शन के अधीन १५० रुपया मांगा गया। वकीलों में भी मतभेद है इस संबंध में, क्योंकि इसमें जो शब्द "अदर लोकल बाडीज" है उसमें इनको भी शामिल कर लिया जाता है। इसलिये अगर मंत्री जी इसको साफ कर दें तो उसकी जरूरत नहीं रहेगी।

श्री जयराम वर्मा---

श्रीमन्, मंशा तो यही है कि ब्लाक कमेटीज और पंचायतों के एलैक्शन को चेलेंज करने के संबंध में कोई कोर्ट फीस नहीं है।

श्री माधोप्रसाद त्रिपाठी---

श्रीमन्, यह होता नहीं है, इस सेक्शन के अन्तर्गत पंचायत राज को भी शामिल कर लिया जाता है। यह चीज साफ हो जानी चाहिये कि यह सेक्शन वहां पर भी लागू होगा या नहीं, वरना बड़ी गड़बड़ी पैदा हो जायेगी।

श्री जयरामवर्मा---

श्रीमन्, मंशा तो यही है कि उन पर लागू नहीं होगा। अदर लोकल बाडीज का मतलब था कि उसी स्तर की अगर कोई लोकल बाडी हो, उसी के लिये यह था।

श्री रक्षपालसिंह---

श्रीमन्, हाइकोर्ट ने यह होल्ड कर लिया है कि गांव सभा और क्षेत्र समिति भी लोकल बाडीज में हैं। तो माननीय मंत्री जी इसमें ऐसा संशोधन कर दें जिससे यह चीज साफ हो जाय, और कोई गड़बड़ी न पैदा हो।

श्री जयराम वर्मा---

मतलब तो वही है, अब उसको क्लैरीफाई करने के लिये तो विधेयक को देखना होगा और यह सोचना पड़ेगा कि कौन सा शब्द इस्तेमाल हो, लेकिन मतलब यही है कि पंचायतें और ब्लाक कमेटीज उससे बरी हों। अब इसको हम बाद को देख लेंगे कि क्या शब्द ठीक होंगे।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

अनेक सदस्य —
तो उसको रूल्स में ठीक कर दीजियेगा ।

श्री अधिष्ठाता—
प्रश्न यह है कि संशोधित खंड २ इस विधेयक का अंग माना जाय ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ३

३—इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ की अनुसूची १—बी में—

(१) अनुच्छेद संख्या ५ में, शीर्षक "Exemptions" के अन्तर्गत खंड (ए) निकाल दिया जाय ;

(२) अनुच्छेद संख्या २४ में शब्द "two rupees" के स्थान पर शब्द "three rupees" रख दिये जायें ;

(३) अनुच्छेद संख्या ४६ में शब्द तथा अंक "Rs. 5,000" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Rs. 4,000" रख दिये जायें ; और

(४) अनुच्छेद संख्या ५५ में शब्द तथा अंक "Rs. 3,000" के स्थान पर शब्द तथा अंक "Rs. 2,000" रख दिये जायें ।

ऐक्ट संख्या २, १८९९ की अनुसूची १-बी का संशोधन

श्री अधिष्ठाता—
प्रश्न यह है कि खंड ३ इस विधेयक का अंग माना जाय ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड ४

४—उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में—

(१) धारा २ में, खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित नया खंड बढ़ा दिया जाये और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाये—

"(कक) "खरीदने या बेंचने का व्यापार" के अन्तर्गत ऐसा वह व्यापार भी है जो लाभ कमाने के प्रयोजन के बिना किया जाता हो", और

(२) धारा ३-क की उपधारा (२) में शब्द "सात नये पैसे" के स्थान पर शब्द "दस नये पैसे" रख दिये जायें ।

सं० प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई० की धारा २ और धारा ३-क का संशोधन

श्री रक्षपालसिंह—
श्रीमन्, मेरा संशोधन इस प्रकार है—

खंड ४ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में "और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय" काट दिया जावे ।

श्री जयराम वर्मा—
श्रीमन्, यह मुझे स्वीकार नहीं है ।

श्री अधिष्ठाता—
प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (१) की दूसरी पंक्ति में "और सदैव से बढ़ाया गया समझा जाय" काट दिया जावे ।
(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ ।)

*श्री कमलासिंह यादव—

मेरा संशोधन इस प्रकार है—

"खंड ४ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में "दस नये पैसे" के स्थान पर "आठ नये पैसे" रख दिया जाय।

श्रीमन्, यह सेल्स टैक्स लिपिस्टिक, पाउडर आदि चीजों पर लगाया जा रहा है जिसके बारे में मंत्रीजी का विचार है कि वे लक्जरी की चीजें हैं। पहले लक्जरी की भले ही रहीं हों लेकिन आज तो ऐसी आदत माननीय मंत्रीजी ने डाल दी है कि रोजाना की आवश्यकता की चीजें हो गयी हैं। जब माननीय मंत्रीजी ने शराब पिलाना शुरू कर दिया है तो फिर शराब पर क्यों वे टैक्स नहीं बढ़ा देते हैं। इसलिये इस नेसेसिटी की चीज पर तो न लगाइये।

एक दलील यह भी दी गयी कि और प्रान्तों में भी यह टैक्स लगा हुआ है लेकिन माननीय मंत्रीजी को इस बात को नहीं भूलना चाहिये कि दूसरी स्टेट्स में और टैक्स आपके यहां से कम है। इसलिये बजाय दस पैसे के ८ नया पैसा ही रखा जाय तो ज्यादा ठीक होगा। मैं समझता था कि इस सदन की जो महिला सदस्या थीं उनको तो कम से कम इसका विरोध करना ही चाहिये क्योंकि उनके इस्तेमाल की यह चीज है। मैं आशा करता हूं कि माननीय मंत्रीजी मेरे संशोधन को मान लेंगे।

श्री जयराम वर्मा—

श्रीमन्, मुझे यह स्वीकार नहीं है। स्टेट्स ने मिल कर यह विचार किया कि लग्जरी गुड्स पर एक समान टैक्स होना ठीक है उससे बिजनेस में कोई असुविधा नहीं होगी, इसलिये यह टैक्स बढ़ाया जा रहा है। रही लक्जरी गुड्स की बात तो हो सकता है ये चीजें कमलासिंह जी के लिये लक्जरी गुड्स न हों हमारे लिये तो ये लक्जरी गुड्स ही हैं। अगर इसको हम कम कर देते हैं तो हमारी आमदनी बहुत कम हो जायगी। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय कमलासिंह जी इस संशोधन को वापस ले लेंगे।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) की द्वितीय पंक्ति में "दस नये पैसे" के स्थान पर "आठ नये पैसे" रख दिया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ।)

श्री राजाराम (जिला फैजाबाद)—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि खंड के ४ उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिया जाये:

"(३) धारा १० की उपधारा (४) के बाद निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाये।

'(४—क) पुनरीक्षण अधिकारी अपने विचाराधीन किसी वाद (Case) या वादों के वर्ग को किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है और इसी प्रकार किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के विचाराधीन किसी वाद को किसी अन्य पुनरीक्षण अधिकारी को या अपने पास हस्तान्तरित कर सकता है'।"

श्री जयराम वर्मा—

यह मुझे स्वीकार है।

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड ४ के उपखंड (२) के बाद निम्नलिखित उपखंड बढ़ा दिये जाये :

"(३) धारा १० की उपधारा (४) के बाद निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाये :

'(४–क) पुनरीक्षण अधिकारी अपने विचाराधीन किसी वाद (Case) या वादों के वर्ग को किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी को हस्तान्तरित कर सकता है और इसी प्रकार किसी अतिरिक्त पुनरीक्षण अधिकारी के विचाराधीन किसी वाद को किसी अन्य पुनरीक्षण अधिकारी को या अपने पास हस्तान्तरित कर सकता है, ।"

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि संशोधित खंड ४ इस विधेयक का अंग माना जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

खंड १, प्रस्तावना तथा शीर्षक

उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३

उत्तर प्रदेश में कतिपय कर-विधियों का संशोधन करने के लिये

विधेयक

यह इष्टकर है कि आगे प्रकट होने वाले प्रयोजनों के लिये उत्तर प्रदेश में प्रवृत्ति के संबंध में यथासंशोधित कोर्ट फीस ऐक्ट, १८७० और इंडियन स्टैम्प ऐक्ट, १८९९ तथा उत्तर प्रदेश बिक्री-कर ऐक्ट, १९४८ ई० में और संशोधन किये जायें : ऐक्ट संख्या ७, १८७०, ऐक्ट संख्या २, १८९९, सं०प्रा० अधिनियम सं० १५, १९४८ ई०

अतएव भारतीय गणतंत्र के चौहदवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :

संक्षिप्त शीर्षनाम, प्रसार और प्रारम्भ

१—(१) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन अधिनियम, १९६३ कहलायेगा ।

(२) इसका प्रसार समस्त उत्तर प्रदेश में होगा ।

(३) यह उस दिनांक से प्रचलित होगा जो राज्य सरकार गजट में विज्ञप्ति द्वारा निश्चित करे ।

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न यह है कि खंड १, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायं ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

श्री जयराम वर्मा—

अधिष्ठाता महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक, १९६३ जैसा कि वह संशोधित हुआ है, पारित किया जाय ।

*श्री प्रेमसिंह (जिला बहराइच)---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध करता हूं कि और इस टैक्स के संबंध में एक मामूली शेर पढ़ना चाहता हूं जिससे कि इसमें कुछ जान आ जाय ।

"दिल में किसी के राह किये जा रहा हूं मैं,
और कितना हसीन गुनाह किये जा रहा हूं मैं,
गुलशनपरस्त हूं, मगर गुल ही नहीं अजीज,
कांटों से भी निबाह किये जा रहा हूं मैं ।"

हालांकि यह टैक्स अजीज नहीं है मगर इसे बर्दाश्त किये जा रहा हूं लेकिन इसका अन्जाम बहुत जल्दी ही मिलेगा । यह जो टैक्स है इससे मेरे खयाल में बहुत से लोग उकता गये हैं, और अगर यह न लगाया जाय तो अच्छा है ।

*श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)---

श्रीमन्, मैं इसका विरोध कर रहा हूं, पहली बात तो मैं यह कहना चाहता हूं कि जो बात अभी माननीय रक्षपालसिंह जी ने उठायी वह यह थी कि ब्लाक प्रमुख और ग्राम प्रधानों के विषय में जो भ्रम फैला हुआ है कि कोर्ट्स अलग-अलग इन्टरप्रेटेशन करती हैं, और कहती हैं कि उसके ऊपर फीस होनी चाहिये । तो माननीय मंत्री जी इसको सही कर लें कि डेढ़ डेढ़ सौ रुपये फीस कोर्ट्स जो ग्राम प्रधान व ब्लाक प्रमुख से लेती हैं, उससे वे बच जायं, और यह हो जाय तो हमारी जो मंशा है वह पूरी हो जाय ।

दूसरी बात यह है कि कल माननीय मुख्य मंत्री जी ने "मां की पुकार" के संबंध में विवाद पर बोलते हुये कहा कि आज बड़ा विस्मय हो रहा है कि पी० एस० पी० और जनसंघ में एलायंस हो रहा है । अगर विरोधी पार्टीज में आपस में एलायंस होता है तो इसमें तो कोई ताज्जुब की बात नहीं है लेकिन जब कांग्रेस पार्टी और कम्युनिस्ट पार्टी में एलायंस होता है, जब सरकारी पार्टी और आपोजीशन में एलायंस होता है तो बड़ा खेद होता है इससे जनता का मनोबल गिरता है ।

तीसरी बात यह कि यह टैक्स जो लगाया जा रहा है इससे भी जनता का मनोबल गिरता है । एक बार आप कहते हैं कि सरकार एक निश्चित परिमाण तक टैक्स लगायेगी लेकिन उसके बाद ही आप उससे आगे बढ़ा देते हैं और मैक्जिमम लिखित तक बढ़ा देते हैं । हर बार यही कोशिश होती है कि जनता पर अधिक से अधिक टैक्स लगा दिया जाय । इस तरह से जो आप चाहें जनरल स्टाम्प ड्यूटी बढ़ायें या सेल्स टैक्स बढ़ायें या रजिस्ट्रेशन की ड्यूटी लगायें इस सबका भार आखिर गरीब पर ही पड़ता है । आज कचहरियों में कौन ज्यादा मुकदमें करता है, वही गरीब गांव वाले अपने छोटे-छोटे मुकदमें लेकर आते हैं और उनमें कोर्टफीस लगती है....

श्री अधिष्ठाता---

आप जल्द समाप्त करें, अब समय समाप्त है ।

श्री हरीशकुमार गंगवार---

बस समाप्त हो गया । इन शब्दों के साथ में इस का विरोध करता हूं और प्रार्थना करूंगा कि वह आगे टैक्स लगाने से पहले इस पर पुनः विचार करे ।

श्री अधिष्ठाता---

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कर-विधि संशोधन विधेयक १९६३, जैसा कि वह संशोधित हुआ है सरकार से पारित किया जाय ।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ ।)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया ।

२९ मार्च, १९६३ के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–३ से सम्बद्ध बभनान केन यूनियन की जांच तथा उसमें घाटे के विषय में नियम ५० के अन्तर्गत विवाद

*श्री नरसिंहनारायण पांडेय (जिला गोरखपुर)—

आदरणीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय श्री रामलखनसिंह के अल्पसूचित तारांकित प्रश्न १–३ दिनांक २९ मार्च, १९६३ की तरफ सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं जिस में बस्ती व गोंडा जिले की एक केन यूनियन का जिक्र था और जिस का संबंध एक केन्द्र के मंत्री से भी है। उस यूनियन के अकाउन्ट्स को देखने के बाद ऐसा आभास होता है कि उसमें लाखों रुपये से अधिक का गबन है और उस में जिम्मेदारी जो फिक्स की गई है वह बहुत से ऐसे जिम्मेदार लोगों पर है जो सही तरीके से जनता के और सरकार के पैसे के दुरुपयोग के जिम्मेदार हैं। मैं थोड़े से समय में ही आपके सामने एक ब्रीफ हिस्ट्री इस केन डेवलपमेंट यूनियन की, जिसके माध्यम से कुछ नलकूप जो २३० गांवों के सिंचन के लिये बनाये गये थे उस के बारे में पेश करना चाहता हूं। सन् १९५२ में माननीय केशव देव मालवीय ने अपने क्षेत्र हरैया में जो बस्ती जिले में है, किसानों की एक कनवेन्शन की थी और वहीं से वह संसद के सदस्य भी हो गये थे। उन्होंने वहां किसानों के बीच में आश्वासन दिया था कि मैं चाहता हूं कि आपकी गरीबी दूर हो और इसके लिये मैं प्रादेशिक और केन्द्रीय सरकार से विभिन्न तरीकों से सहायता लेकर आपके पिछड़ेपन को दूर करूंगा और इस में आपका सहयोग वांछनीय है। उस काम के लिये किसानों और दोनों सरकारों से पैसा लिया गया और बस्ती व गोंडा के २२० गांवों में एक नलकूप सिस्टम की ईजाद की गई जिसमें कि मैं बता दूं कि ३७ नलकूपों की बात थी जिस में से कुछ तो बिजली से संचालित होने वाले थे और कुछ डीजल द्वारा संचालित होने थे। इसके लिये केन्द्रीय सरकार ने ५,४८,३३३ रुपया ७ नये पैसे की धनराशि यूनियन के पावर हाउस व उस की इमारतों के लिये दिया और उसके बाद ३७ नलकूप ६,१७२९५ रुपया ३७ नये पैसे के अनुदान से वहां बनाये गये और १२ नलकूप डीजल से, चलने वाले बनाये गये। बाद में यह भी नलकूप खत्म हो गये और सिंचाई के साधन भी साथ में खत्म हो गये और वह सारी स्कीम जिस पर सरकार का लाखों रुपया खर्च हुआ, केन्द्रीय सरकार का और इस सरकार का उस के खर्च होने के बाद पता नहीं कि उन नलकूपों की यूटिलिटी क्या है।

नतीजा यह हुआ कि सात-आठ सौ एकड़ जमीन की जो सिंचाई होने की बात थी वह समाप्त हो गई और वहां के किसान आज तबाह हैं और परेशानी में हैं और वहां सरकार का लाखों रुपया जाया हो गया। नतीजा अब यह है कि उस की लायबिलिटी अब ७,८१५८३ रुपया ६ नये पैसे की हो गई और १.५ लाख बाद में एलाट हुआ और इस के अलावा लाखों रुपया किसानों का उसमें लगा है जिस के हिसाब किताब का कुछ पता नहीं। तो उसके बाद जब सरकार के सामने यहां के किसानों ने रिप्रेजेन्टेशन किया तो उस रिपोर्ट के बाद वहां के जिलाधीश श्री चारलू साहब को जांच के लिये मुकर्रर किया। उनकी रिपोर्ट मैं आपके सामने पेश करना चाहता हूं। बहुत लम्बी रिपोर्ट है, २४ टाइप्ड पेजेज की और उस में बैलेन्स शीट व लाभ हानि आंकड़े दिये गये हैं। इसमें बड़ा गोलमाल तथा गबन के चार्जेज हैं। इससे पहले भी यह सवाल २९ मार्च को आया था और दफा ५२ के अन्तर्गत इस सदन के अन्दर सवाल भी किये गये थे। उस समय माननीय मुख्य मंत्री ने आश्वासन दिया था कि हम विशेष आडिटर को बिठा कर इसकी जांच करायेंगे लेकिन उस मामले की जांच नहीं हुई। प्रश्न आया, तो कहा गया कि आडिट रिपोर्ट पेश की जायगी। केन्द्रीय मंत्री तो इतने बड़े गबन और सरकार के पैसे के दुरुपयोग के जिम्मेदार हैं। उनके खिलाफ यह सरकार कोई भी जांच कराने के लिये क्यों संकोच करती है? जहां देश में एमर्जेंसी है और सरकार जनता से एक एक पैसा टैक्स के जरिये वसूल करना चाहती है

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

लेकिन जब इतना बड़ा गबन होता है तो इस एमर्जेंसी को देखते हुये दुख और तकलीफ होती है सारे डिटेल्स को इस आदरणीय सदन के सामने पेश करना मुमकिन नहीं है इस रिपोर्ट को पढ़ने के बाद जो जिलाधीश की अथारिटीज रिपोर्ट पर उसको देख कर बहुत जिम्मेदार लोगों पर इसकी जिम्मेदारी आती है। सरकार से मैं यह अपील करूंगा कि फौरन इस सदन में आ कर वह घोषणा करें। इस पर वह विशेष आडिटर बैठायेगी। जिलाधीश की जो रिपोर्ट है जिसमें मिसएप्रोप्रियेशन तथा एम्बेजिलमेंट के चार्जेज हैं उसकी जांच के लिये पुलिस को मामला दिया जायगा और जांच करने के बाद बड़े-बड़े ओहदेदार के खिलाफ कार्यवाही की जायगी। मैं सरकार से इस बात का आश्वासन चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी इस पर गौर फरमायेंगे और प्रकाश डालेंगे।

*सूचना राज्य मंत्री (श्री बनारसीदास)---

माननीय अधिष्ठाता महोदय, सन् १९५२ में इस क्षेत्र के विकास के लिये, सिंचाई की विशेष रूप से व्यवस्था करने के लिये, बिजली मुहइया करने के लिये जिससे छोटे-छोटे उद्योग-धन्धे चल सकें एक सुन्दर कल्पना की गयी थी। इरादा यह था कि २३२ गांवों को इससे लाभ मिलेगा। इस प्रकार की एक कोआपरेटिव सोसाइटी बनायी गयी थी। उस सिलसिले में हमारे प्रदेश में कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स बनाये गये लेकिन अनुभव से वह विफल हुये। २५ बिजली से चलने वाले थे और १२ डीजल आयल से चलने वाले बनाये गये। ४० मील लम्बी गूलें बनाई गयीं। बिजली की लाइनें खड़ी की गयीं। इसके अन्दर हानि हुई। जिलाधीश ने विस्तार के साथ अपनी रिपोर्ट दी जो सदन के सामने पेश है।

श्री केशवदेव मालवीय इस कोआपरेटिव यूनियन के केवल चेयरमैन थे। १९५९ में उन्होंने अपने पद से त्याग-पत्र दिया लेकिन ज्यादातर धनराशि यानी साढ़े १६ लाख रुपये की धनराशि केन्द्रीय सरकार से प्राप्त हुई। सिंचाई की व्यवस्था करने के लिये और क्योंकि सरकार को ही लाईलाज के अन्तर्गत चेयरमैन नियुक्त करने का अधिकार है, सन् १९५९ में उनके त्यागपत्र को स्वीकार नहीं किया गया इस आशा से कि मालवीय जी अपने प्रभाव से इस धनराशि को केन्द्रीय सरकार से माफी करा देंगे और इसका भार प्रान्तीय सरकार पर नहीं पड़ेगा। लेकिन मालवीय जी चूंकि काफी व्यस्त हैं और बाद में देखा गया कि इसमें कोई सुधार नहीं हो रहा है इसलिये अगस्त, १९६२ में मालवीय जी का त्याग-पत्र स्वीकार कर लिया गया और सरकार ने डी० एम०, बस्ती को इस यूनियन का चेयरमैन बना दिया। इस वक्त सरकार यह व्यवस्था कर रही है कि वहां बोर्ड आफ डायरेक्टर्स को भी भंग कर दे और डी० एम० को इसका ऐडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त कर दे और उसके बाद जो लोग जिम्मेदार हैं कुशासन के लिये, अव्यवस्था के लिये और जो अनियमिततायें की गयी हैं उनके लिये उनके खिलाफ ऐक्शन लिया जाय। डी० एम० ने इस वक्त जिन लोगों पर यह रुपया वाजिब है उनको नोटिस दे दिये हैं और अब तक जो प्रिलिमिनरी जांच कराई गयी है उससे यह पता चलता है कि लगभग ११ लाख रुपये की हानि अबतक इन सब कार्यों में हुई और गवर्नमेंट ने जैसी कि कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स को सबसिडी देने की योजना थी ३६ ट्यूबवेल्स को ५ हजार रुपया प्रति ट्यूबवेल के हिसाब से १ लाख ८० हजार रुपये की सबसिडी दी थी।

इस वक्त डी० एम० का यह सुझाव है कि अगर वहां के पावर हाउस को और १२ ट्यूबवेल्स जो डीजल आयल से चलने वाले हैं उनको बेच दिया जाय तो करीब ५--६ लाख रुपया मिल सकता है, स्टोर्स को बेचने से करीब ५० लाख रुपया मिल सकता है और बाकी ट्यूबवेल को सरकार अपने हाथ में ले ले। सन् १९५६ से इस बात का प्रयत्न किया गया लेकिन ट्यूबवेल डिपार्टमेंट इनको लेने के लिये तैयार नहीं है। इसमें संदेह नहीं कि कुछ अनियमितताएं हुईं। शुरू में जैसा उस क्षेत्र के विकास का जोश था उसमें कुछ गलतियां हुईं। सरकार ने उस वक्त जब यह धनराशि दी गयी तो क्या इसका टैक्निकल एफेक्ट होगा और क्या फाइनैन्शल इम्प्लीफिकेशन्स इस योजना के होंगे इन फैक्टर्स पर ज्यादा गौर नहीं किया और बाद में जब योजना चलायी गयी तो उसमें बहुत सी कमियां मालूम हुईं यह सही है कि शुरू के एक, दो साल के अन्दर जो सिंचाई की व्यवस्था की गयी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री बनारसीदास]

उस रकम का कोई ठीक हिसाब नहीं रखा जा सका। काफी किसानों के ऊपर सिंचाई का धन बाकी है। अब तक सरकार द्वारा जो साढ़े १६ लाख रुपया दिया गया उसमें से १ लाख ८० हजार से ज्यादा दो किस्तों में उसे वसूल हो गया उसके बाद किस्तें वसूल नहीं हुई। शुरू में, १९५२–५३ में जो धनराशि दी गयी थी तो योजना यह थी कि १५ साल में यह रुपया वसूल होगा। बाद में प्रदेशीय सरकार ने सिफारिश की कि २० किस्तों में लिया जाय। उसके बाद जो दूसरी धनराशि ६ लाख रुपये की दी गयी उसके लिये भी १५ साल की शर्त थी लेकिन गवर्नमेंट ने केन्द्रीय सरकार की सिफारिश की कि २० साल के अन्दर लिया जाय। जहां तक चेयरमैन का सवाल है, कोई गबन की बात नहीं है। यह सही है कि कुछ डायरेक्टर्स हैं जिनकी सूची माननीय पांडेयजी के पास मौजूद है। ठेकेदारी की और कार्यकर्त्ताओं की भी सूची आपके सामने है। उन सब को बोर्ड आफ डायरेक्टर्स से हटाया जा रहा है और जिन पर भी रकम निकल रही है उसे वसूल करने का प्रयत्न किया जा रहा है और उसमें कोई कमी नहीं रखी जायगी।

इस योजना से उस क्षेत्र को लाभ तो अवश्य हुआ लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया कोई टेक्निकल ऐडवाइज न होने की वजह से कुछ भूलें अवश्य हुईं जिसकी वजह से इस यूनियन को हानि हुई और सरकार का भी रुपया बाकी है जिसको वसूल करने का कोई रास्ता सोचा जायगा और भी धनराशि वसूल की जा सकती है अवश्य वसूल की जायगी।

*श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—

अधिष्ठाता महोदय····

श्री अधिष्ठाता—

प्रश्न पूछिये आप, भाषण का समय नहीं है।

श्री नेकराम शर्मा—

एक, दो मिनट कह कर मैं प्रश्न ही पूछ रहा हूं। माननीय पांडेय जी ने प्रश्न उठाया और माननीय बनारसीदास जी ने जो उत्तर दिया मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि उनके लाडले और शिष्य माननीय बंशीधर पांडेय माननीय ऊदल के पास आये थे और माननीय केशव देव मालवीय के खिलाफ यह प्रश्न उठाने के लिये कहा था। मुझे बड़ा दुःख है कि इस तरह से एक कांग्रेस के नेता·····

श्री अधिष्ठाता—

आप प्रश्न पूछें।

श्री नेकराम शर्मा—

मैं वही पूछ रहा हूं। मुझे अफसोस है कि इस तरह षड़यंत्र रच कर के माननीय मालवीय जी के खिलाफ प्रश्न पुछवाया गया। उनके पास ठेकेदारों की, डायरेक्टर्स वगैरा की सबकी सूची है और उनको मालूम है जैसा कि इसका काम चल रहा है। मैं उनसे यह जानना चाहता हूं कि माननीय केशवदेव जी मालवीय ने यह स्कीम चलाई और केंद्र में चले गये तो सारी जिम्मेदारी स्कीम को चलाने की और उसके असफल होने की जो इंचार्ज थे और सरकारी कर्मचारी थे, उनकी है और माननीय बनारसी दास जी १९५२–१९५७ तक मंत्रिमंडल में थे और इस वक्त भी हैं तो उन्होंने कोई कदम क्यों नहीं उठाया और उस समय कोई इंक्वायरी कराई गई या नहीं? यदि हां, तो उसकी रिपोर्ट उस समय सदन में प्रस्तुत की गई?

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

*श्री बनारसीदास--

अधिष्ठाता महोदय, पहली बात तो यह है कि मैं माननीय नेकराम शर्मा जी के इंसिनुएशन का विरोध करता हूं और मैं समझता हूं कि जो उन्होंने आक्षेप किया है उसको प्रोसीडिंग्स से निकाल दिया जाय। किसी माननीय सदस्य ने प्रश्न किया यह उनकी जिम्मेदारी है। यह कहना कि पंडित जी ऊदल जी के पास गये ....

श्री अधिष्ठाता--

मैं इसको देख लूंगा।

श्री नेकराम शर्मा--

श्रीमन्, माननीय ऊदल जी मौजूद हैं। उनसे मालूम हो सकता है कि पांडेय जी उनके पास आये और उन्होंने सवाल कराया।

श्री बनारसीदास--

श्रीमन्, मैं यह कह रहा हूं कि माननीय नेकराम जी उनके वकील नहीं हैं। ऊदल जी मौजूद हैं, उन्होंने उनके नाम वकालतनामा नहीं लिखा है। पहली बात मैं यह कहना चाहता हूं कि इस योजना का गवर्नमेंट से कोई संबंध नहीं है। यह योजना १९५२ में चली और एक कोआपरेटिव यूनियन बनाई गई जिसके चेयरमैन मालवीय जी थे और कुछ उसके डायरेक्टर्स थे। १९५२-५३ में केंद्रीय सरकार ने इर्रीगेशन विभाग को ९४ लाख रुपया दिया और यह आदेश दिया कि सूबे की गवर्नमेंट को बिना पूछे बभनान की केन यूनियन को साढ़े दस लाख रुपया दे दिया जाय। इसके बाद साढ़े ६ लाख रुपया भी उनके आदेश से ही दिया गया। तो प्रदेशीय सरकार की इस यूनियन को चलाने की कोई जिम्मेदारी नहीं है। इस को चलाने के लिये एक कोआपरेटिव सोसाइटी थी और उसके चेयरमैन मालवीय जी थे और दूसरे आदमी उसके डायरेक्टर्स थे। उन्होंने उसको चलाने के बाद दो किस्तें अदा कीं। लेकिन बाद में डिफाल्टर्स हो गये और सरकार को उनका त्यागपत्र १९५९ में प्राप्त हुआ और सरकारी अधिकारियों का इसे कोई संबंध नहीं है। वहां पर कोई सरकारी अधिकारी नहीं था। ठेकेदार और ओवरसियर्स जो रखे गये वे सब यूनियन की तरफ से ही रखे गये थे। लेकिन जैसा कि माननीय नेकराम जी ने कहा कंफयूज करने से कोई लाभ नहीं है और मालवीय जी पर आरोप लगाने से कोई लाभ नहीं है। जो एक्जीक्यूट करते हैं उनका सवाल है। इसका आडिट भी हो रहा है और उसकी दो महीने में रिपोर्ट आ जायगी। जो भी दोषी होंगे उन पर कार्यवाही की जायगी। फिलहाल जो डायरेक्टर्स और जो संबंधित व्यक्ति हैं उनसे रुपया वसूल करने का प्रयास किया जायगा।

श्री झारखंडेराय (जिला आजमगढ़)---

क्या सरकार बतायेगी कि बस्ती जिले के पिछड़ेपन का खयाल कर के और खास कर जिस एरिया में स्कीम लागू करने का विचार किया गया था और जो स्कीम बनाई गई थी उसके इस तरह से असफल होने के मुख्य कारण क्या थे? सरकार की जानकारी में कौन से कारण हुये हैं?

श्री बनारसीदास--

सरकार ने जैसा कि मैंने निवेदन किया इसकी इंक्वायरी डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट से कराई और हमारा जो प्लानिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट है उसके डाक्टर भगवानदास जी को भेजा। उन्होंने इसका खास कारण यह बताया कि शुरू में उनके पास कोई टैक्नीकल हैंड नहीं था जिससे उन्हें ठीक सलाह-मशिवरा मिलता। शुरू में अच्छी टैक्नीकल एडवाइस लेकर इस स्कीम को चालू नहीं किया गया। इसलिये जैसे-जैसे ट्यूबवेल बने और जिस तरह से लाइन खींची गई बिजली की और बभनान को एलेक्ट्रिसिटी दी गई, वह कोई एकोनामिक प्रोजेक्ट नहीं था

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

और इसक अलावा एकोनामिक कंट्रोल थोड़ा शुरू में अच्छा नहीं था और कुछ ढील रही । टेंडर्स वगैरह मंगाना या और फाइनेंशियल रूल्स की पाबन्दी नहीं हो पायी, डाइरेक्टर्स ने थोड़ा सा अपना सुपरविजन ठीक नहीं किया, यह सब कारण बताये गये हैं ।

श्री रणबहादुरसिंह (जिला बस्ती)—

क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि सन् १९६२ में इस यूनियन का अडिट हो चुका है जहां कि लगभग ६ महीने प्रांत के कर्मचारियों ने जाकर के आडिट किया था और उन्होंने एक रिपोर्ट सरकार के सामने प्रस्तुत की थी ?

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, इसका उत्तर तो मैं दे चुका हूं । स्पेशल आडिट वहां पहले नहीं हुआ था । बाद में जब मालूम हुआ कि इसमें थोड़ी अनियमिततायें हैं तो स्पेशल आडिट का आर्डर दिया गया है, वह चीज मैं बता चुका हूं और वह सदन की प्रापर्टी भी है ।

श्री बलवानसिंह (जिला कानपुर)—

यह सोलह लाख रुपये का सवाल है और डेढ़ लाख से ज्यादा जो वसूल हो रहा है वह काश्तकारों से हो रहा है । जो इससे संबंधित व्यक्ति हैं मंत्री जी खास तौर से, उनके बारे में पार्लियामेंट में भी सवाल आया और वहां भी एक ऐसी चर्चा है और मेरा ऐसा खयाल है कि गवर्नमेंट को शायद उसका एहसास भी होगा कि इन्हीं मिनिस्टर के खिलाफ कलकत्ते की एक फर्म में पौने चार लाख रुपया मिला है और ऐसा अनुमान है कि इनके खिलाफ काफी करप्शन के चार्जेज हैं, (व्यवधान) तो मैं यह मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जबकि उनके चारों तरफ करप्शन के चार्जेज हैं तो चाहे वह व्यक्ति कितना ही बड़ा क्यों न हो, माननीय मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दें क्योंकि यह १६ लाख रुपये का सवाल है, उसकी वसूली करने के लिये चाहे वह मंत्री हों, चाहे कोई हो, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जायगी ?

काजी जलील अब्बासी (जिला बस्ती)—

व्यवस्था का प्रश्न है । यह प्रश्न क्या किसी केंद्रीय सरकार के मंत्री के खिलाफ उठाया जा सकता है कि उसके खिलाफ क्या क्या आरोप लगे हैं जबकि प्राइम मिनिस्टर ने कहा है कि कोई इन्क्वायरी उनके खिलाफ नहीं हो रही है और न कोई उनके खिलाफ चार्जेज हैं, आज ही प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा है, तो क्या यह सवाल यहां विधान सभा में उठाया जा सकता है कि करप्शन के चार्जेज उनके ऊपर हैं ?

श्री अधिष्ठाता—

यह तो आधे घंटे की बहस उन्होंने इसी कांटेक्स्ट में मांगी है और उसी के ऊपर सवाल हो रहा है ।

श्री बनारसीदास—

श्रीमन्, केंद्रीय सरकार के बारे में जो कहा जा रहा है मैं समझता हूं कि इसका तो न कोई दायित्व है और न मैं इसका उत्तर दे सकता हूं और न इसकी सत्यता के बारे में कुछ कहा जा सकता है । जहां तक मैं समझता हूं जब तक कि कोई किसी के बारे में निश्चित रिपोर्ट न हो, तब तक यह आरोप लगाना उचित नहीं है और जहां तक १६ लाख रुपये का सवाल है डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट की रिपोर्ट में परसनली कोई रकम मालवीय जी के खिलाफ आउटस्टैंडिंग नहीं है जिनका दोष है रिपोर्ट में लिखा है उनसे वसूली की की जा रही है । अब कहां तक बहैसियत चेयरमैन के उनकी जिम्मेदारी आती है यह एक पृथक सवाल है । लेकिन व्यक्तिगत कोई गबन करने का या कोई उसकी रकम के इस्तेमाल करने का या उसके सैंक्शन करने का तो रिपोर्ट के अन्दर कोई आरोप श्री मालवीय के खिलाफ है नहीं ।

[श्री बनारसीदास]

डाइरेक्टर्स की सामूहिक जो जिम्मेदारी होती है योजना की सफलता या विफलता की वह हो सकती है।

श्री नेकराम शर्मा---

क्या सूचना मंत्री जी बताने का कष्ट करेंगे कि केवल इस बभनान यूनियन की ही जिसके मालवीय जी प्रधान थे, उसी की आपने पंचायत राज के द्वारा या डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा इन्क्वायरी कराई, और प्रदेश में जितने कोआपरेटिव ट्यूबवेल्स बनें, उन सबकी आपने इन्क्वायरी क्यों नहीं करायी और क्यों नहीं उनकी रेस्पांसिबिलिटी फिक्स की ?

श्री बनारसीदास---

श्रीमन्, प्रश्न से मैं तो समझ नहीं पाया कि माननीय सदस्य की मंशा क्या है ? वह इन्क्वायरी जहां के बारे में है यह जाहिर चीज है कि जहां १८ लाख रुपया लगा हो, १ लाख ८० हजार रुपया गवर्नमेंट ने दिया हो वहां अगर इन्क्वायरी हो तो उसमें ऐसी कौन सी बात है ? अगर माननीय सदस्य यह चाहें और इस तरह का कोई प्रस्ताव ले आयें तो मुझे खुशी होगी कि सरकार किसी की कोई इन्क्वायरी न कराये। लेकिन माननीय सदस्य दो जबान से बात करते हैं। कभी तो कहते हैं कि सारा भ्रष्टाचार है, प्रबन्ध ठीक नहीं है और कभी यह कहते हैं, तो यह प्रश्न तो मैं नहीं समझ पाया। इन्क्वायरी की गई और उसके अन्दर जो उचित समझा गया वह किया गया। अब अगर कोई और सुझाव माननीय नेकराम जी दें और गवर्नमेंट उनको अपना सलाहकार बना ले तो दूसरी चीज है और फिर उनकी सलाह के मुताबिक चला जाय।

श्री नेकराम शर्मा---

मैं यह जानना चाहता था कि क्या सरकार ने स्वतः इसकी इन्क्वायरी कराई या किसी ने सिफारिश की थी कि यह कराई जाय। मेरा यह प्रश्न था ?

श्री बनारसीदास---

यह प्रश्न काफी समय से चल रहा है। जैसा मैंने पहले उत्तर दिया कि सन् १९५९ में चूंकि प्रबन्ध नहीं चल रहा था इसलिये मालवीय जी ने इस्तीफा दिया। सरकार ने उसको मंजूर नहीं किया इस वजह से कि हमको केंद्र से सहायता मिलेगी उसको माफ कराने में। चूंकि मालवीय जी यह जानते थे कि वह अपना समय इसकी देख रेख के लिये नहीं दे सकते हैं। आखिर पारसाल उनका इस्तीफा मंजूर किया गया क्योंकि वह उसको देख नहीं सके। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट देखकर उसका इन्तजाम ठीक कर सकें और ठीक व्यवस्था हो इस वजह से वह इस्तीफा मंजूर किया। तो यह सवाल काफी दिनों से चल रहा है। उसकी यूनियन को शुरू में बहुत लाभ हुआ। बाद में जितनी आमदनी होती थी उससे अधिक नुक्सान होता था। एक-एक लाख साल की किश्त दी। जो ट्यूबवैल के लिये रुपया दिया गया उसमें सरकार ने दिया, काश्तकारों ने दिया। ५ हजार रुपया काश्तकारों ने दिया। ५ हजार रुपया गवर्नमेंट ने दिया। ५ हजार सबसिडी का दिया गया। तो बेचारे किसानों का कोआपरेटिव ट्यूबवैल में रुपया मारा गया। उन पर जुरमाना हुआ। आज भी उसकी वसूलयाबी की कार्यवाही चल रही है। किसानों के खिलाफ ५ हजार रुपये की रिकवरी की प्रोसिडिंग तमाम सूबे में चल रही है। मेरे यहां बुलन्दशहर में ५ हजार रुपया किसानों ने दिया तो उसकी रिकवरी की कार्यवाही चल रही है। यहां पर इस रिकवरी का कोई सवाल नहीं है।

काजी जलील अब्बासी---

मेरा प्रश्न यह है कि कोआपरेटिव यूनियन के अन्दर जो गड़बड़ी या इर्रीगुलेरिटी है उसकी जांच करने के लिये यहां पर सवाल उठाया गया है लेकिन पंडित मालवीय के खिलाफ यहां पर चार्ज लगाया जा रहा है। उन चार्जेज का जवाब देने के लिये अगर यह आदमी यहां पर नहीं है तो क्या उनके बारे में यहां पर कोई बहस की जा सकती है ? उन चार्जेज को लेकर ही यहां पर सारा मसाला उठाया जा रहा है। यही मेरा व्यवस्था का प्रश्न है और मैं यह समझता हूं कि यहां पर जो यह प्रोसीडिंग हो रही है, वह अवैधानिक है।

श्री अधिष्ठाता--

वह डाइरेक्टर थे। इस विषय में यहां पर आधा घंटे का समय विवाद के लिये मांगा गया है। आप कितना भी न चाहें लेकिन उनका नाम आयेगा ही। मगर मैं यह चाहता हूं कि यह शोभनीय होगा कि जो आदमी यहां पर नहीं है उनके बारे में चार्ज न लगाया जाय।

श्री ऊदल (जिला वाराणसी)--

क्या सूचना मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि जो १६ लाख रुपया लगाकर ३२ ट्यूबवैल बनायी गये, एक पावर हाउस बनाया गया जिसमें ३।। लाख रुपया हमारा खर्च हुआ और ट्यूबवैल में हमारा ८ लाख रुपया खर्च हुआ तो जैसा मंत्री जी ने कहा कि सिंचाई विभाग या तो ले लेगा या सरकार ले लेगी तो क्या एस्टीमेट कुछ आपने ट्यूबवैल और पावर हाउस का बनाया है कि उसका मूल्यांकन क्या होगा ? और कितनी रकम बच जाती है ?

श्री बनारसीदास--

एक मर्तबा सन् १९५६ में कोशिश की गई थी कि ट्यूबवैल डिपार्टमेंट इन तमाम को ले लें। ट्यूबवैल डिपार्टमेंट ने लेने में अपनी असहमति प्रकट की। उन्होंने कहा कि यह लाभदायक नहीं होंगे। गवर्नमेंट ने फिर एलेक्ट्रिसिटी बोर्ड से यह चाहा कि जितने कुयें हैं उन सब को वह इनर्जी दे दे। मगर वह जगह करीब ३।। मील थी हाइडल लाइन से। सरकार ने यह प्रयास किया है कि जहां तक कुओं को चलाने की बात है उसके लिये इनर्जी हाइडल डिपार्टमेंट दे दे मगर अब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने अपना आन्दाजा दिया है कि अगर इन पावर सेट्स के १२ बिजली के कुओं को बेच दें तो करीब ६ लाख रुपया मिल सकता है। स्टोर परचेज से ५० हजार रुपया मिल सकता है। इसके अलावा वहां का गेस्ट हाउस मिल सकता है, जहां पर स्टोर परचेज है वहां पर इंडस्ट्रियल इस्टेट बनाई जा सकती है। अगर इन ट्यूबवैल्स को इर्रीगेशन डिपार्टमेंट ले ले तो अच्छा है। मगर इस वक्त की रिपोर्ट यह है कि डिजेल से चलने वाले कुयें खराबी की वजह से बन्द हैं। २५ ट्यूबवैल में १०,१२ कुछ अच्छे हैं और कुछ के अन्दर से बन्द रहने के कारण, सामान चोरी चला गया है। तो इस वजह से उन में कुछ खराबी है और इसके लिये ट्यूबवेल विभाग से बातें चल रही हैं और डी०एम०की रिपोर्ट आने के बाद तय किया जायगा कि किस तरह से उनको चलाया जाय।

श्री नेकराम शर्मा--

मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है कि यहां पर कैबिनेट मिनिस्टर बैठे हैं और माननीय बनारसीदास जी स्टेट मिनिस्टर हैं तो यह विषय केन मिनिस्टर का है। क्या उन्होंने इसका लिखित अधिकार बनारसीदास जी को दिया है कि वे यहां इन प्रश्नों का उत्तर दे सकें ?

श्री अधिष्ठाता--

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नहीं है।

श्री हरीशकुमार गंगवार (जिला बरेली)--

माननीय मंत्री जी ने बतलाया कि १९५९ में मालवीय जी को वहां से हटने की अनुमति नहीं दी गयी इसलिये कि केंद्र से कुछ पैसा माफ करवा लेंगे। तो १९६२ तक कितना पैसा माफ करवा सके अथवा उसका उन्होंने क्या प्रयत्न किया ?

श्री बनारसीदास--

इसका उत्तर मैं पहले ही दे चुका हूं।

श्री रक्षपालसिंह (जिला फतेहपुर)--

श्रीमन्, वह १९६२ में कार्य व्यस्त हो गये इसलिये उनका मंजूर कर लिया गया। तो क्या कार्य व्यस्तता में यह संभव था कि जो लोग गिरफ्तार हुये हैं उनको वह छुड़ाने का उपक्रम करते, उनके लिये चन्दा जमा करते और उनके लिये मीटिंग्स अरेंज करते ?

श्री बनारसीदास---

इस सवाल से इस विषय से कोई संबंध नहीं है।

श्री नरसिंहनारायण पांडेय--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि जो लोन दिया गया है उसमें केंद्र ने कितना दिया और प्रांत ने कितना दिया है ?

श्री बनारसीदास--

प्रदेशीय सरकार ने कोई लोन नहीं दिया । जो पैसा मिला है वह केंद्र से मिला है और केंद्र ने यू०पी० कोआपरेटिव बैंक को साढ़े १६ लाख रुपया दिया है जो प्रदेशीय सरकार को देना है और वह देगी ।

कुंवर श्रीपालसिंह (जिला जौनपुर)--

क्या मंत्री जी बतलायेंगे कि गेस्ट हाउस किस के लिये बना था और इसमें कितना रुपया लगा ?

श्री बनारसीदास----

इसमें कितना रुपया लगा इसका कोई अनुमान मेरे पास नहीं है और वह किसलिये होता है इसे सब जानते हैं ।

श्री अधिष्ठाता--

अब यह वाद विवाद समाप्त होता है । चूंकि और कोई कार्यक्रम हमारे सामने नहीं है इसलिये अब हम अनिश्चित काल के लिये उठते हैं ।

(इसके बाद सदन ४ बजकर ५० मिनट पर अनिश्चित काल के लिये स्थगित हो गया ।)

देवकी नन्दन मित्थल,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश ।

लखनऊ;
५ अप्रैल, १९६३ ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "क"

(देखिये ३९ (२) के तारांकित प्रश्न २ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६७ पर)

६४ भूतपूर्व जेड० ए० सी० कर्मचारियों की नियुक्ति के सम्बन्ध में स्थिति

३१ लोगों की नियुक्ति का प्रश्न कलेक्टरों के विचाराधीन है । ६ के पते उपलब्ध नहीं हैं, एक अवकाश ग्रहण की आयु पूरी कर चुके हैं, १२ निर्धारित आयु सीमा पार कर चुके हैं, ६ के पास निर्धारित अर्हतायें (क्वालीफिकेशंस) नहीं हैं, ३ ऐसे हैं जिन्हें सीजनल अमीन के पद पर नियुक्त किया गया था परन्तु उन्होंने इनकार कर दिया, एक के विरुद्ध अदालती कार्यवाही चल रही है, १ के विरुद्ध पुलिस द्वारा जांच की जा रही है तथा ३ का कार्य संतोषजनक नहीं रहा है और पुनर्नियुक्ति के लिये उपयुक्त नहीं समझे गये ।

अदर प्रदेश विधान सभा

नत्थी "ख"

[देखिये ३९(२) का तारांकित प्रश्न ८ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९६८ पर]

प्रश्न संख्या ८ का सहपत्र

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा	मालिक का नाम	काबिज काश्तकार का नाम
१	५	१७	बल्लू सिंह तथा अन्य	मालिक
	४	१	धान सिंह तथा अन्य	,,
४	—	४	बल्लू सिंह तथा अन्य	,,
८	३	१४	,,	,,
१२	६	१९	,,	,,
३५	३	१६	,,	,,
	३	७	धान सिंह तथा अन्य	,,
३६	९	१०	बल्लू सिंह तथा अन्य	,,
	८	—	धान सिंह तथा अन्य	,,
४६	०	१८	हरी राम पुत्र सुमेरा	,,
२४५	१	८	तेलू राम पुत्र नत्थू	,,
२५३	०	३	ग्राम समाज	धान सिंह पुत्र, दयाराम
	०	३	ग्राम समाज	सत्य प्रकाश, पुत्र झंडू
	०	१६	ग्राम समाज	,,
२५४	३	८	बल्लू सिंह तथा अन्य	मालिक
२५०	२	१०	ग्राम समाज	,,
२६३	०	१७	सत्य प्रकाश तथा फुल्लू	मालिक
	१३	११	बल्लू सिंह तथा अन्य	,,
२७२	४१	१७	,,	,,
२७३	१३	१७	गेन्डा राम तथा अन्य	,,
	३	७	प्रभु दयाल तथा अन्य	,,
२७५	६	५	,,	,,
३०१	१२	२	पीर चन्द्र, पुत्र नन्दा	,,
	५	०	बन्दी राम तथा अन्य	,,
	८	३	साधु राम	,,
३०८	३	१७	साधु राम	,,
	४	३	सुखदेव	,,
	१	१५	ग्राम समाज	साधु राम
	१	१०	सुखदेव	मालिक
३०९	०	१७	ग्राम समाज	साधु राम
	३	०	सुखदेव	मालिक
	१	०	ग्राम समाज	रूप राम
	५	१३	सुखदेव	मालिक
३१०	०	८	सुखदेव	,,
	३	०	सुखदेव	,,
	७	६	ग्राम समाज	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

खसरा नम्बर	क्षेत्रफल बीघा	बिस्वा	मालिक का नाम	काबिज	काश्तकार का नाम
३११	४	१०	सुखदेव ..		मालिक
	०	१०	ग्राम समाज ..		बन्धुराम
	१	७	सुखदेव ..		मालिक
	३	१४	ग्राम समाज ..		”
३१३	१०	०	सुखदेव ..		”
	१	१४	साधुराम ..		”
	३	५	साधुराम ..		”
३१६	७	२	तंगा तथा अन्य ..		”
	७	०	हरध्यान पुत्र झन्डू ..		”
	३	७	साधु राम		”
	८	१३	साधु राम तथा अन्य ..		”
	८	०	सरजीत तथा अन्य ..		”
३३२	४	७	सरजीत तथा अन्य ..		”
	१	७	मखदुमा		”
	३	७	रामदिया तथा अन्य ..		”
३४१	१	३	ग्राम समाज		”
४०४	२१	१६	परिवर्तन दास ..		”
	६	१३	साधु राम		”
	४	१७	अन्तु राम		”
	१९	६	विशम्भर तथा अन्य ..		”
	१	०	तुन्गा		”
	१	७	ग्राम समाज		”
४२५	१	०	परिवर्तन दास		”
	७	०	कसूल सिंह		”
	४	१३	बन्दी राम तथा अन्य ..		”
	२	२	ग्राम समाज		”
४२८	१२	४	बन्दी राम तथा अन्य ..		”
४२९	१	२	बृज मोहन दास ..		”
४३०	०	१६	भानु तथा अन्य ..		”
	४	०	बृज मोहन दास ..		”
४८८	१	१२	उमराव सिंह		”
४९२	१६	४	”		”

सत्यमेव जयते विधान सभा

नत्थी "ग"

[देखिये ३९ (२) के तारांकित प्रश्न १६ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९७२ पर ।]

वर्ष ६०--६१ तथा ६१--६२ में सैदपुर तहसील में खोली गई पाठशालाओं की सूची

१९६०--६१--

१--सादात	बालिका	४--तुरना	बालक
२--बरई पार	बालक	५--अकबरपुर	"
३--खरौना	बालक	६--सौना	"

१९६१--६२--

१--सिसुआपार	"	१४--छतमा	"
२--कन्डिला	"	१५--खोजवां	"
३--गोदसइयां	"	१६--बाघी	"
४--बलावलपुर	"	१७--बिसौहरी	"
५--सुजनीपुर	"	१८--डहरमउवा	"
६--तरांव	"	१९--ओडराई	"
७--चिलार	"	२०--नायकन्डीह	बालिका
८--ताजपुर मोलना	"	२१--मिर्जापुर	"
९--खाजनपुर	"	२२--चान्डीपुर	"
१०--फतेहपुर	"	२३--जलालाबाद	"
११--बृन्दावन	"	२४--बरहट	"
१२--हसनपुरताजुकबसवा	"	२५--रामपुरबलभद्र	"
१३--सालेपुर	"		

उन स्कूल की सूची जिनके भवन निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है

१--तरांव	पूर्ण	८--मिर्जापुर कन्या	"
२--चिलार	"	९--ताजपूर मोलना	पूर्ण
३--बाघी	"	१०--बालाबलपुर	"
४--किसोहरी	"	११--बसेवां	"
५--नायकडीह कन्या	"	१२--बृन्दावन	"
६--चान्डीपुर	"	१३--सिसुआपार	"
७--रामपुर बलभद्र	"		

विधान सभा उत्तर प्रदेश

नत्थी 'घ'

[देखिये ३९ (२) के तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८६ पर]

जिला गोंडा में तृतीय पंचवर्षीय आयोजना में विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्माणार्थ ली गई सड़कों का विवरण

(अ) चालू योजनाओं के अन्तर्गत ली गई सड़कें—

योजना का नाम	सड़क का नाम	सड़क की लम्बाई मी०	फ०
प्रथम व द्वितीय पंचवर्षीय आयोजनाओं की चालू योजनायें।	१—तुलसीपुर-इटावा	१७	२
	२—परासपुर—नवाबगंज ..	२७	२
	३—हरिहरगंज—ललिया ..	८	०
	४—मोतीगंज रेलवे स्टेशन सोहाना ..	२	०
सी० सी० ट्रैक की चालू योजना ..	१—सी० सी० ट्रैक चीनी मिलों के क्षेत्र में।	२७	०
	२—सी० सी० ट्रैक एवं पेण्टेड रोड चीनी मिलों के चारों ओर ..	२८	४
बेकारी दूर करने की योजना .	१—तुलसीपुर—नैपाल बार्डर ..	१५	०
केन्द्रीय सड़क निधि योजना ..	१—तुलसीपुर—देवीपाटन ..	१	२१/२

(ब) नई योजनाओं के अन्तर्गत ली गई सड़कें—

तृतीय पंचवर्षीय आयोजना ..	१—मनकापुर—सादुल्ला नगर ..	१०	४
	२—तुलसीपुर—नैपाल बार्डर ..	१	०
सी० सी० ट्रैक योजना ..	१—कंचनपुर के निकट झड़ा नाला से गोंडा बलरामपुर सड़क को मिलाने के लिये	३	०
मानव शक्ति उपयोग योजना	माधवगंज—गेडास बुजुर्ग ..	३	०

———

नत्थी 'ङ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८९ पर)

आंशिक प्रतिलिपि कार्यवाही क्षेत्र समिति, दिनांक, २९-१-६३, प्रस्ताव संख्या अन्य प्रथम

विषय--पुरानी ली गई तकावी व कर्जे की छूट एवं माफी करवाने पर विचार।

क्षेत्र समिति ने सर्व सम्मति से तय किया कि पिछले कई वर्षों से लगातार बाढ़ तथा ओला पड़ने से यहां के क्षेत्र की जनता तबाह हो चुकी है। तकावी ऐक्ट के नियम संख्या २२८, दिनांक १८-७-५५ की सरकारी आज्ञा ४३५५/१ डी० ४४१ बी० /५५ के अनुसार श्रीमान परगनाधीश महाराजगंज एवं जिला नियोजन अधिकारी गोरखपुर तथा जिलाधीश गोरखपुर के माध्यम से अनुरोध किया जाता है कि सरकार को शीघ्रातिशीघ्र लिख कर उपरोक्त तकावी की छूट दिलावें। दैवी आपत्तियों की दशा इस प्रकार रही है कि वर्ष १९६१ में भीषण बाढ़ तदुपरान्त ओला। रबी की फ़सल में पुनः १९६२ में भीषण बाढ़ से सभी फसलें पूर्णतः नष्ट हो चुकी हैं।

(हस्ता०) शान्ती सरन,
अध्यक्ष,
क्षेत्र विकास समिति,
निचलौल (गोरखपुर)
३०-१-६३

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'अ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ४ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९८९ पर)

नचलौल ब्लाक के २१ ग्रामों में जहां क्षति ५० न० पै० या उससे अधिक १३६८, १३६९, १३७० फसली में हुई है उसमें तकावी का वितरण ९४,७३८ रु० हुआ है। इसके अतिरिक्त लगान में छूट, मकान बनाने में सहायता तथा अहेतुक सहायतायें दी गई हैं। रबी १३७० फसली की क्षति की जांच की जा रही है तथा नियमानुसार जो छूट के अधिकारी होंगे उन्हें छूट दे दी जावेंगी।

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'छ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ६३ का उत्तर पीछे पृष्ठ ९९५ पर)

तालिका नम्बर १

			वाराणसी शहर	देहाती शहर	कुल-सख्या
एफ० एल० १६	..	..	२	१	३
एफ० एल० १७	..	..	२५	१२	३७
एफ० एल० १८	..	..	७	१	८
एफ० एल० १७	..	..	१	०	१

	लाइसेंस संख्या	नाम लाइसेन्सी		स्थान	
एफ० एल० १६	१	२		३	
	१	श्री अब्दुल हमीद	..	कच्ची सराय	(शहरी क्षेत्र)
	२	,, नारायण चन्द्र	..	जैतपुरा	,,
	३	,, उमाशंकर मिश्रा	..	मुगलसराय	(देहाती क्षेत्र)
एफ० एल० १७	१	श्री कुंवर भान	..	पान्डे धर्मशाला रामापुरा।	(शहरी क्षेत्र)
	२	श्री मेवा लाल,	..	देढ़ी नीम	,,
		मिश्री लाल	..	गोदौलिया	
	३	श्री गिरधारी लाल	..	अगस्त कुन्डा	,,
	४	,, आत्माराम व दीक्षित	..	कबीरचौरा (गोलादीना नाथकपास)	,,
	५	श्री रामजी सैगल	..	चौक	,,
	६	,, यू० पी० मुखर्जी	..	,,	,,
	७	,, त्रिवेनीप्रसाद अग्रवाल	..	चेतगंज	,,
	८	,, एस० के० दत्ता	..	सोनारपुरा	,,
	९	,, बी० डी० कक्कड़	..	वरूणापुल ..	,,
	१०	,, राम कुमार सिंह	..	नीचीबाग	,,
	११	,, पी० के० मुखर्जी	..	दशाश्वमेध	,,
	१२	,, नियाद अहमद	..	दाल मंडी	,,
	१३	श्रीमती रामा भटनागर	..	नदेसर	,,
	१४	श्री गनेश चन्द्र	..	तेलिया बाग	,,
	१५	,, एस० गुप्ता	..	जौसानगंज	,,
	१६	,, एम० पी० मुखर्जी	..	अगस्त कुन्डा	,,

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लाइसेंस संख्या	नाम लाइसेन्सी		स्थान
१	२		३
१७	,, विश्वेश्वर घोष	.. दशाश्वमेध	(शहरी क्षेत्र)
१८	,, इन्द्र कुमार गुप्ता	.. जैनपुरा	,,
१९	,, अशर्फी लाल	.. सिगरा	,,
२०	,, चन्द्र कुमार	.. राम नगर	(देहाती क्षेत्र)
२१	,, काशी नाथ गुप्ता	.. मुगलसराय	,,
२२	श्री नेम चन्द्र भन्डारी	.. मुगलसराय	,,
२३	श्री बी० चटर्जी	.. मुगलसराय	,,
२४	श्री महाबीर प्रसाद अग्रवाल	गोपी गंज	,,
२५	श्री विश्वनाथ प्रसाद	.. भदोही	,,
२६	श्री एम० ए० कासिम	.. बी० एच० यू० एरिया शहरी क्षे	
२७	सर्वश्री गिरजा शंकर जोगेन्द्र नारायण	.. चौक शहरी क्षेत्र	
२८	श्री नरोत्तम प्रसाद	.. सार नाथ	देहाती क्षेत्र
२९	श्री उमाशंकर	.. मानमन्दिर	शहरी क्षेत्र
३०	श्री विशनदत्त द्विवेदी हरगैन राम	.. पियरी	,,
३१	श्री एन० पी० शुक्ला	.. चकिया	देहाती क्षेत्र
३२	,, हरवंश प्रसाद	.. शिवपुर	,,
३३	,, सीताराम	.. लहुराबीर	शहरी क्षेत्र
३४	,, हरप्रसाद मिश्रा	.. मडुआडीह	देहाती क्षेत्र
३५	श्री सरजू प्रसाद	.. नौगढ़	,,
३६	श्रीमती रजवन्ती देवी	.. विशेसर गंज	शहरी क्षेत्र
३७	श्री कैलाशपति मिश्रा	.. चन्दौली	देहाती क्षेत्र

तालिका नम्बर २

एफ० एल० ५	१	श्रीमती अन्नपूर्णा देवी	.. सिगरा	शहरी क्षेत्र
	२	श्री भोला नाथ अरोड़ा	.. राजा दरवाजा	,,
	३	श्री उमापति हाल्दर	.. वरूणापुर	,,
	४	श्री यू० सी० मुखर्जी	.. चौक	,,
	५	श्री बिसू डे	.. दशाश्वमेध	,,
	६	सर्वश्री जगन्नाथ प्रसाद झिन्गूर प्रसाद	.. ७३ वाराणसी कैंट	,,
	७	श्री सीताराम	.. इंगलिशिया लाइन	,,
	८	श्री नेम चन्द्र पन्डारी	.. मुगलसराय	,,

अवध विधान सभा

	लाइसेंस संख्या	नाम लाइसेंसी		स्थान	
	१	२			३
एफ० एल० ७	१	श्री गंगा प्रसाद	..	बांस फाटक	शहरी क्षेत्र
एफ० एल० १६	१	श्री उमाशंकर मिश्रा	..	मुगलसराय	देहाती क्षेत्र
एफ० एल० १७	१	श्री नरोत्तम प्रसाद	..	सार नाथ	"
	२	श्री उमा शंकर	..	मान मन्दिर	शहरी क्षेत्र
	३	सर्व श्री बिशुनदत्त द्विवेदी, हरगेन राम	..	पियरी	"
	४	" एन० पी० शुक्ला	..	चकिया	देहाती क्षेत्र
	५	" हरवंश प्रसाद	..	शिवपुर	"
	६	" सीताराम	..	लहुराबीर	शहरी क्षेत्र
	७	" हर प्रसाद मिश्रा	..	मडुआडीह	देहाती क्षेत्र
	८	" सूरज प्रसाद		नौगढ़	"
	९	श्रीमती रजवन्ती देवी	..	विशेसरगंज	शहरी क्षेत्र
	१०	श्री कैलाशपति मिश्रा	..	चन्दौली	देहाती क्षेत्र

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० ४६ एल० ए०—१९६३— (प्रो०) ८५० ।